प्रस्तावना

सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में महत्वपूर्ण व्यय सुधार शुरू किए हैं। इसमें मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण ही नहीं अपितु बजट तैयार करने की प्रक्रिया में भी संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। अनेक समितियों द्वारा विगत में की गई सिफारिश के अनुसार योजना और गैर-योजना का भेद समाप्त किया जा रहा है। लागत-केन्द्रों को अब एकीकृत तरीके से, केवल सांविधिक राजस्व पूंजी संरचना के अंदर शामिल माना जाएगा। इस दिशा में किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं- रेल बजट को मुख्य बजट में मिलाया जाना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नया वित्त वर्ष आरंभ होने से पहले सम्पूर्ण बजट पारित हो जाए, बजट पेश करने की तारीख को आगे लाया जाना।

ऐसा होने से एक और महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार संभव हो सकेगा, अर्थात् सार्वजनिक स्कीमों और परियोजनाओं को निगरानी-योग्य निर्गम-परिणाम संरचना के अंतर्गत लाया जा सकेगा। अब तक, मंत्रालयों की स्कीमों के वित्तीय परिव्यय ही बजट दस्तावेज में दर्शाए जाते थे जबकि स्कीमों के संभावित निर्गम और परिणाम प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार और प्रस्तुत किए जाते थे। इस बजट के बाद से, परिव्यय, निर्गम और परिणाम परिमेय रूप में संसद में पेश किए जाएंगे, जिससे सरकारी स्कीमों और परियोजनाओं के निष्पादन में लगी एजेंसियों की अधिकाधिक जवाबदेही बन सकेगी।

'परिव्यय' का आशय उस राशि से है जो बजट में किसी विशेष स्कीम या परियोजना के लिए प्रदान की जाती है; जबकि 'निर्गम' का अभिप्राय कार्यक्रम कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और परिमेय उत्पाद से है जिसे अक्सर भौतिक रूप में या इकाइयों में अभिव्यक्त किया जाता है। 'परिणाम' का आशय है- सामूहिक परिणाम या इन सेवाओं की प्रदायगी में किए गए गुणात्मक सुधार जिन्हें अक्सर प्रत्याशित या पिछले संकेतकों और लक्ष्यों के मुकाबले सुधार के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017-18 से 68 मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों के निर्गम और परिणाम, बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में वित्तीय परिव्ययों के साथ उपलब्ध होंगे ताकि सभी लोग प्रत्येक स्कीम के स्पष्टतः परिभाषित उद्देश्य और लक्ष्य देख सकें। इस प्रकार मौजूदा बजट पिछले बजटों से काफी अलग है और एक ही समेकित दस्तावेज में (क) वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय परिव्यय और साथ ही (ख) निर्गम और प्रदेय सेवाएं तथा (ग) प्रत्येक स्कीम/परियोजना के लिए अनुमानित मध्यावधि परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता में काफी बढ़ोत्तरी होगी और सरकार की विकास कार्यसूची को समझने में भी काफी आसानी होगी।

इस कवायद से, सरकार का लक्ष्य यह है कि परिव्यय मात्र से हट कर परिणामोन्मुखी निर्गमों और परिणामों की ओर अग्रसर होकर शासन की एक खुली, जवाबदेह, पुरोगामी और उद्देश्यपूर्ण शैली विकसित की जाए। इस प्रयास से होगा यह कि संबंधित मंत्रालय स्कीम के उद्देश्यों पर निगरानी रख सकेंगे और अपने द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर सकेंगे। नीति आयोग ने यह दस्तावेज कार्यान्वयन मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से बहुत मेहनत से तैयार किया है। चूंकि यह ऐसी पहली कवायद है, इसलिए हो सकता है कि इस दस्तावेज में कुछ कमियां रह गई हों। हमारा यह प्रयास होगा कि वर्ष दर वर्ष इसमें सुधार किए जाएं, अधिकाधिक सूचना प्रदान किए जाने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास कार्यसूची के लक्ष्य हासिल करने के हमारे प्रयासों में अधिकाधिक पारदर्शिता आए।

विषय-सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2	4
3.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	3	7
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग	4	8
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5	11
6.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	6	12
7.	उर्वरक विभाग	7	14
8.	औषध विभाग	8	15
9.	नागर विमानन मंत्रालय	9	16
10.	कोयला मंत्रालय	10	18
11.	वाणिज्य विभाग	11	19
12.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12	22
13.	डाक विभाग	13	23
14.	दूर संचार विभाग	14	24
15.	उपभोक्ता कार्य विभाग	15	25
16.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	16	27
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17	29
18.	संस्कृति मंत्रालय	18	30
19.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	23	36
20.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24	40
21.	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	25	41
22.	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26	44
23.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27	46
24.	विदेश मंत्रालय	28	49
25.	आर्थिक कार्य विभाग	29	51
26.	व्यय विभाग	30	52

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
27.	वित्तीय सेवाएं विभाग	31	53
28.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	41	55
29.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42	56
30.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43	58
31.	भारी उद्योग विभाग	44	59
32.	लोक उद्यम विभाग	45	61
33.	गृह मंत्रालय	46	62
34.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	56	69
35.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	57	71
36.	उच्चतर शिक्षा विभाग	58	73
37.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59	77
38.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	60	79
39.	विधि और न्याय मंत्रालय	61	81
40.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64	82
41.	खान मंत्रालय	65	84
42.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	66	88
43.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	67	91
44.	पंचायती राज मंत्रालय	68	94
45.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72	96
46.	योजना मंत्रालय	73	97
47.	विद्युत मंत्रालय	74	99
48.	रेल मंत्रालय	80	102
49.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81	105
50.	ग्रामीण विकास विभाग	82	109
51.	भूमि संसाधन विभाग	83	111
52.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84	112
53.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	85	114
54.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86	116
55.	पोत परिवहन मंत्रालय	87	117

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मांग सं.	पृष्ठ सं.
56.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	88	120
57.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	89	123
58.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90	127
59.	अंतरिक्ष विभाग	91	130
60.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92	131
61.	इस्पात मंत्रालय	93	133
62.	वस्त्र मंत्रालय	94	134
63.	पर्यटन मंत्रालय	95	136
64.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	96	138
65.	शहरी विकास विभाग	97	141
66.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98	143
67.	महिला एवं बाल विकास विभाग	99	148
68.	युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	100	149

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18				
मांग सं. 01 - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग				
				(करोड़ रुपए)
क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	9000.00	देश में सकल बुवाई क्षेत्र के 40% का बीमा कवरेज	लगभग 60 मिलियन किसान परिवारों का 60% (40% बुवाई क्षेत्र) तक जोखिम न्यूनीकरण
2	किसानों को लघु अवधि ऋण के लिए ब्याज राजसहायता	15000.00	लगभग 7.5 करोड़ किसानों को 7% वार्षिक ब्याज पर और फसल ऋण की समय पर अदायगी पर 4% पर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक फसल ऋण	खाद्यान उत्पादकता में 2% वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर)
3	बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य समर्थन स्कीम	199.30	चिन्ताजनक स्थितियों में आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप	किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और मजबूरी में बिक्री की स्थिति से बचना
ख	**केन्द्र प्रायोजित स्कीम**			
4	**हरित क्रान्ति**	13091.00		
4.1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4500.00	राज्यों को आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार परियोजनाएं चुनने के लिए पूरी ढील दी गई है।	कृषि एवं इससे जुड़े सेक्टर में 4% की वृद्धि
4.2	कृषि उन्नति स्कीमें			
4.2.1	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); सीआईएच, नगालैंड, एनएचबी और सीडीबी	2120.00	• 140986 हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज • एनएचबी द्वारा कोल्ड चेन/कोल्ड रूम/चैम्बर - 2650 नई परियोजनाएं • 4125 हेक्टेयर नया पौधारोपण • 2790 व्यक्तियों को प्रशिक्षण	बागवानी और सब्जियों के उत्पादन में 5% वृद्धि प्राप्त करना
4.2.2	कृषि गणना और सांख्यिकी संबंधी एकीकृत स्कीम			
4.2.2.1	कृषि गणना स्कीम	225.00	• कृषि गणना 2015-16 • राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इनपुट डाटा संग्रहण (सर्वेक्षण) 2016-17	• कृषि गणना 2015-16 की अंतिम रिपोर्ट - भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में खेत और किसानों की हालिया जानकारी • इनपुट सर्वेक्षण 2016-17 के संबंध में अखिल भारतीय रिपोर्ट
4.2.2.2 4.2.2.3	भारत में मुख्य फसलों की उपज लागत का अध्ययन करने की व्यापक स्कीम कृषि सांख्यिकी स्कीम में सुधार		25 फसलों के उपज आकलनों की लागत	• 25 फसलों के उपज लागत आकलनों की अंतिम रिपोर्ट- मूल्य समर्थन के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना।
			खरीफ और रबी मौसम की मुख्य फसलों के तहत क्षेत्रफल आकलन	• देश में फसल परिदृश्य और संभावित उत्पादन
4.2.3	कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत स्कीम		• 20 नई सहकारी समितियों का पंजीकरण • 10000 व्यक्तियों के लाभार्थ आय सृजन कार्यक्रम	सहकारी समितियों के माध्यम से 100000 से अधिक व्यक्तियों का व्यवसाय विविधीकरण

			• 25 स्व-सहायता समूहों को सहकारी समितियों में बदला जाना • 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	
4.2.4	कृषि विपणन संबंधी एकीकृत स्कीम			
4.2.4.1	कृषि बाजार अवसंरचना	1190.00	• 55 लाख टन क्षमता के ग्रामीण गोदाम • 880 अन्य भंडारण अवसंरचना परियोजनाएं	भंडारण क्षमता के अंतर को 16% तक कम करना
4.2.4.2	राष्ट्रीय कृषि बाजार		585 थोक बाजारों को ई-मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना	राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी मंडियों के कुल कारोबार (मान्य औसत) के कम से कम 1% की लक्ष्य प्राप्ति
4.2.5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1600.00	• 2.00 मिलियन टन चावल • 1.50 मिलियन टन गेंहूँ • 0.75 मिलियन टन दाल • 0.6 मिलियन टन मोटा अनाज • 4.85 मिलियन टन कुल खाद्यान का अतिरिक्त उत्पादन	• निर्यात के लिए 10 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान उत्पादन • दालों के आयात में 15% तक कमी लाना।
4.2.6	राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)	403.00	• 20-25 लाख हेक्टेयर में उच्च उत्पादकता किस्मों के नए बीजों का उपयोग • ऑयलपाम के तहत 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाना • नीम, करंजा, जैतून, जजोबा जैसे तैलीय बीज वाले वृक्षों का रोपण	• **35.5** मिलियन टन तिलहन उत्पादन की प्राप्ति। • खाद्य तेलों के आयात में 5% की कमी लाना।
4.2.6	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन			
4.2.6.1	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	100.00	• किसानों के खेतों में 1.5 करोड़ वृक्ष लगाया जाना	हरित आवरण में 25000 हेक्टेयर की वृद्धि करना
4.2.6.2	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना/पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वैल्यू चेन डिवलपमेंट	101.00	• 23,372 किसानों की भागीदारी के साथ 1412 एफआईजी की सहायता से जैविक उत्पादन अपनाया जाना • 35,912 हेक्टेयर पर जैविक खेती	50,000 किसानों को 100 कृषि उत्पादक कंपनियों में समूहबद्ध किया गया; 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वाणिज्यिक जैविक खेती में बदला गया
4.2.6.3	परम्परागत कृषि विकास योजना	270.00	• 143,700 हेक्टेयर पर जैविक खेती समूह प्रदर्शन अपनाया जाना • सहभागी गारंटी प्रणाली प्रमाणन के लिए 3.5 लाख किसानों को सहायता	जैविक प्रमाणन के तहत 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल
4.2.6.4	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता परियोजना (मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित)	452.00	• 126 लाख मृदा नमूनों का संग्रहण और विश्लेषण • 700 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण • 583 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	• पोषक-तत्वों के अंधाधुंध उपयोग में कमी लाना और 160350 हेक्टेयर पर पोषक-तत्वों के संतुलित अनुप्रयोग की लक्ष्य प्राप्ति • उर्वरक अनुप्रयोग में किफायत

4.2.7	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन			
4.2.7.1	बीज और रोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन (एसएमएसपी)	200.00	• 30,000 गांवों में बीज ग्राम कार्यक्रमों का आयोजन • बीज प्रसंस्करण क्षमता में 90000 क्विंटल की वृद्धि • 1.30 लाख क्विंटल बीज भंडारण क्षमता का सृजन • आकस्मिक योजनाओं के लिए 3.65 लाख क्विंटल बीज रिजर्व का सृजन	• ग्रहण क्षेत्र में एसआरआर में **3%** तक वृद्धि • ग्रहण क्षेत्र में उत्पादकता में **5%** तक वृद्धि
4.2.7.2	कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन	912.00	• विस्तार कार्यकर्ताओं की जानकारी बढ़ाने के लिए 173 पाठ्यक्रमों का आयोजन • कृषि-उद्यमिता विकसित करने के लिए 5500 कृषि-उद्यमियों का प्रशिक्षण • 27664 किसानों के लाभार्थ संपर्क कार्यक्रम	प्रौद्योगिकी अंगीकरण की दर में 5% तक वृद्धि
4.2.7.3	कृषि सूचना प्रणाली सुदृढ़/संवर्धित किया जाना	65.00	कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसानों की 30 मिलियन कॉल्स का जवाब देना	लगभग 50% किसान परिवारों से संपर्क - उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए
4.2.7.4	पादप संरक्षण और पादप संगरोध संबंधी उप-मिशन	50.00	• 150 लाख हेक्टेयर पर टिड्डियों की निगरानी • देश में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कीटों के असर की निगरानी • कीटों के जैविकीय नियंत्रण के लिए 3300 मिलियन बायो-एजेंट छोड़ा जाना • 9 लाख हेक्टेयर पर बायो-एजेंट का संवर्धन और संरक्षण • कीटनाशी अपशिष्ट के आकलन के लिए 25800 नमूनों का विश्लेषण	कीट महामारी को नियंत्रित करना और लगभग 10% तक फसल क्षति कम करना (यह व्यक्तिपरक है और कीट आक्रमण की तीव्रता तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पर निर्भर करता है)
4.2.7.5	कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन	550.00	• 15000 किसानों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण • 160 फसलोत्तर ईकाइयों की स्थापना • 5382 चुनिंदा गांवों में फार्म मशीनीकरण का बढ़ावा देना • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2600 पर्यावासों में फार्म मशीनरी को बढ़ावा देना	वर्ष 2020 तक कृषि बिजली उपलब्धता को 1.84 किलोवाट/हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.2 किलोवाट/हेक्टेयर किया जाना
5	प्रधानंत्री कृषि सिंचाई योजना (प्रति बूंद अधिक फसल)	**3050.00**	माइक्रो सिंचाई के तहत 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र और संरक्षित सिंचाई के तहत 84000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाना	• 10 लाख हेक्टेयर पर सटीक सिंचाई। उत्पादकता में 25-30% तक वृद्धि • 25% जल की बचत (लगभग 3 लीटर प्रति हेक्टेयर)*
		40340.30		

- **2 सिंचाई के लिए। यह मानते हुए कि खुली नालियों (परम्परागत व्यवस्था) के माध्यम से एक सिंचाई में 40% सिंचाई दक्षता के साथ 6 सेमी. गहरा पानी लगाया जाता है।**

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 2: कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन +एनआईसीआरए	732.17 (418.46 करोड़ रुपए वेतन और 104.03 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 6 ब्लॉकों में मृदा सूची निर्माण और मृदा लक्षणों का वर्णन (1:10,000 पैमाने पर) • पूरक सिंचाई के लिए मृदा एवं जल संरक्षण के 4 उपायों की डिजाइनिंग, विकास और परीक्षण • प्रणाली आधारित 10 फार्म उत्पादन प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और विकास • 3 जैविक खेती पैकेज तैयार और विकसित करना • 5 जलवायु रोधी प्रौद्योगिकियों को तैयार, विकसित और प्रदर्शित करना • मृदा स्वास्थ्य के प्रबंध के लिए 5 प्रौद्योगिकियां तैयार और विकसित करना • सिंचाई जल प्रबंधन के लिए 3 प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग, विकास और परीक्षण	परियोजना क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दक्ष और किफायती लागत प्रबंधन से 2 प्रतिशत उत्पादकता लाभ होने की उम्मीद है
2	फसल विज्ञान	1486.59 (817.58 करोड़ रुपए वेतन और 281.6 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 20000 जर्मप्लाज्म और ब्रीडिंग लाइनों का मूल्यांकन • दीर्घावधि भंडारण के लिए 4000 जर्मप्लाज्म का संरक्षण • 200 माइक्रोबियल आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण • 30 जीनोटाइप की पहचान करना और उनके अद्वितीय गुणों को रजिस्टर करना • 10 जीनों के लक्षणों का वर्णन करना और उनकी क्लोनिंग करना • एआईसीआरपी बहु-स्थान परीक्षणों में 2000 प्रविष्टियों की जांच करना; एआईसीआरपी वैराइटल पहचान समितियों द्वारा 40 किस्मों की पहचान किया जाना • 56000 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन • 25 नई प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण • 10000 फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन • 220 किसानों को प्रशिक्षण का आयोजन • मानव संसाधन विकास - 175 स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधिया प्रदान की गई	परियोजना क्षेत्रों में नई किस्मों के विकास से फसलों की संभावित उत्पादकता में 2% तक सुधार अपेक्षित
3	बागवानी	602.66 (354.79 करोड़ रुपए वेतन और 92.97 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 400 जर्मप्लाज्म का संग्रहण • 500 जर्मप्लाज्म के लक्षणों का वर्णन • 100 प्री-ब्रीडिंग लाइनों का विकास • 60 उदीयमान/उत्कृष्ट वर्ग की ब्रीडिंग लाइनों की पहचान • 30 किस्में/हाईब्रीड रिलीज करना • 50 उत्पादन प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण • 155 फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन • किसानों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए 167 मॉड्यूल का विकास • 2261 टन ब्रीडरों/सच्चे संतुलित बीजों का उत्पादन • ट्यूबर फसलों के 2250 टन ब्रीडर बीजों का उत्पादन • 12.5 लाख की बढ़िया रोपण सामग्री और 5 लाख कलमों का उत्पादन (पादप)	परियोजना क्षेत्रों में नई किस्मों के विकास से फलों और सब्जियों की उत्पादकता में 5% तक वृद्धि अपेक्षित
4	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष	50 (जीआईए वेतन 1.2 करोड़ रुपए)	चल रही परियोजनाओं का वित्तपोषण, समीक्षा, परामर्श और निगरानी; नए परियोजना प्रस्तावों के लिए नई कॉल (कॉल VI) देना और भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा उन प्रस्तावों का मूल्यांकन	45 प्रकाशन, 3 पेटेंट, अपनाए जाने की उम्मीद; 4 संभावित प्रौद्योगिकियां अपनाई गई

6@	राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष (बौद्धिक परिसंपत्तियों के पेशेवर प्रबंधन, कृषि-व्यापार विकास और उद्यमिता विकास को सुगम बनाने के लिए)	गैर-स्कीम@	• 60 पेटेंट और नवाचार के लिए अन्य आईपीआर स्वत्वाधिकार • 50 जमीनी नवाचारों को सहायता • 6 कृषि-व्यापार परिपाकित्रों को सुदृढ़ करना। • क्षेत्रीय और संस्थान इकाइयों के सहयोग से 75 नए व्यापारिक परिपाकों को सहायता • कृषि-व्यापार विकास परिपाकित्रों के माध्यम से 50 उद्यमिता विकास कार्यक्रम। • 1000 उद्यमी इकाइयों की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण युवाओं को परामर्श/सहायता पहुंचाना	5% पेटेंट के वाणिज्यीकरण की उम्मीद है (पेटेंट क्षेत्र में से)
7	पशु विज्ञान (पशु आनुवंशिक संसाधनों का आकलन, इनका मूल्यांकन, सुधार और संरक्षण)	885.77 (380.88 करोड़ रुपए वेतन और 232.92 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 9 पशु आनुवंशिक संसाधनों का मूल्यांकन और लक्षण वर्णन • 8 जीनों का आंशिक/सम्पूर्ण लक्षण वर्णन/ अभिव्यक्ति रूपरेखा वर्णन • 25000 महत्वपूर्ण नस्लों का यथा-स्थान/बाह्य स्थान संरक्षण • 7 पशुधन और कुक्कुट नस्लों के लक्षणों में सुधार • अच्छी किस्म के बैल (मवेशी और भैंस) से 4.0 लाख फ्रोजन सीमेन डोज का उत्पादन • 3000 शिशु सुअरों का उत्पादन (8-12 सप्ताह की आयु के) • एक दिन के और 6 सप्ताह की आयु के चूजों और चूजों वाले अंडों का उत्पादन - 6 लाख • पशुधन तथा कुक्कुट रोग निदान के 5 आनुवंशिक मार्करों की पहचान और अपमिश्रकों और पर्यावरण प्रदूषकों के लिए निदान किट विकसित किया जाना • उत्पादकता में सुधार के लिए 14 संसाधन आधारित, क्षेत्र विशिष्ट चारा मॉड्यूल/चारे में मिलाने की सामग्री विकसित किया जाना • सूअर, याक, भेड़, मिथुन और घोड़े के संबंध में एआई प्रोटोकॉल का मानकीकरण • प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए 30 नई/ उन्नत पद्धतियां/पहचान के तरीके विकसित किया जाना • पशु उत्पादों/प्रक्रियाओं (दूध, मांस, ऊन) के उत्पादन की 20 पद्धतियों का विकास	परियोजना क्षेत्रों में पशुधन की उत्पादकता में 1% वृद्धि होने की उम्मीद
8	मत्स्य विज्ञान	446.69 (196.82 करोड़ रुपए वेतन और 134.02 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• मत्स्य संसाधन आकलन के लिए 50 अन्वेषण/सर्वेक्षण किया जाना • व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पालन-योग्य समुद्री फिनफिश प्रजातियों के लिए 1 मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी विकसित किया जाना • 3 स्थानों पर खुले समुद्र में केज फार्मिंग के तरीकों का प्रदर्शन • सजावटी मछली प्रजातियों के 1 प्रजनन प्रोटोकॉल का विकास • फिनफिश/घोंघा प्रजातियों के लिए 2 ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास • 1 मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित किया जाना • दक्ष और कम लागत का 1 स्वदेशी फीड फॉर्मुलेशन विकसित किया जाना • 3 स्थानों पर अंतर्देशीय खुले जल भंडार के लिए केज और पेन पालन प्रोटोकॉल का विकास और प्रदर्शन • विविध और जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए फिशिंग गियर डिजाइन का विकास - 1 डिजाइन • 2 मूल्य संवर्धित और तैयार खाद्य उत्पादों का विकास	परियोजना क्षेत्रों में अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन में 4 से 6% तक वृद्धि

			• 30 मत्स्य प्रजातियों का आनुवंशिक लक्षण वर्णन • 80 स्नातकोत्तर/डॉक्टोरल उपाधि कार्यक्रमों का संस्थाकरण • 3500 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का आयोजन	
9	कृषि शिक्षा	805.95 (83.632 करोड़ रुपए वेतन और 31.5 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 71 संस्थानों में छात्र सुविधाओं और संकाय सुविधाओं का सृजन • उत्कृष्टता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20 प्रौद्योगिकीय प्रसार मॉड्यूल विकसित किया जाना • स्नातक पूर्व की शिक्षा ले रहे 47250 छात्रों को लक्ष्य करके छात्र 'आरईडीएवाई' अनुभवजन्य शिक्षा और आरएडब्ल्यूई/इन-प्लांट प्रशिक्षण/ इंटर्नशिप के लिए 20 मॉड्यूल विकसित किया जाना • 6300 छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति (स्नातक पूर्व छात्रों के लिए) • 5250 छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति (स्नातकोत्तर) • 10 पुस्तकालयों का डिजिटीकरण • 10 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रणालियों का विकास • नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना • कृषि नीति अनुसंधान पर 14 संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययनों का आयोजन • कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए 9 सांख्यिकीय पद्धतियों का विकास	छात्रों के नामांकन में 10 प्रतिशत तक वृद्धि की उम्मीद प्रति 1,00,000 किसानों पर 0.01 के अनुपात में कृषि शोधकर्ता/वैज्ञानिक होने की उम्मीद
10	कृषि अभियांत्रिकी	213.54 (129.73 करोड़ रुपए वेतन और 41.13 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 4 उपकरण/औजार विकसित/पुनर्रचित किया जाना • 18 उपकरण/औजारों के वाणिज्यिक परीक्षण की सूचना • 15 प्रक्रिया प्रोटोकॉल का विकास • 16 मूल्य-संवर्धित उत्पादों का विकास • 12000 उत्पाद नमूनों का परीक्षण • प्रयोगों/पूर्वानुमानों/नमूनों/सर्वेक्षणों/सांख्यिकीय आनुवंशिकी/जैव-सूचना विज्ञान के डिजाइन के लिए 10 पद्धतियां विकसित किया जाना	परियोजना क्षेत्रों में इनपुट उपयोग दक्षता में 20% तक वृद्धि की उम्मीद
11	कृषि विस्तार (केवीके)	887.73 (652.88 करोड़ रुपए वेतन और 2.34 करोड़ रुपए पेंशन सहित)	• 1.37 लाख फार्मों पर परीक्षणों और फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का आयोजन • 15.2 किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण • 21000 टन बीजों का उत्पादन • 231 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन • 120 पशुधन नस्लों और छोटी मछलियों का उत्पादन • मिट्टी और पानी के 3.5 लाख नमूनों का परीक्षण	प्रौद्योगिकी अपनाए जाने की दर में 10% तक वृद्धि की उम्मीद और उत्पादकता में परिणामी वृद्धि

*सहायता अनुदान वेतनों सहित

@प्रशासनिक प्राविधिकताओं के कारण यह आईसीएआर मुख्यालय के तहत एक गैर-स्कीम घटक है।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 3: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	नील क्रांति	400.73	मछली उत्पादन में 7.05 लाख टन तक की वृद्धि	मछली निर्गम में 6.1% वृद्धि
2	श्वेत क्रांति			
(क)	पशु संजीवनी	47.40 (*)	दूध देने वाले 20 मिलियन पशुओं का यूआईडी में पंजीकरण; दूध देने वाले 20 मिलियन पशुओं को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाना	वर्ष 2020 तक दुग्ध उत्पादन में 20% वृद्धि
ख	विभाग/मंत्रालय की अन्य प्रमुख प्रदेय सेवाएं			
1	स्व-नियोजित डेयरी इकाइयों की स्थापना (एनएलएम और एनपीडीडी सीएसएस) मैत्री (बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) को प्रशिक्षण (एनपीबीबी) लिंग आधारित सीमेन प्रौद्योगिकी- डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक गुण वाली बछियाओं की उपलब्धता बढ़ाना (यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और मवेशियों की असाधारण नस्लों के लिए डेयरी क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों में उपयोग में लाई जा रही है)	258.65 (*)	• 17600 स्व-नियोजित डेयरी इकाइयों की स्थापना • 3000 बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रशिक्षण • 1.50 लाख खुराक - डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उच्च आनुवंशिक गुण वाली बछियाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए	88000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन; कृत्रिम गर्भाधान में 5-10% तक वृद्धि दुग्ध उत्पादन में 9000 करोड़ रुपए मूल्य तक की वृद्धि

(*) अनंतिम

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 4: परमाणु ऊर्जा विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
क. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1.	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड	29.73	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रापण और स्थापना, मुख्यालय में मौजूदा भवन का नवीकरण और उन्नयन, मुख्यालय, आरआरसी कोलकाता और चेन्नई में नए भवन का निर्माण, एईआरबी मुख्यालय में नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल आपात निगरानी प्रकोष्ठ (एनआरईएमसी) विकसित किया जाना।	आरआरसी, कोलकाता और चेन्नई में भवनों का निर्माण लगभग 10-15% पूरा और सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद मुख्यालय में नए भवन के निर्माण की शुरुआत।
2.	अनुसंधान केन्द्र, मुंबई (बीएआरसी)	982.32	राष्ट्रीय पर्यावरणीय विकिरण निगरानी नेटवर्क और राष्ट्रीय डोज रजिस्ट्री प्रणाली की स्थापना।	राष्ट्रीय पर्यावरणीय विकिरण निगरानी नेटवर्क से रेडियो एक्टिव सामग्री के पर्यावरणीय अध्ययन संचालित करने और विकिरण मात्रामिति के लिए उन्नत तकनीकों के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
3.	अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम (आईजीसीएआर)	294.07	नाभिकीय ऊर्जा के लिए सामग्री और नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास	अनुसंधान और विकास क्षेत्र में 40 परियोजनाओं में से, 11 परियोजनाएं मार्च, 2017 तक पूर्ण कर लिए जाने के लिए निर्धारित हैं और 14 परियोजनाएं मार्च, 2018 तक पूरी कर ली जाएंगीं। आई एंड एम क्षेत्र के अंतर्गत एक परियोजना मार्च, 2018 तक पूरी कर ली जाएगी।
4.	अनुसंधान केन्द्र, इंदौर (आरआरसीएटी)	152.53	इंदौर शहर में सब्जी मंडी में स्थापित किए जा रहे कृषि विकिरण प्रसंस्करण केन्द्र पर 5 किलोवाट, 10 एमईवी इलेक्ट्रॉन लाइनेक का प्रचालन	5 किलोवाट, 10 एमईवी इलेक्ट्रॉन लाइनेक के प्रचालन से 1 जीइवी उच्च तीव्रता प्रोटॉन लाइनेक कार्यक्रम के लिए 650 मेगाहर्ट्ज वाली पांच-सेल की सुपरकंडक्टिंग नाइओबियम केविटी विकसित होगी।
5.	अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता (वीईसीसी)	73.50	नाभिकीय भौतिकी और उच्च ऊर्जा भौतिकी अनुसंधान के लिए मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना, उन्नत कंप्यूटिंग, एएनयूआरआईबी की डिजाइन और सुपरकंडक्टिंग एक्सीलरेटर कम्पोनेंट तथा उन्नत डिटेक्टर विकसित किया जाना।	मेडिकल साइक्लोट्रॉन की स्थापना, उन्नत कंप्यूटिंग, एएनयूआरआईबी की डिजाइन और सुपरकंडक्टिंग एक्सीलरेटर कम्पोनेंट के विकास से नाभिकीय भौतिकी में भावी अनुसंधान सुगम हो सकेगा।
6.	अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद (एएमडी)	122.50	यूरेनियम भंडार का संवर्धन (टन)	20,000 टन यूरेनियम संसाधनों का संवर्धन होगा।
7.	ईंधन चक्र केन्द्र (एनआरबी)	500.00	वीडब्ल्यूएसएफ का निर्माण पूरा किया जाना और आईएनआरपी का निर्माण करना	इस निर्माण से नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के लिए ईंधन की आपूर्ति में सुधार होगा।
8.	आवासीय परियोजनाएं	220.15	आवासीय परियोजना	एचबीएन1 प्रशिक्षुओं के लिए 752 एकल आवास और विवाहित लोगों के लिए 280 आवास वाले छात्रावास भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा।

9.	नाभिकीय चक्र परियोजना (एनएफसी)	156.95	एनपीसीआईएल द्वारा काकरापार और रावतभाटा में 4x700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन बंडलों के उत्पादन के लिए 65 टीपीवाई जिरकालोय फैब्रिकेशन के साथ 500 टीपीवाई 37 ऐलीमेंट पीएचडब्ल्यूआर ईंधन फैब्रिकेशन केन्द्र स्थापित किया जाना और एनएफसी, हैदराबाद में उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अवसंरचना के संवर्धन में प्रगति।	एनएफसी-कोटा में संयंत्र और गैर-संयंत्र भवनों के सिविल कार्य में 10% भौतिक प्रगति और एनएफसी, हैदराबाद में कुछ उपकरणों का प्रापण तथा अवसंरचना में संवर्धन 2017-18 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा
10.	भारी जल उत्पादन सुविधा	46.20	ओ18 पानी के उत्पादन संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया जाना, दुर्लभ पदार्थ के उत्पादन के लिए परियोजना-पूर्व कार्य, प्रचालक प्रशिक्षण सिम्युलेटर सुविधा, एच2एस और पर्यावरणीय वायु निगरानी सुविधा, अग्नि और सुरक्षा प्रणाली संवर्धन, मनुगुरु और थाल में रैट्रोफिटिंग कार्य	ओ18 के संवर्धन के लिए संयंत्र के निर्माण का 10% भौतिक कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके पूर्ण होने पर भारी जल के उत्पादन में सुधार होगा।
11.	विकिरण और आइसोटोप सुविधा (बीआरआईटी)	124.50	'फिशन मोली' के उत्पादन के लिए संयंत्र मशीनरी और उपकरण स्थापित करने के लिए सिविल निर्माण पूरा किया जाना	इर-रेडिएटिड सीओ-60 के भंडारण की क्षमता में वृद्धि।
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	314.35	भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	अनुसंधान और विकास परियोजना से न्यूट्रिनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई जानकारी का पता लगेगा।
13.	परमाणु ऊर्जा विभाग आई एंड एम परियोजनाएं	48.89	विदेश में यूरेनियम परिसंपत्ति का अधिग्रहण, रेडियो-धर्मिता से सुरक्षा और थोरियम ऑक्सालेट का लंबी अवधि के लिए भंडारण	विदेश में यूरेनियम परिसंपत्ति के अधिग्रहण, रेडियो-धर्मिता से सुरक्षा और थोरियम ऑक्सालेट के लंबी अवधि के लिए भंडारण से नाभिकीय ईंधन सुरक्षा सुदृढ़ होगी और नाभिकीय घटनाओं से बचाव होगा।
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग विद्युत परियोजना (एसएचडब्ल्यूआर)	21.00	वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त होने के बाद परियोजना शुरू की जा सकती है	
15.	ईंधन चक्र परियोजनाएं एफआरएफसीएफ	420.00	• नाभिकीय द्वीप में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, कोर सब-असेम्बली संयंत्र, रिप्रोसेस्ड यूरेनियम संयंत्र, ईंधन फेब्रिकेशन संयंत्र, ईंधन रिप्रोसेसिंग संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू होगा • आवास (चरण-01) का निर्माण कार्य शुरू होगा • विकिरण निगरानी उपकरण, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन (पंखे और स्पंज) का प्रापण	• नाभिकीय द्वीप में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, सीएसपी, रिप्रोसेस्ड यूरेनियम संयंत्र, ईंधन फेब्रिकेशन संयंत्र के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा • ईंधन फेब्रिकेशन संयंत्र का निर्माण अग्रिम चरण में। • आवास (चरण -1) का निर्माण कार्य पूरा किया जाना • आवास (चरण -2) का निर्माण कार्य शुरू होगा • विकिरण निगरानी, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन उपकरण की डिलीवरी का कार्य पूर्ण होना।
ख.	**स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**			
16.	सहायता प्राप्त संस्थान	2179.38	कृषि, कैंसर और उससे संबंधित टर्मिनल बीमारियों के उपचार,	अनुसंधान और विकास से नाभिकीय क्षेत्र में भावी कार्रवाई निर्धारित हो सकेगी।

			जल उपचार आदि के क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास। समाज के कल्याण के लिए नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और संबंधित कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास	
17.	लोक उद्यमों में निवेश एनपीसीआईएल और भाविनि	620.00	कलपक्कम, तमिलनाडु में पीएफबीआर, (1X500 मेगावाट) 2017-18 में पूरा होने की संभावना है। काकरापार, गुजरात में केएपीपी 3 और 4 (2 x 700 मेगावाट) के 2019-20 में पूरा होने की उम्मीद है। रावतभाटा, राजस्थान में आरएपीपी 7 और 8 (2 x 700 मेगावाट) 2020 में पूरा होने की उम्मीद है	पीएफबीआर कलपक्कम पूर्ण होने पर वर्ष 2017-18 में और काकरापार परियोजना पूर्ण होने पर वर्ष 2019-20 में बिजली का उत्पादन होगा।
जोड़		**6306.07**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 5: आयुष मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें			
1.	राष्ट्रीय आयुष मिशन	440.00	• 1750 सह-स्थानी आयुष इकाइयों में आयुष सेवाओं में वृद्धि किया जाना • 250 अतिरिक्त इकाइयों में सह-स्थानी आयुष इकाइयां बढ़ाया जाना • सभी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए 8750 इकाइयों में आयुष सेवा प्रदाय में वृद्धि किया जाना • अंनन्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के लिए 7875 आयुष इकाइयों में आयुष सेवाओं में वृद्धि किया जाना • आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन करके 525 अतिरिक्त आयुष इकाइयां बढ़ाया जाना • 50 तक की बिस्तर सुविधा वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों वाली 35 आयुष इकाइयों में आयुष सेवाओं में वृद्धि किया जाना • 50 तक की बिस्तर सुविधा वाले एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए 26 अतिरिक्त आयुष इकाइयां बढ़ाया जाना	सह-स्थान के माध्यम से सभी के लिए कम लागत की आयुष सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। आयुष अस्पतालों और औषधालयों में आवश्यक आयुष दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना।
ख.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
2.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	24.00	• विशेषज्ञता वाली पांच और ओपीडी जोड़ा जाना • 84 सीटों के लिए स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) के द्वितीय बैच का दाखिला।	बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेषज्ञता वाली पांच ओपीडी जोड़ा जाना; प्रति वर्ष स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) की 84 सीटें बढ़ाया जाना।
3.	अनुसंधान परिषदें तीन परिषदों- सीसीआरएएस, सीसीआरएच और सीसीआरयूएम द्वारा **आयुष** को कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ जोड़ा जाना।	41.00	• कवरेज क्षेत्र: 6 राज्यों (3 + 2 + 1) में 6 जिले (3 + 2 + 1) • प्रतिभागी स्थान: (जिला अस्पताल/ सीएचसी/सीएचएनसी/बीपीएचसी) 90 (55 + 18 + 17) • शामिल रोग: 5 (कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डायस्लिपीडेमिया और हेमीप्लीजीआ) • शामिल आबादी/ स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी: लगभग 97 लाख (25 +64 + 8)	गैर-संक्रामक रोगों के उपचार के लिए आयुष संसाधनों और चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 6: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	असम गैस क्रैकर परियोजना	100.01	यह परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है। परियोजना के संशोधित लागत आकलन की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है।	इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने में निवेश होगा और काफी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा।
2	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)	68.08	• नए सीआईपीईटी केन्द्र स्थापित किया जाना • सीआईपीईटी केन्द्रों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराना • अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए मशीनरी का प्रापण और स्थापना	प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्रों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना, अनुसंधान और विकास के जरिए प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, उद्योग को प्रौद्योगिकी सहायता
3	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नॉलोजी (आईपीएफटी)	9.16	कीटनाशी फॉमुलेशन में वृद्धि के लिए अवसंरचना और सुविधाएं स्थापित करना	व्याणिज्यकरण के लिए नए कीटनाशी फॉर्मुलेशन तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास।
4	रसायन संवर्धन विकास स्कीम (सीपीडीएस)	1.99	लगभग 45-47 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन विचाराधीन है।	जिन कार्यों के लिए धनराशि दी जाती है वे अधिकांशतः एकबारगी कार्य है और मानदण्ड के आधार पर उनकी तुलना और गणना नहीं की जा सकती। इन विचार-विमर्शों से प्राप्त निर्गम रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने में इनपुट का काम करेंगे।
5	पेट्रो-रसायन की नई योजनाएं (48.00)			
5.1	विशिष्ट प्लास्टिक पार्कों की स्थापना	47.00	• मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्कों की समग्र रूप से 100% भौतिक प्रगति • असम प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 100% भौतिक प्रगति • ओडिशा प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 60% प्रगति • तमिलनाडु प्लास्टिक पार्क की समग्र रूप से 40% प्रगति	लगभग 19000 व्यक्तियों को रोजगार
5.2	पैट्रो-रसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	1.00	पेट्रो-रसायन उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए अन्वेषकों को प्रेरित करके नवाचारी प्रौद्योगिकियों (20 नई प्रौद्योगिकियां) का विकास	पॉलिमर और प्लास्टिक उद्योग में मौजूदा उत्पादों के कार्य-निष्पादन/ गुणवत्ता में सुधार।

6	भोपाल गैस रिसाव आपदा	25.74	25.74 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 20 करोड़ रुपए भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान, 5.64 करोड़ रुपए कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय की स्थापना के लिए, 5 लाख रुपए पेशेवर सेवाओं के लिए और 5 लाख रुपए विनिमय दरों में बदलाव के लिए है।	कल्याण आयुक्त का कार्यालय भोपाल गैस पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का संवितरण करता है। नवम्बर, 2016 तक यथा-अनुपात क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए लगभग 11,313 और अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 5836 मामले लंबित हैं।
	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल)	24.61	कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सम्प्रभु गारंटी (100 + 150 करोड़) से कंपनी द्वारा जारी किए गए घटक के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।	बॉन्ड्स पर ब्याज के भुगतान में चूक और बैंकरों द्वारा सम्प्रभु गारंटी मांग लिए जाने से बचने के लिए।
8.	सचिवालय/आर्थिक सेवाएं*	20.41	वेतन और विभाग के कार्यालय व्यय के भुगतान के लिए इस शीर्ष के तहत व्यय आकस्मिक स्वरूप का है।	
जोड़-		**298.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 7: उर्वरक विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
1	**पोषण आधारित राजसहायता**			
1.1	स्वदेशी पी एंड के	12,317.00	एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता देकर किसानों को वहनीय दरों पर लगभग 174.94 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) स्वदेशी पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराया जाना	सुझाए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर किसानों को स्वदेश निर्मित पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता से मिट्टी में पीएंडके पोषकों के अनुप्रयोग में सुधार होगा जिससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो सकेगा अर्थात् एनःपीःकेः अनुपात में सुधार होगा
1.2	आयातित पी एंड के	7,900.00	राजसहायता देकर वहनीय दरों पर 80.90 लाख मीट्रिक टन आयातित पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराया जाना	उर्वरकों का संतुलित उपयोग, जिससे एनःपीःकेः अनुपात में सुधार होगा
1.3	सिटी कम्पोस्ट	15.00	राजसहायता देकर किसानों को किफायती दरों पर 1.00 लाख मीट्रिक टन सिटी कम्पोस्ट उपलब्ध कराया जाना	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और शहरी अपशिष्ट के लाभकारी उपयोग के लिए सिटी कम्पोस्ट का उपयोग; जैव उर्वरकों का अधिक उपयोग और कृषि उत्पादन में वृद्धि
2	**यूरिया राजसहायता**			
2.1	मालभाड़ा राजसहायता के साथ स्वदेशी यूरिया	40,000.00	किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक एमआरपी पर लगभग 248 लाख मीट्रिक टन स्वदेश निर्मित यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा	किसानों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और देश में अधिकाधिक खाद्य उत्पादन होगा
2.2	आयातित यूरिया	14,000.00	लगभग 71 लाख टन यूरिया आयात किए जाने की उम्मीद है	यूरिया के आयात से मांग और उत्पादन का अंतर खत्म हो जाएगा। इससे किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित सांविधिक एमआरपी पर यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी
जोड़- केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें		**74,232.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 8: औषध विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	प्रधानमंत्री जन औषधि योजना	103.79	100 अतिरिक्त जन औषधि स्टोर	किफायती मूल्यों पर दवाएं मिलना
2	एनआईपीईआर	1261.3	फार्मा विशेषज्ञों की संख्या बढ़कर 590 (पीजी: 550, पीएचडी: 40)	फार्मा सेक्टर में अनुसंधान और विकास; गुणवत्ता आश्वासन; बौद्धिक सम्पदा; विपणन, उत्पादन और बिक्री में विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 9 - नागर विमानन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
(क) एयर इंडिया लिमिटेड (आई एंड ईबीआर)				
	हवाई जहाज प्राप्त किए जाने हैं	218.00	6	पहले से अधिक संख्या में यात्रियों को ढोने की क्षमता में वृद्धि
	अन्य पूंजीगत व्यय	290.00	रखरखाव और प्रशिक्षण, एमआरओ, आईटी प्रणाली जैसी सहायक अवसंरचना का सृजन	प्रचालन दक्षता के लिए अपेक्षित हवाई जहाज रखरखाव, जमीनी उपकरण आदि के लिए अवसंरचना और सहायता प्रणाली
	एयर इंडिया (जीबीएस)			
	कायापलट योजना के अनुसार इक्विटी निवेश	1800.00	कायापलट योजना के अनुसार	एअर इंडिया में प्रचालन दक्षता के लिए और कंपनी को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कायापलट योजना अनुमोदित की गई है
जोड़ क		2308.00		
(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई एंड आईईबीआर)				
1	पश्चिमी क्षेत्र	68.50	नई सुविधाएं जैसे हैंगर, एटीसी टावर, टर्मिनल भवन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा अवसंरचना, मार्गनिर्देशन सुविधाएं	इन सुविधाओं से ट्रैफिक संभालने की हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि होगी।
2	दक्षिणी क्षेत्र	253.00		
3	उत्तरी क्षेत्र	124.00		
4	पूर्वी क्षेत्र	402.20		
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	60.00		
7	सूचना प्रौद्योगिकी	45.61		
8	सुरक्षा अवसंरचना	43.00		
9	तकनीकी विभाग	15.00		
10	सीएनएस आयोजना विभाग	163.60		
जोड़ ख		1174.91		
(ग) पवन हंस लिमिटेड (आईईबीआर)				
1	मध्यम और भारी हेलीकाप्टरों का अधिग्रहण:-	241.00	5	नए हेलीकाप्टरों का अधिग्रहण किया जाएगा जिससे ओएनजीसी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जैसे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी
2	रोहिणी में एमआरओ का विकास, ग्रेटर नोएडा में हेलीपोर्ट बनाना और पूर्वोत्तर परिषद के साथ संयुक्त उद्यम	65.50	चरण-II में एमआरओ सुविधाओं का निर्माण: हवाई जहाजों के रखरखाव के लिए हैंगरों के पास वर्कशॉप/एमआरओ भवन और सहायक कार्यालयों का प्रावधान	एमआरओ सुविधाओं से हेलीकॉप्टरों के बेहतर रखरखाव और सुरक्षित प्रचालन में मदद मिलेगी।
3	भवन परियोजनाएं	2.40	कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रों में कई तरह की सिविल/विद्युत परियोजनाएं	

4	अन्य पूंजीगत व्यय	5.10	पुराने वाहनों को बदला जाना और जूहू, मुम्बई में वर्कशॉप का विकास	
5	उपस्कर की खरीद	2.50		
जोड़		316.50		
(घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (जीबीएस)				
1	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय	45.00	हॉस्टल ब्लॉक - कार्य अंतिम चरण में है और शीघ्र सौंप दिया जाएगा	यह विश्वविद्यालय के चरण-1 की अवसंरचना के सृजन के लिए है
जोड़		45.00		
(ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (जीबीएस)				
1	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो प्रणाली	41.00	रेडियोलॉजिकल संसूचन उपकरणों की स्थापना, नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण अकादमी का गठन करना, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का पुनर्गठन, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (मुख्यालय) के कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था आदि	विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानक/पद्धतियों का संवर्धन जो सुरक्षित प्रचालन और यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है
जोड़		41.00		
(च) नागर विमानन महानिदेशालय (जीबीएस)				
1	नागर विमानन महानिदेशालय	79.50	मशीनरी और उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण अकादमी, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना और नागर विमानन महानिदेशालय के मुख्यालय भवन के लिए स्थान	आधुनिकीकरण और उपकरणों के प्रापण से दुर्घटना/घटना की जांच, उड़न-योग्यता की निगरानी, उड़ान कार्यकलाप को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन आदि के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यचालन का उन्नयन होगा। प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि से अधिकारियों के कार्य निष्पादन में सुधार होगा और वे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों से अवगत रहेंगे।
जोड़		79.50		
कुल परिव्यय		**3964.91**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 10: कोयला मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-2018**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	200.00	8 मिलियन घन मीट्रिक टन रेत की भराई	भूमिगत रेत भराई वाली खानों से 6.67 मिलियन टन कोयला उत्पादन
2.	कोयला खान क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	299.50	रेल साइडिंग सहित 70 किमी. सड़क और रेल की पटरी का निर्माण	21 मिलियन टन कोयला निकाला जाना
3.	पर्यावरण संबंधी उपाय और अवतलन नियंत्रण	0.50	झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में खान अग्नि और अवतलन को नियंत्रित करना और पुनर्वास	झरिया में 40,426 परिवारों (गैर-बीसीसीएल) और रानीगंज में 14,866 परिवारों (गैर-ईसीएल) का पुनर्वास
4.	क्षेत्रीय अन्वेषण	60.00	0.75 लाख मीटर ड्रिलिंग	2 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला रिजर्व
5.	विस्तृत अन्वेषण	115.00	2 लाख मीटर ड्रिलिंग	5 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला रिजर्व में मदद मिलेगी (लगभग 5 भू-विज्ञानी रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार की गईं और दिए जाने हेतु 16 ब्लॉकों का उल्लेख किया गया)
6.	अनुसंधान और विकास	10.00	2 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी	• पुनः चालू की गई खुली कोयला खान पर टिकाऊ आजीविका कार्यकलाप • परित्यक्त कोयला खानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना • कोयला धूल दबाने की प्रणाली तैयार करना • पर्यावरण की निगरानी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना और कोयले को तरल बनाने के उत्प्रेरकों और सीसीटी को स्वदेशी तरीके से विकसित किया जाना। • धंसाव और हाईवॉल फेलियर की रोकथाम के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास।
जोड़		**685.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 11 - वाणिज्य विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	शिपमेंट पूर्व और शिपमेंट पश्चात् रुपया निर्यात ऋण संबंधी ब्याज समकरण योजना	1100.00	• 96,000 करोड़ रुपए के मूल्य के शिपमेंट व्यापार को ब्याज समकरण कवरेज प्रदान किया जाना • ब्याज समकरण की दर 3% होगी • एमएसएमई के समस्त निर्यात और 416 प्रशुल्क लाइनों के लिए स्कीम उपलब्ध है	अभिज्ञात निर्यात क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात निष्पादन का उच्चतर स्तर प्राप्त करने में स्कीम से मदद मिलेगी
2	राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा	440.00	• राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा की बीमा क्षमता को 2017-18 में 16,000.00 करोड़ रुपए बढ़ाया जाना	राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा के माध्यम से परियोजना निर्यात का अधिकाधिक कवरेज सुनिश्चित करना
3	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) - परिवहन सहायता, अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणता नियंत्रण स्कीम, एन.ई.आर., अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	92.50	• अभिज्ञात बागवानी, प्रसंस्कृत खाद्य, कुक्कुट और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन सहायता • एपीडा (90% सहायता अनुदान) या किसी अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसी द्वारा सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना • पशु उत्पाद, बागवानी, और पुष्पकृषि क्षेत्र के लिए विशिष्ट परिवहन वाहनों की खरीद के लिए सहायता (लागत का 40%, भारतीय मुद्रा में 7.5 लाख रुपए प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) • उच्च आर्द्रता, कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर आदि जैसी विशिष्ट भंडारण सुविधाएं स्थापित करना	• कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि • निर्यातक की आय में वृद्धि • पूर्वोत्तर क्षेत्र और अनुसूचित जाति समुदाय पर पहले से अधिक ध्यान
4	**चाय** - बागान विकास, गुणता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण, छोटे उत्पादकों का विकास, मानव संसाधन विकास, बाजार संवर्धन, राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास	160.10	• 9,975 हेक्टेयर पुनःरोपित/प्रतिस्थापित रोपण • 1,575 हेक्टेयर नया रोपण • आधुनिक कारखानों की 168 इकाइयां • 126 मिलियन किलो के लिए परम्परागत उत्पादन राजसहायता दी जानी है • 105 स्वयं सहायता समूह और विशेष पैकेज का गठन किया जाना • लघु अवधि व्यावसायिक प्रशिक्षण के 5,250 लाभार्थी स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में नए कौशल, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं • 229 मिलियन किलो निर्यात का लक्ष्य • स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने वाले 40 आयोजन	• प्रौद्योगिकीय उन्नति और सघन अंगीकरण के माध्यम से भारत में चाय बागानों के उत्पादन और उत्पादकता में समग्र सुधार। • निर्यात के नए अवसरों के साथ बाजार तक बेहतर पहुंच • चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
5	**कॉफी - केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमः** सतत् कॉफी उत्पादन के लिए	140.10	• 325,000 मीट्रिक टन कॉफी उत्पादन • 25,000 मीट्रिक टन कॉफी बीज उत्पादन • श्रमिकों और छोटे कॉफी उत्पादकों के	• प्रौद्योगिकीय उन्नति और सघन अंगीकरण के माध्यम से कॉफी के उत्पादन और उत्पादकता में समग्र सुधार।

	एकीकृत कॉफी - अनुसंधान और विकास, तकनीक का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, परम्परागत क्षेत्रों, गैर-परम्परागत क्षेत्रों, पूर्वोत्तर में कॉफी के लिए विकास सहायता, कॉफी के लिए वर्षा बीमा स्कीम, कॉफी एस्टेट प्रचालनों का मशीनीकरण, निर्यात संवर्धन, बाजार विकास, मूल्य संवर्धन के लिए सहायता		कल्याण के तहत 6500 लाभार्थी लाए जाने हैं • परम्परागत क्षेत्रों में 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित (पुनःरोपित/विस्तारित) किया जाना है • गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 7,500 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित (पुनःरोपित/विस्तारित) किया जाना है • वर्षा बीमा स्कीम से 1000 छोटे कॉफी उत्पादकों (<10 हेक्टेयर) को लाभ • 275,000 मीट्रिक टन कॉफी निर्यात • 14000 मीट्रिक टन उच्च मूल्य कॉफी का निर्यात • 6 क्रेता-विक्रेता सम्मेलन	• कम/ज्यादा वर्षा के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाना • कॉफी निर्यात के मूल्य में वृद्धि • पारंपरिक रूप से कॉफी न पीने वाले क्षेत्रों में पैठ बनाकर कॉफी के घरेलू उपभोग में भी वृद्धि
6	**मसाले: निर्यातोन्मुख उत्पाद** - पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के शेष हिस्से से छोटी/बड़ी इलायची, निर्यात विकास और संवर्धन, निर्यातोन्मुख अनुसंधान	82.10	• 1,320 हेक्टेयर छोटी इलायची उत्पादन क्षेत्र में पुनःरोपण किया जाना है • 935 हेक्टेयर बड़ी इलायची उत्पादन क्षेत्र में पुनःरोपण किया जाना है • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 660 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सिरे से रोपण किया जाना है • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11 बड़ी इलायची उपचार कक्षों (संशोधित भट्टी) की स्थापना • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,650 हेक्टेयर जैविक खेती • 2 जैविक बीज बैंकों की स्थापना (प्रत्येक 4 हेक्टेयर) • 22 इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना • पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 निर्यातोन्मुख मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना • व्यापार के लिए नमूने विदेश भेजना	• चुनिंदा मसालों (छोटी/बड़ी इलायची, अदरक और हल्दी) के उत्पादन और उत्पादकता में समग्र सुधार • मसाला उत्पादकों, निर्यातकों की आय में वृद्धि • फसल कटाई से पहले और बाद के क्षेत्रफल में वृद्धि करके पहले से अधिक क्षेत्र में उत्पादन किया जा रहा है। • हमारे निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुंच में वृद्धि
7	**बाजार तक पहुंच के लिए पहल (एमएआई)**	**203.50**	एमएआई और एमडीए स्कीमों को अगले वर्ष मिला दिए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रकार एक समेकित स्कीम होगी। भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	• स्कीम के तहत निरंतर कार्यों से दीर्घकाल में भारत के निर्यात में वृद्धि होगी।
8	**ईसीजीसी में निवेश**	**50.00**	ईसीजीसी लि. की प्रदत्त पूंजी बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो जाएगी	• निर्यातकों और बैंकों को कवर प्रदान करना। निवल संपत्ति में वृद्धि से ईसीजीसी भारत से और ज्यादा निर्यात समाविष्ट कर सकेगा।
9	**<u>रबर बोर्ड-</u>** रबर बागान विकास और विस्तार, रबर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उन्नयन और और आरपीएस कंपनियों को सहायता, बाजार संवर्धन	**142.60**	• ओएनईआर-8500 हेक्टेयर, 1115 हेक्टेयर जनजातीय रोपड़- अनुरक्षण • एनईआर-100000 हेक्टेयर रोपड़, 273 हेक्टेयर जनजातीय रोपड़ अनुरक्षण • 8000 क्रॉस पोलीनेशन, 1500 हाईब्रिड बीजों का उत्पादन, 15000 नए क्लोनों की न्यूक्लियस रोपड़ सामग्री की कलियों की आपूर्ति	• उत्पादकता और निवल आय बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट और किसान अनुकूल पद्धतियों की उपलब्धता में वृद्धि। • उत्पादन की लागत को कम से कम रखना • फसल प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर जानकारी में वृद्धि • रबर की बिक्री में सुधार • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रबर पर

			• 2 एनआर और रबरवूड के प्रसंस्करण के लिए गुणता नियंत्रण उपायों का उन्नयन • स्वदेशी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बाजार और सम्पर्क कार्यक्रमों के लिए 100000 एनआर की ब्रांडिंग • निर्यात बाजार प्रोत्साहन स्कीम के लिए 10000 एनआर की ब्रांडिंग	आधारित उत्पाद अपनाए जाने में वृद्धि।
10	<u>एमपीईडीए-</u> मत्स्य पालन, अवसंरचना तैयार किया जाना और मूल्य संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास, बाजार संवर्धन, मत्स्य पालन के लिए स्थान की प्राप्ति, गुणता नियंत्रण	105.00	• हैचरी - 9, ईटीएस इकाइयां -18, फार्म क्षेत्र - 850 हेक्टेयर, 7 नर्सरी, 30 केज कल्चर इकाइयां, 17 एक्वा सोसाइटी	• हैचरियों को सहायता से निर्यात योग्य प्रजातियों के 2160 मिलियन बीजों का उत्पादन होगा जिससे 1550 करोड़ रुपए के मूल्य के निर्यात के लिए 39600 मीट्रिक टन उत्पादन हो सकेगा। • उत्पाद नवाचार तथा मछली और मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए अवसंरचना विकास और कोल्ड चेन का विकास • निर्यातोन्मुख एक्वाकल्चर उत्पादन को बढ़ाना, • भारतीय समुद्री-खाद्य को बढ़ावा देना, इसका मूल्य संवर्धन, ब्रांड तैयार करना और नए बाजार खोजना • फसलोत्तर रखरखाव में सुधार और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का समुद्र में परीक्षण, मछली पकड़ने की यात्राओं में लगने वाले समय में कमी। • प्रसंस्करण इकाइयों, हैचरियों और एक्वाकल्चर फार्मों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने स्वयं की परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर सकें, समुद्री-खाद्य सुरक्षा संकट के लिए नवीनतम परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना।
	जोड़	**2,515.90**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 12: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
1.	निवेश संवर्धन स्कीम	272.48	• "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018" में भारत के रैंक को सुधारना, वर्ष 2017-18 में रैंक 90 और वर्ष 2020 तक इसे 30 तक लाना • मेक इन इंडिया के तहत 25 चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से लक्षित निवेश हेतु चहुंमुखी जागरूकता अभियान चलाना	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर रैंक और भारत में विनिर्माण क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में अधिक जागरूकता के परिणामस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में विकास होगा।
2.	औद्योगिक कॉरिडर विकास	1044.80	धौलेरा, शेन्द्रा में सड़कों एवं सेवाओं, प्रशासनिक एवं व्यापारिक केन्द्र, जल शोधन संयंत्र, सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र और सीवेज शोधन संयंत्र आदि। ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और विक्रम उद्योगपुरी	क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के विकास से हरित औद्योगिक क्षेत्र का रास्ता खुलेगा तथा क्षेत्र के आगे के विकास को गति मिलेगी।
3.	भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	500.00	• चर्म क्षेत्र में 175 इकाइयों का आधुनिकीकरण • आरओ इंस्टालेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित एक सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र का उन्नयन एवं स्थापना • 1 विशाल चर्म क्लस्टर की स्थापना • चर्म क्षेत्र में 1.70 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण • बनूड़ (पंजाब) में फुटवियर डिजाइन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट की एक नई शाखा की स्थापना	• आधुनिक चर्म इकाइयों, क्लस्टर एप्रोच एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना के परिणामस्वरूप चर्म क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी • अधिक सीईटीपी से यह सुनिश्चित होगा कि इकाइयां पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों को पूरा कर रही हैं • इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा न्यूनतम 3.8 लाख कुशल जनशक्ति को रोजगार
4.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	200.00	• औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम के तहत लंबित सभी परियोजनाओं को पूरा करना • संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम के तहत 10 परियोजनाओं को पूरा किया जाना है	औद्योगिक क्लस्टरों में बेहतर अवसंरचना प्रदान करना जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा
5.	पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन स्कीम	600.00	पूंजी सब्सिडी सुविधा और अन्य प्रचार उपायों का लाभ उठाने वाली इकाइयों की वास्तविक संख्या उद्योगों द्वारा पेश की गई मांग और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किए गए अंतिम सत्यापन पर निर्भर करेगी	इससे पूंजी लागत पर वित्तीय सब्सिडी सहित विभिन्न प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा
6.	परिवहन सब्सिडी स्कीम/माल भाड़ा सब्सिडी स्कीम	293.71	दुर्गम क्षेत्रों में उच्च लागत अदा करने के लिए परिवहन लागत सब्सिडी की मांग करने वाली इकाइयों की वास्तविक संख्या उद्योगों द्वारा पेश की गई मांग और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किए गए अंतिम सत्यापन पर निर्भर करेगी।	परिवहन की उच्च लागत अदा करके पहाड़ी, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।
7.	संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों को परियोजना आधारित सहायता	503.86	औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन में शामिल विभिन्न स्वायत्त निकायों की मांगों को पूरा किया जाएगा।	देश में समग्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
8.	अन्य स्कीमें	194.02	अनेक लघु स्कीमों को उनकी फुटकर मांगें पूरी करने के लिए राशि का संवितरण	विभाग का समग्र उद्देश्य पूरा करने में सहायता मिलेगी।
कुल		**3608.87**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 13: डाक विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	नए पदों का सृजन करके उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शाखा कार्यालय खोलना और परिचालन करना	3.8	246 कार्यालय और 200 आउटलेट खोले जाएंगे	संचार और वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुंच।
2	ग्रामीण अवसंरचना (सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य उपकरण)	17.70	1714 शाखा कार्यालय, 480 लेटर बॉक्स और 10000 चेस्ट	एलबी की बेहतर लक्ष्यता और नकदी की बेहतर सुरक्षा
3	डाक परिचालन (एकीकृत ई-कामर्स/पार्सल केन्द्रों की स्थापना)	32.00		उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं जो बढ़े हुए उपभोक्ता लेनदेनों और आवा-जाही में प्रदर्शित होता है।
4	डाक परिचालन (सड़क परिवहन नेटवर्क और वाहनांतरण सुविधा का विकास)	16.7	एनडीसी की स्थापना एवं एमएमएस कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण - 2 कोलकाता को छोड़कर उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 100 सड़क रूट और 1 एयर ट्रांसपोर्ट रूट, सीएनजी/इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद - 120	
5	ई-कामर्स/पार्सल बुकिंग/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना	110.830	पार्सल केन्द्र - 5 स्वचालित पार्सल किओस्कस - 25	
6	सूचना प्रौद्योगिकी इंडक्शन और आधुनिकीकरण	279.60	अभिनिर्धारित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाना	सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उपभोक्ता संतुष्टि के लिए अवसंरचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाना जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता लेन-देनों, आवा-जाही और राजस्व में वृद्धि होगी।
7	संपदा प्रबंधन	73.5	200 परियोजनाएं, 25 कार्यालय और 15 बिल्डिंग	
8	भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना			
8.1	भारतीय डाक भुगतान बैंक (निवेश) के लिए निगम इकाई में पूंजी लगाना	125.00		
8.2	भारतीय डाक भुगतान बैंक को सहायता - अनुदान	375.00		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 14: दूरसंचार विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
यूएसओएफ (ग्रामीण और दूरस्थ टेलीफोनी के लिए)				
1	8 नेशनल ऑपटिक्ल फायबर नेटवर्क/भारत नेट	10000.00	कुल मिलाकर 1.50 लाख ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी	भारत में सभी ग्राम पंचायतों में आईसीटी एप्लीकेशन की पहुंच
2	रक्षा स्पेक्ट्रम - रक्षा सेवाओं के लिए ऑपटिक्ल फायबर केबल आधारित नेटवर्क)	3000.00	ओएफसी डालना और परियोजना के लिए उपस्कर की खरीद	रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित वैकल्पिक संचार नेटवर्क उपलब्ध करवाना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-2018

मांग सं. 15: उपभोक्ता मामले विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
क	**केन्द्रीय संरक्षण इकाई**			
1	उपभोक्ता मंचों, उपभोक्ता काउँसिलिंग और मध्यस्थता का सुदृढ़ीकरण	17.00	एक राज्य आयोग और 11 जिला मंचों के भवनों का निर्माण	उपभोक्ता मंच की कार्यप्रणाली में सुधार
2	कानफोनेट	10.00	40 उपभोक्ता मंचों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है	मामले की स्थिति, न्यायालय के फैसले आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के लिए सूचना तक आसान पहुंच
3	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	3.00	संगोष्ठियां, बैठकें आदि; उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के व्यय और कानूनी/व्यावसायिक शुल्क का भुगतान	उपभोक्ता समर्थन को बढ़ावा देना
4	उपभोक्ता हेल्पलाइन	2.00	राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन्स चलाने के लिए 16 राज्यों को आवर्ती अनुदान	राज्य स्तर पर उपभोक्ता शिकायतों का निवारण
5	उपभोक्ता जागरूकता (प्रकाशन और प्रचार)	62.00	• अखबारों में विज्ञापन जारी करना, रेडियो चैनलों में श्रव्य झलकियां, टीवी झलकियां एवं बाहरी प्रचार-प्रसार करना • व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना • उपभोक्ता जागरूकता सूचकांक का विकास	मल्टी-मीडिया अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता; ग्रामीण, पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों सहित समग्र जनसंख्या तक पहुंचने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग लेना
6	मूल्य स्थिरीकरण कोष	3500.00	• 4 लाख मी. टन चना • 1 लाख मी. टन मसूर • बफर से निर्गम के आधार पर खरीफ दालों का प्रापण ताकि 20 लाख मी. टन का बफर बरकरार रहे	• प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक • प्याज का बफर स्टॉक • मूल्य स्थिरीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बफर स्टॉक का आबंटन
7	मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना	1.00	• केन्द्र में एनआईसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आईटी/तकनीकी पेशेवरों को काम पर रखना • केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण • स्वतंत्र पेशेवर संगठनों की सेवाएं लेना • मूल्य विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय पैकेज लेना • मूल्य अंतर, कार्मिक प्रशिक्षण आदि के कारणों के आकलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरे	• केन्द्र और राज्य स्तरों पर मूल्य निगरानी की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मूल्य डाटा रिपोर्टिंग, निगरानी एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना, डाटा का प्रमाणीकरण और मूल्य विश्लेषण को सुसाध्य बनाना • मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 105 की गई

ख	**विधिक माप और गुणता आश्वासन**			
8	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बाट तथा माप अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं तथा भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची का सुदृढ़ीकरण	28.00	• मानक प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए जीआईए जारी करना • ब्लड प्रेशर मीटर परीक्षण किटें, टैक्सी मीटर परीक्षण यूनिटें, वाटर बाथ, मानक तुलाएं जैसे मानक उपकरणों का प्रापण/आपूर्ति • विधिक माप अधिकारियों का भारत और विदेश में प्रशिक्षण • अधीनस्थ विधिक माप कार्यालयों का पुनरुद्धार/निर्माण • क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं और आईआईएलएम के लिए मानक जांच उपकरणों का प्रापण • भारत और विदेश में विधिक माप अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नए आरआरएसएल की स्थापना • नए मानकों का विकास और उनका प्रचार	• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एवं विधिक माप और गुणता आश्वासन आरआरएसएल; नए आरआरएसएल में परीक्षण सुविधाओं में सुधार • आईआईएलएम, रांची में प्रशिक्षण सुविधाएं • विधिक माप अधिकारियों का क्षमता निर्माण
9	**राष्ट्रीय परीक्षण शाला**	20.00	नए भवनों का निर्माण, परीक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अनुरूप ई-ऑफिस की शुरुआत के लिए डिजिटल डाटाबेस सृजित करना तथा 9 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण	डिजिटल इंडिया मूवमेंट, परीक्षण समय में कटौती, नई परीक्षण सुविधाओं को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला का आधुनिकीकरण
10	भारत में स्वर्ण हालमार्किंग/परख करने के केन्द्रों और भारतीय मानकीकरण प्रणाली की स्थापना करना	2.00	परख करने के और हालमार्किंग केन्द्रों की स्थापना और पहचान, सेमिनार, कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	• बहुमूल्य धातुओं की हालमार्किंग के लिए सुविधाएं प्रदान करना • मानकीकरण पर क्षमता निर्माण
ग	**अन्य स्कीमें**			
1	दाल सब्सिडी स्कीम	0.01	टोकन प्रावधान	किसी शेष दावे को पूरा करना
2	उपभोक्ता कल्याण कोष रिकवरी घटाएं	17.45 (-) 17.45	• 20 उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण • उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुसंधान सहायता और उपभोक्ता अध्ययन • आईईसी और आउटरीच कार्यकलाप	उत्पादों की गुणता के लिए सुविधाजनक रूप से जांचकी जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से समग्रदेश में उपभोक्ता मूवमेंट को तीव्र करते हुए उपभोक्ता अध्ययन और अनुसंधान किए जाएंगे।
सकल जोड़		**3645.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 16: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
	खाद्य सब्सिडी			
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	1,07,138.56	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 450 लाख टन खाद्यान्नों का संवितरण	राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की बिक्री द्वारा समाज के निर्धनतर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के विकेन्द्रीकृत प्रापण के लिए खाद्य राजसहायता	38,000.00	150 लाख टन खाद्यान्नों का प्रापण विकेन्द्रीकृत तरीके से किया गया	राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की बिक्री द्वारा समाज के निर्धनतर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी	200.00	स्कीम के तहत बकाया दावों को निपटाने के लिए दी गई	
4	भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	50,000.00	नकदी प्रवाह की समस्याओं से निजात पाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम दिए जाएंगे और उसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी की भावी किस्तों में इसका समायोजन किया जाएगा	जनता को अबाधित रूप से खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, के तहत खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन और उचित दर दुकान के डीलर के मार्जिन पर खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ऐजेंसियों	4,500.00	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और वितरण	उचित दर दुकानों के द्वार तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी और उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना
	चीनी उद्योग का विकास			
6	चीनी विकास निधि में अंतरण	496.00	चीनी विकास निधि प्रशासित करने के लिए 'एसईएफएएसयू, 2014' स्कीम और 'अन्य प्रभारों' के तहत चीनी फैक्ट्रियों को भुगतान के लिए चीनी विकास निधि से राशि प्रदान करना जिसके लिए चीनी फैक्ट्रियां उत्पाद शुल्क अदा करती हैं और जिसकी भरपाई अंततः चीनी विकास निधि से की जाती है	
	चीनी विकास निधि से वित्त पोषित स्कीमें			
7	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/चीनी विकास निधि के अन्य व्यय (चीनी विकास निधि का प्रशासन)	26.00	चीनी उद्योग के विकास के लिए कम दरों पर दिए गए ऋण की वसूली और मानीटरिंग करना	चीनी उद्योग का विकास

8	चीनी उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने की स्कीम, 2014 (सीफासू)	470.00	गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को पहले से दी गई 6337.17 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी के ब्याज के रूप में सहायता प्रदान करना	गन्ना किसानों को गन्ना बकाया मूल्य का भुगतान करने में चीनी मिलों को सहायता मिलेगी
	स्वायत्त निकाय			
9	भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	15.00	• भंडारगृह पंजीकरण - 600 • एनडब्ल्यूआर/ई एनडब्ल्यूआर जारी किया जाना - 15000 • एनडब्ल्यूआर की तुलना में जमा की गई वस्तुओं का मूल्य - 1353 करोड़ रुपए • एनडब्ल्यूआर की तुलना में ऋण राशि - 393 करोड़ रुपए • ई एनडब्ल्यूआर व्यापार मात्रा (औसतन वर्ष में दो बार) - 15000 • किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम; प्रशिक्षित किए जाने वाले किसानों की संख्या - 5000 • भण्डारण प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया जाना; प्रशिक्षित किए जाने वाले भण्डार मालिकों की संख्या - 320	डब्ल्यूडीआरए द्वारा पंजीकृत एवं प्राधिकृत भण्डारगृहों द्वारा एनडब्ल्यूआर जारी करने के माध्यम से फसल कटाई के बाद ऋण में किसानों के लिए राशि की सहज उपलब्धता।
अन्य स्कीमें				
10	भण्डारण एवं गोदाम -			
10.1	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण (निवेश)	47.00	25000 मी. टन की भण्डारण क्षमता का सृजन किया जाना है	भण्डारण क्षमता अंतर को पूरा करना, जीर्ण-शीर्ण गोदामों के स्थान पर नए गोदामों का निर्माण, गोदामों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण
10.2	राज्य सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण (पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान)	13.00	सहायता अनुदान के तहत राज्य सरकारों द्वारा मध्वर्ती भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए 78055 मी. टन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करना	पूर्वोत्तर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए भण्डारण क्षमता अंतर को पूरा करना
	जोड़	**2,05,905.56**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 17: कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1.	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान	8.00	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान कारपोरेट विकास, सुधारों एवं विनियमों में मदद के लिए एक सर्वांगीण विचार मंच, क्षमता निर्माण एवं सेवा प्रदाता संस्थान के रूप में कार्य करता है। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को संस्थान द्वारा जुटाए जाने वाले आंतरिक राजस्व तथा वार्षिक परिचालन व्यय के बीच अंतर को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता दी जाती है।	भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अधिकारियों, फीडर ग्रेड अधिकारियों और कारपोरेट क्षेत्र की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने तथा नीति निरूपण एवं विनियमन में मंत्रालय की समग्रत: सहायता द्वारा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान अधिक प्रभावी नीति निरूपण का लक्ष्य प्राप्त करने और सुशासन के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगा।
2.	कारपोरेट डाटा प्रबंधन	5.50	• मंत्रालय को आंतरिक डाटा माइनिंग में मदद एवं विश्लेषणपरक सहायता देना ताकि मंत्रालय अपनी कारपोरेट रजिस्ट्री में उपलब्ध व्यापक सूचना भंडार का प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। • मंत्रालय और सरकार के भीतर और बाहर की अन्य नीति निर्माण एवं निर्णयकारी एजेंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना।	कारपोरेट क्षेत्र में अधिक प्रभावी नीति निरूपण एवं बेहतर विश्लेषणात्मक अनुसंधान।
	जोड़	**13.50**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 18: संस्कृति मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
	शताब्दी और वर्षगांठ समारोह स्कीमें	**243.01**	• इस वित्त वर्ष के लिए एक स्मराणोत्सव अनुमोदित किया गया है, चम्पारन सत्याग्रह की छठी शताब्दी और सात स्मरणोत्सवों का शेष कार्य अर्थात् उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, श्रीमती सुबुलक्ष्मी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, अमृतलाल नागर तथा स्वामी अभयनन्द, नानाजी देशमुख की 150वीं जयंती, गुरू गोविंद सिंह 350वीं जन्म शताब्दी।	स्मरणीय व्यक्तियों/घटनाओं के योगदान बारे में जागरूकता फैलाना
	कला संस्कृति विकास योजना (राष्ट्रीय गांधी धरोहर स्थल मिशन, कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्मारकों आदि के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता)	**310.48**	राष्ट्रीय गांधी धरोहर स्थल मिशन: • "गांधी धरोहर" पर सामग्री के प्रबंधन एवं विकास और संरक्षण प्रणाली का निर्धारण पूरा किया जाना है • दांडी में राष्ट्रीय स्मारक पुस्तकालय, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण और दांडी धरोहर पथ की रिसर्फेसिंग • कुल 21 रात को ठहरने की जगहों के विकास में से शेष 5 कार्यान्वयन के लिए प्रदर्शन कला स्कीम, भवन अनुदान स्कीम, फैलोशिप स्कीम जैसी कला और संस्कृति के प्रदर्शन की विभिन्न स्कीमों को बढ़ावा देना टैगोर सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स, टी.वी. प्रोग्रामिंग और कला एवं संस्कृति पर मीडिया के अन्य प्रचार के लिए स्कीम, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर पर स्कीम, बौद्ध/तिब्बती संस्थाओं के विकास की स्कीम, घरेलू उत्सव स्कीम कला प्रदर्शन केन्द्र और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना, डीटीएच चैनल चलाने की स्कीम, जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट स्कीम, बौद्ध दर्शन उच्चतर शिक्षा स्कूल, ताबो:	• गांधी धरोहर एवं विरासत का परिरक्षण, बौद्ध कला एवं संस्कृति और तिब्बती संस्कृति को प्रोत्साहन एवं विकास • मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से समग्र देश में कला एवं संसकृति का प्रचार एवं प्रसार
	संग्रहालयों का विकास (संग्रहालय स्कीम, विज्ञान शहर, संग्रहालय संग्रहण का डिजिटीकरण और संग्रहालय से	**76.00**	संग्रहालय स्कीम • घटक क के तहत नए संग्रहालयों/मौजूदा संग्रहालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव। घटक ख के तहत राजधानी शहरों में स्थित केन्द्र और राज्य सरकार के मौजूदा प्रसिद्ध संग्रहालय। पीपीपी मोड में बड़े पैमाने पर संग्रहालय की स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव।	• भारत में संग्रहालय मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए संग्रहालयों की स्थापना/मौजूदा संग्रहालयों के विकास के लिए राज्य सरकारो/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय

	संबंधित शिक्षण के लिए अकादमिक सुविधाएं और संग्रहालय पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण स्कीम)		विज्ञान शहर: • कर्नाटक, उत्तराखण्ड, ओडिशा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार में नए विज्ञान शहरों की स्थापना करना • विभिन्न विज्ञान केन्द्रों में नवाचार हब्स की स्थापना करना संग्रहालय संग्रहण स्कीम का डिजिटीकरण: • देश में संग्रहालयों में कला-रूपों के डिजिटीकरण के लिए राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायताप्रदान करना और वेबसाइट पर इनके चित्रों एवं नामावली को दर्शाना संग्रहालय पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण स्कीम: • भारतीय संग्रहालयों में मानव संसाधन का उन्नयन ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक उनकी दृष्टि व्यापक हो सके, उनके कौशल एवं नेतृत्व प्रबंधन गुणों का उन्नयन हो सके	सहायता प्रदान करना। • क्षेत्र के लोगों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के सृजन एवं जागरूकता के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाना एवं विज्ञान का संदेश फैलाना
	पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास (राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं प्रकाशन स्कीम मिशन)	**52.01**	राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन: • एनएतएन मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना, राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय का प्रमात्रा सर्वेक्षण, क्षमता निर्माण एवं सृजन सहित लोगोंको सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों का उन्नयन • एनएमएल के तहत पुस्तकालयों की स्थापना - राज्य पुस्तकालय (37), जिला पुस्तकालय (37) और संस्कृति मंत्रालय के तहत पुस्तकालय (6) प्रकाशन स्कीम: • यह स्कीम वर्ष के दौरान अनुमोदनएवं कार्यान्वयन के लिए निरूपित की जाएगी	• पुस्तकालय मूवमेंट के माध्यम से पढ़ने की आदत डालना • अनुसंधान विद्वानों के लिए रिकॉर्ड का परिरक्षण
	वैश्विक कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (भारत-मैत्री सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अन्य स्कीमों के लिए अनुदान से संबंधित क्रियाकलाप)	**38.48**	भारत-मैत्री सोसाइटी को अनुदान : • भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समाजों को सहायता अनुदान की स्वीकृति द्वारा विदेश में भारतीय संस्कृति को सुदृढ़करना भारत उत्सव • भारत की सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न देशों में भारत उत्सव आयोजित किया जाएगा • विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना	• विदेशो में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उसका प्रचार करना • भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सहायता करना
	राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन	**12.00**	पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, अनुसंधान, कार्यशाला और परिरक्षणकार्य	• दुर्लभ पांडुलिपियों का परिरक्षण, संग्रहण और उनसे ज्ञान निष्कर्षण

	केन्द्रीय क्षेत्र में अन्य व्यय			
	अकादमियां (संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी,राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, **सांसकृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र**, कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, सात क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोष	**356.60**	संगीत नाटक अकादमी: • प्रशिक्षण कार्यक्रमों,छात्रवृत्ति प्रदान करने के माध्यम से प्रसिद्ध अनुभवी कलाकारों के साथ-साथ युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन साहित्य अकादमी : • भारतीय एवं विदेशी पुस्तकों (2000), अखबारों, मैगजीन और जर्नल आदि की खरीद ललित कला अकादमी • ललित कला अकादमी प्रदर्शनियों और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करेगी। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय • 12 से 14 थिएटर कार्यशाला और अंशकालिक कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम/अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, 6 से 8 प्रशिक्षणकार्यक्रम/ चिल्ड्रन थिएटर कार्यशाला और सहयोग कार्यक्रम आदि आयोजित करना सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र: • विस्तार सेवाओं और समुदाय फीडबैक कार्यक्रम आदि के तहत 8200 अध्यापकों/अध्यापक शिक्षाविशारद/शिक्षा प्रशासकों और 6000 सेवारत अध्यापकों, एक लाख छात्रों को प्रशिक्षण कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान: • गीत, प्रकाश व्यवस्था, मंच प्रबंधन आदि में अत्याधुनिक प्रौधागिकी की संस्थापना के लिए कूटाम्बलम का पुनरुद्धार क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र : • ये केन्द्र राष्ट्रीय संस्कृति विनिमय कार्यक्रम (1365); अदृश्य कलाओं का प्रलेखीकरण और प्रकाशन; गुरू शिष्य परम्परा से लगभग236 गुरुओं और 1148 शिष्यों आदि को लाभान्वित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति कोष: • राष्ट्रीय संस्कृति कोष चालू 30 परियोजनाओं से अधिक के नए स्वरूप और पुनर्जीवित करने पर अपना जो देता रहेगा और र इनको पूरा करने की दिशा में कार्य करेगा।	• प्रदर्शन कलाओं सहित भारत की व्यापक अमूर्त विरासत को प्रोत्साहन देना, परिरक्षण करना और उसका प्रचार करना • साहित्यिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना • प्रकट एवं कृत्रिम कलाओं को प्रोत्साहनदेना। ललित कला अकादमी का मिशन है आधुनिक और समकालीन कला की गहरी समझ को प्रोत्साहन देना। • थिएटर जागरूकता फैलाने और थिएट्रिकल कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध भाषाओं, सांस्कृतिक पष्ठभूमियों सहित विभिन्न राज्यों के थिएटर उत्साहियों के बड़े हिस्से को लाभ पहुंचाना • स्कूल जानेवाले बच्चों में सीसीआरटी प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना और उत्कृष्ट युवा बालकों में साहित्यिक प्रतिभा का विकास करना • भारतके आस-पास कला के विभिन्न स्वरूपों का प्रचार और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यकलापों को सुदृढ़ करना और उनका प्रदर्शन करना • सभी कला स्वरूपों और उनके क्षेत्रीय प्रकारों का एकीकरण
	संग्रहालयों को सहायता (विक्टोरिया मेमोरियल हॉल,	**247.81**	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल • विशेष मरम्मत एवं पुनरूद्धार शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद: • नई गैलरियों की स्थापना, प्रदर्शित वस्तुओं का उन्नयन एवं	• अधिकसे अधिक दर्शकों को आकर्षित करना और संग्रहालयों द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य कार्यक्रमों,

	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, इलाहाबादसंग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टरी ऑफ आर्ट कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलोजी, सलारगंजसंग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी)		उन्हें अद्यतन किया जाना, परिभ्रमण करने वाली प्रदर्शनियां आदि इलाहाबाद संग्रहालय: • प्रांगण I और II आदि का नवीकरण भारतीय संग्रहालय: • संग्रहालय का रख-रखाव, गैलरियों आदि का विकास और आधुनिकीकरण सलारगंज संग्रहालय: • पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉक आदि का निर्माण कार्य। राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान: • शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और पीएचडी पाठ्यक्रमों का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय: • इंडोर संग्रहालय भवन की वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट सहित अवसंरचना विकास नए प्रकार के घर को प्रदर्शित वस्तुओं आदि के रूप में शामिल करके ओपन एअर प्रदर्शनियों का विकास नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय: • यह संस्थान वर्ष के दौरान अपने विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए मूल राशि से अर्जित ब्याज का उपयोग करेगा।	प्रदर्शनियों के माध्यम से जन समूह को भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में जागरूकता और शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करना। • समकालीन कलाओं के बारे में आम जनता एवं कला शोधकों, कला विद्यार्थियों की अधिक समझ और कलात्मक जागरूकता • विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जागरूकता फैलाना, सोसाइटी में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास और समग्र देश में विज्ञान साक्षरता को प्रोत्साहन और युवा विद्यार्थियों को सृजनात्मक और नवाचारी क्रियाकलापों में लगाना।
	पुस्तकालयों को सहायता (राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), **खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी** और रामपुर रजा लाइब्रेरी)	**118.15**	राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता, **खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी** और रामपुर रजा लाइब्रेरी आदि की पुस्तकों, जर्नल के स्टॉक निर्माण एवं उनके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए सहायता	• लाइब्रेरी मूवमेंट के माध्यम से पढ़ने की आदत डालना • शोध अध्येताओं के लिए रिकॉर्ड का परिरक्षण
	बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं मेमोरियल (गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति), **मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान,**	**94.96**	• गांधी जी की विचारधारा और सत्याग्रह के संबंध में गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे • झुयानजांग अवशेष के लिए संग्रहालय का निर्माण और उन्नयन और एनएनएम कैम्पस की नव अर्जित भूमि की चारदिवारी का भी निर्माण • बौद्ध अध्ययनों से संबंधित शोध कार्यों और दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहण, अनुवाद एवं प्रकाशन	• बौद्ध कला एवं संस्कृति का परिरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास • तिब्बती संस्कृति को परिरक्षित, प्रोत्साहित और संरक्षित करना, तिब्बती और गैर-तिब्बती लोगों के बीच विचारों और तकनीकों

	नव नालंदा महावीर, केन्द्रीयतिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान और केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान)।		• तिब्बती चिकित्सा कोष, ज्योतिष, विनय कोष, तिब्बती संस्कृति एवं नाम कोष आदि का संकलन • बौद्ध सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं, मौलाना आजाद से जुड़ी स्मरणीय वस्तुओं का पुनरुद्धार एवं संरक्षण और आजाद संग्रहालय को थीमैटिक संग्रहालय के रूप में स्थापित करना	के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना • जन समूह में गांधी जी की विचारधारा को बढ़ावा देना
	अनुदानग्राही निकाय वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग मोनेस्टरी, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतीलॉजी, जीआरएल मोनेस्टिक स्कूल बोमडिला, तिब्बती कार्यों एवं अभिलेखागारों का तिब्बती पुस्तकालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (मुम्बई), थनजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, केन्द्रीय लाइब्रेरी और कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी)	**13.24**	• अनुदानग्राही निकायों की संबंधित क्षेत्रों नामत: (i) संग्रहालय (ii) पुस्तकालय (iii) बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययनों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप शुरू करने में सहायता की जाएगी। यह कार्यकलाप मुख्यत: प्रलेखीकरण,शोध अध्ययनों, उनके संग्रहालयों के अनुरक्षण, दुर्लभ पांडुलिपियों के संग्रहण, उनकी पुस्तकालय सेवाओं आदि के विकास से संबंधित हैं।	• मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का परिरक्षण, प्रोत्साहन और प्रचार करना।
	केन्द्र का स्थापना व्यय			
1	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	**35.47**		
2	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	**924.37**	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण • लगभग 900 केन्द्रीय स्मारकों एवं स्थलों का संरचनात्मक संरक्षण; संरचनात्मक संरक्षण, वैज्ञानिक परिरक्षण और	• प्राचीन स्मारकों का संरक्षण एवं परिरक्षण; पर्यावरण संबंधी विकास

			पर्यावरण संबंधी विकास सहित लगभग 1675 निर्माण कार्य • सभी 3686 स्मारकों और 506 उद्यानों का नियमित रख-रखाव; • सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों के आस-पास जहां भी आवश्यक हो अधिक्रमण को रोकने के लिए घेराबंदी एवं सुरक्षा • विदेश में स्मारकों का संरक्षण (शुरू किया जाना है); ता प्रोम, कम्बोडिया (फेस III), माई सन ग्रुप ऑफ टेम्पलस, वियतनाम; • असंरक्षित स्मारकों का संरक्षण	(सुरक्षा सहित) सहित उनका रख-रखाव एवं अनुरक्षण
3	**पुस्तकालय और अभिलेखागार** (भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल लाइब्रेरी एंड सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी)	**96.64**	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार: • रिकॉर्ड का विस्तार (विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 2 लाख रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाना है) • 10 रिकॉर्ड रिटेंशन अनूसूचियों का पुनरीक्षण, 7 ऑरियन्टेशन पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, निजी संरक्षण में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों का सर्वेक्षण, • संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में रिकॉर्ड का संरक्षण एवं देखभाल ; 2.12 लाख शीट दुर्लभ पुस्तकों की 2.04 लाख शीट, 60 खंडों की जिल्दबंदी सहित नाजुक क्षेत्र परियोजनाओं के तहत 1.10 लाख शीट,200 खंडों, 80 पुस्तकों,1000 विविध प्रकार वस्तुओं की देखभाल	
4	**संग्रहालय** (राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी)	**76.93**	राष्ट्रीय संग्रहालय: संग्रहालय भवन के रख-रखाव एवं अनुरक्षण/विकास के लिए राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला : संरक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यकलाप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट: • सुव्यवस्थित गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का अनुरक्षण, पेंटिंग, प्रतिमाओं आदि का रासायनिक उपचार। एनजीएमए, नई दिल्ली में अनुसंधान संस्थान और कोलकाता में एनजीएमए के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण: • एनएमए द्वारा एएमएएसआरए 2010 का कार्यान्वयन	• अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करना और उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करना • संग्रहालयों द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य समारोहों एवं कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों के माध्यम से जन समूह को भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में जागरूक बनाना एवं शिक्षा देना • समकालीन कलाओं के बारे में आम जनता एवं कला शोधकों, कला विद्यार्थियों की अधिक समझ और कलात्मक जागरूकता
5	भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण	**42.32**	भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण: सर्वेक्षण, अनुसंधान, अध्ययन, पुस्तकों, जर्नल आदि की खरीद करना	• भारतीय कला एवं संस्कृति एवं परम्परा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अध्ययन करके प्राथमिक और गौण डाटा का संग्रहण
	सकल जोड़	**2738.47**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 23 : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1.	मुख्य शीर्ष 2552 के तहत एनईसी की स्कीमें	395.67		
1.1	परिवहन एवं संचार क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	74.01	• एयरलाइन्स को वीजीएफ प्रदान करने के लिए तीन सेक्टरों नामत: शिलांग - कोलकाता, कोलकाता - गुवाहाटी - लीलाबाड़ी और कोलकाता गुवाहाटी - तेजपुर का चयन किया गया • इंडियन रोड कांग्रेस में एनईसी की भागीदारी के लिए 1.5 लाख रुपए	• पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ हवाई संपर्क में सुधार • सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार
1.2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	8.00	डॉ. बी. बूरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी के पुनरुद्धार परियोजना प्लान - IV के अनुसार एनईसी द्वारा 8 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की आवश्यकता है	पूर्वोत्तर क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों के लिए विशेषीकृत कैंसर उपचार तक बेहतर पहुंच
1.3	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	158.30	• उत्तर पूर्वी क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना जो एक अजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना है के लिए 77.20 करोड़ रुपए का प्रावधान • उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि बागवानी उत्पादों और कृषि बागवानी न्यनतम समर्थन मूल्य स्कीम की विपणन सहायता के लिए 32.10 करोड़ रुपए का प्रावधान • आईसीएआर, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान आदि की चालू 10 परियोजनाओं को पूरा करना	• किसानों की आय में 12-14% की वृद्धि • कृषि-बागवानी उत्पादन में 6-7% की वृद्धि • मांस, अण्डों और दुग्ध उत्पादन में 2-3% तक की वृद्धि • मछली उत्पादन में 3-4% और रेशम में 2-3% की वृद्धि
1.4	मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	95.00	• अनुसंधान में सहायता आदि की चालू 20 परियोजनाओं को पूरा करना • रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लैनिंग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एन्वायरन्मेन्टल स्टडीज की स्थापना	• शिक्षा परिणामों में सुधार • उत्तर पूर्वी युवाओं के लिए रोजगार अवसरों में सुधार
1.5	उद्योग और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	22.97	• पूर्वोत्तर पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना • अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में केन और बैम्बू प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना • चालू 5 परियोजनाओं को पूरा करना	• पर्यटकों (देशी और विदेशी) के आगमन में वृद्धि • बेहतर औद्योगिक अवसंरचना के कारण रोजगार सृजन

1.6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	16.96	चालू 10 परियोजनाओं को पूरा करना और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता के क्षेत्रों में शुरू करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना
1.7	आईपीआर क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	13.92	• चालू 2 परियोजनाओं को पूरा करना • क्षेत्रीय जन संचार केन्द्रों और कला, संगीत और नृत्य की संस्था स्थापित करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के कला, संगीत और नृत्य के प्रोत्साहन के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना
1.8	ई एंड एम क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	6.51	परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए परिव्यय तथा 20 संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के लिए सहायता	एनईसी समर्थित परियोजनाओं का कारगर कार्यान्वयन
2.	मुख्य शीर्ष - 4552 के अंतर्गत परिवहन एवं संचार क्षेत्र के तहत एनईसी की स्कीमें	45.00	• चालू 5 परियोजनाएं अर्थात् तेजू हवाई-अड्डा; उमरोई (बारापानी) हवाई-अड्डे की सुरक्षा अवसंरचना; डिबरूगढ़ हवाई-अड्डे के रनवे का विस्तार, इम्फाल और डिबरूगढ़ में हैंगर तथा उमरोई (बारापानी) हवाई-अड्डे के रनवे के विस्तार की शुरूआत • सीमा सड़क संगठन द्वारा 5 कि.मी. सड़क का निर्माण	• पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हवाई अड्डा अवसंरचना में सुधार • बेहतर सड़क संपर्क
3.	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम - कार्यक्रम घटक	150.00	राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. द्वारा 40 कि.मी. सड़क का निर्माण और निर्माण के बाद अगले 5 वर्ष के लिए उसका रख-रखाव	बेहतर सड़क संपर्क (लगभग 40 कि.मी.)
4.	क्षमता निर्माण एवं प्रचार- सहायता अनुदान	52.00	• पूर्वोत्तर क्षेत्र को सक्रिय प्रचार द्वारा प्रचारित करना एवं मुख्य धारा में लाना तथा 'डेस्टीनेशन एन ई' जैसे आयोजनों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना • ज्ञान के प्रसार/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता • राज्य सरकार के मध्य-स्तर के कार्यकर्ताओं को तकनीकी सहायता के लिए 15 गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संगठनों का वित्तपोषण	पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश में वृद्धि
5.	पूर्वोत्तर आजीविका परियोजना	150.00	निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिए गए लक्ष्यों के आधार पर 82% प्रगति	ग्रामीण आजीविका की परियोजनाएं 15.03.2019 तक पूरी हो जाएंगीं

ख. अन्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1.	पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम - ईएपी	150.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र में छह राज्यों में सड़क अवसंरचना के 433.7 कि.मी. का उन्नयन/सुधार	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क
2.	एनईसी से संबंधित स्कीमें मुख्य शीर्ष - "3601"	484.33		
2.1	परिवहन एवं संचार क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	181.50	• 100 कि.मी. की अंतर-राज्यीय सड़कों को पूरा करना • 3 अंतर राज्यीय ट्रक टर्मिनस को पूरा करना • 5 आरसीसी पुलों और 10 सस्पेंशन पैदल पुलों को पूरा करना • डीपीआर तैयार करने के लिए 40 कि.मी. सड़कों का सर्वेक्षण	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क
2.2	विद्युत एवं आरआरई क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	62.00	• 200 सर्किट कि.मी. की ट्रांसमिशन लाइनें चालू करना और क्षेत्र में 75 एमवीए एस/एस क्षमता का विस्तार • नगालैंड में 2 परियोजनाओं के पूरा होने पर 1.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत (1.5 मेगावाट) ट्रांसमिशन और उत्पादन
2.3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	18.00	सीएचसी/पीएचसी/अस्पतालों और दुर्घटना एवं ट्रॉमा केन्द्रों के उन्नयन के लिए चालू 12 परियोजनाओं को पूरा करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर चिकित्सीय देखभाल
2.4	आईएफसी एवं डब्ल्यूएसएम क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	38.50	2,900 हेक्टेयर कवर करने वाली 33 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना; 2,64,783 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र को कवर करने वाली 10 जल आपूर्ति और क्षरण रोधी परियोजनाएं।	2,16,856 की जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना; 6 गांवों को सिंचाई लाभ; खेतीयोग्य भूमि की भू-क्षरण से सुरक्षा (2,64,783 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र)
2.5	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	43.68	28 परियोजनाओं को पूरा करना और अनुसूचित जाति उप योजना के तहत समुदायिक विकास एवं आजीविका परियोजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान	किसानों की आय में वृद्धि। कृषि-बागवानी उत्पादों, मांस, अण्डे, मछली, दूध, रेशम आदि के उत्पादन में वृद्धि
2.6	मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	58.00	शैक्षणिक संस्थानों, खेल-कूद अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना की चालू 13 परियोजनाओं को पूरा करना	• पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा परिणामों में सुधार • क्षेत्र में खेल-कूद क्रियाकला-पों को प्रोत्साहन • युवाओं के लिए अधिक रोजगार
2.7	उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	60.25	चालू 47 परियोजनाओं को पूरा करना	• पर्यटकों (देशी और विदेशी) के आगमन में वृद्धि • उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर औयोगिक अवसंरचना से रोजगार सृजन में मदद
2.8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	15.40	चालू 12 परियोजनाओं को पूरा करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आईटी अनुप्रयोग के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना
2.9	आईपीआर क्षेत्र से संबंधित स्कीमें	7.00	चालू 2 परियोजनाओं को पूरा करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के कला, संगीत और नृत्य के प्रोत्साहन के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना

3.	अ-समाप्य केन्द्रीय संसाधन पूल - राज्य	695.50	भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लगभग 96 परियोजनाएं: • 11 स्कूलों का निर्माण कार्य • 65 गांवों/छोटे गांवों को लाभान्वित करने के लिए 16 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू करना • 400 कि.मी. की सड़क का निर्माण किया जाएगा • 9 विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा • सभी राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी	पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा परिणामों, चिकित्सीय देखभाल सेवाओं की सुविधाओं, गांवों में जल आपूर्ति, सड़क संपर्क और पॉवर सप्लाई में सुधार
4.	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् के लिए विशेष विकास पैकेज	50.00	सड़कों एवं पुलों एवं अन्य क्षेत्रों की लगभग 6 परियोजनाएं	बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् में बेहतर सड़क संपर्क (लगभग 35 कि.मी.)
5.	कर्बी अंगलौंग क्षेत्रीय परिषद् के लिए विशेष विकास पैकेज	40.00	सड़क एवं पुल क्षेत्र की लगभग 4 परियोजनाएं	कर्बी अंगलौंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् में बेहतर सड़क संपर्क (लगभग 118 कि.मी.)
6.	दीमा हसाओ क्षेत्रीय परिषद् के लिए विशेष विकास पैकेज	30.00	चालू परियोजनाएं शुरू की जाएंगी	सांस्कृतिक एवं समुदाय गृहों की 4 परियोजनाएं पूरी होने से सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी
7.	अ-समाप्य संसाधन पूल - केन्द्रीय	369.00	• मीटर गेज का ब्रॉड गेज में परिवर्तन-एचपीसीएल • अखौरा-अगरतला रेल लिंक • मजूली द्वीप की बाढ़ आदि से सुरक्षा	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क ब्रह्मपुत्र नदी को क्षरण से बचाना
8.	सामाजिक एवं अवसंरचना विकास स्कीम	110.00	भौतिक आउटपुट में 130 कि.मी. सड़क निर्माण, 80 रोपवे/सस्पेंशन ब्रिज और अन्य अवसंरचना जैसे संपर्क सड़कों, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में सुधार शामिल है।	पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क
9.	एनईडीएफआई को ब्याज मुक्त ऋण (मुख्य शीर्ष - 6885) एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस स्कीम	30.00	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास के लिए स्थानीय उद्यमियों को ऋण	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विकास जिससे रोजगार सृजन होगा
10.	कार्यशील पूंजी जरूरत पूरी करने के लिए एनईएचएचडीसी को ऋण	2.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पकारों और बुनकरों से उत्पाद के प्रापण में सहायता देना और कारपोरेशन के प्रशासनिक व्यय को भी पूरा करना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की बेहतर बिक्री जिससे शिल्पकारों और बुनकरों की आय में मदद होगी
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विपणन कारपोरेशन को ऋण	2.00	किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य दिलवाने में मदद करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि प्रापण, प्रक्रमण एवं विपणन अवसंरचना को बढ़ावा देना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्नों/ उत्पादों की बेहतर बिक्री से किसानों को आमदनी के स्रोत बनेंगे

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 24: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम				
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	6,050	• 59,770 आंशिक रूप से आवृत्त बस्तियों को शामिल करना • 9,000 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को आवृत्त करना	• आंशिक रूप से आवृत्त बस्तियों का प्रतिशत 18.90% से घटाकर 15.40% पर लाना • गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का प्रतिशत 4% से घटाकर 3.3% करना
2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	13948.27	• अलग-अलग घरों में 170 लाख शौचालयों का निर्माण	• खुले में मलत्याग का प्रतिशत 39.96% से घटाकर 30.59% पर लाना • ग्राम पंचायतों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार
	जोड़	**19998.27**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 25: पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीमों/उप-स्कीमों का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान, प्रेक्षण विज्ञान सेवाएं (एकरॉस)	496	• हाई रेजॅलूशन (12 कि.मी.) और कोर्स रेजॅलूशन (25/17 कि.मी.) ग्लोबल एनसम्बल मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का विकास • 400 जिलों में जिला कृषि - मौसम विज्ञान संबंधी फील्ड इकाइयों की स्थापना • 30 पर्यटक स्थलों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित मौसम और जलवायु परामर्श की मोबाइल/वेब आधारित संसूचना का विकास • हिमालयी राज्यों में 3 डोपलर मौसम रडार, 2 ग्लोबल पोजिशन सिस्टम रेडियोसोंदे, 4 कॉम्पेक्ट रडार सिस्टम, 3 हेलीपोर्ट स्वचलित मौसम प्रेक्षण सिस्टम, 15 एसएफओ और 3 रेडियोमीटर की स्थापना • 20 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट में स्वचालित मौसम स्टेशन और दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर लगाना • पूर्वोत्तर राज्यों में 4 एम-एडब्ल्यूएस, 4 जीपीएस-एस, 5 एचएडब्ल्यूओएस लगाना और प्रभावी मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए उपकरणों से प्राप्त डाटा का परिचालन संबंधी उपयोग	• एनसम्बल प्रिडिक्शन सिस्टम से संभाव्यता-परक पूर्वानुमान • मौसम आधारित फसल एवं स्थान विशिष्ट कृषि-परामर्श • पर्यटक स्थलों के लिए मौसम और जलवायु परामर्श की मोबाइल/वेब आधारित संसूचना • हिमालयी राज्यों की बढ़ती हुई चुनौतियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत हिमालयी मौसम विज्ञान कार्यक्रम का विकास • विमानन सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सहायता सिस्टम का विकास • सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में राज्य मौसम विज्ञान केन्द्रों की स्थापना और पूर्वोत्तर राज्यों की मौसम विज्ञान सेवाओं को सुदृढ़ करना
2	समुद्री सेवाएं प्रौद्योगिकी प्रेक्षण संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओ-स्टोर्म्स)	336	• प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करके भारतीय तट के साथ-साथ मरीन प्रेक्षण सिस्टम प्रक्षेपित करना • प्रजाति विशिष्ट, स्थान विशिष्ट सेवाओं, (संभावित फिशिंग जोन), महासागर स्थिति पूर्वानुमान, कोरल ब्लीचिंग चेतावनी सिस्टम की शुरूआत सहित तटीय महासागर परामर्श जारी रखना • जलवायु परिवर्तन के लिए एमओईएफसीसी के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत तटीय बहु - विपत्ति चेतावनी - सुनामी पूर्व चेतावनी के मौजूदा सिस्टम में सुधार: सेवा स्तर 3 उत्पाद, चेतावनी सिस्टम में जीपीएस और एसएमए डाटा का एकीकरण, वैश्विक परिदृश्य तैयार करना, भारतीय तट पर जलप्लावन के तत्समय मॉडल की स्थापना, आदि। ब्लू इकोनमी - ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर्ड डीसेलीनेशन • स्थल सर्वेक्षण और संयंत्र का विस्तृत डिजाइन • बैलस्ट जल उपचार सुविधा की स्थापना - अनुमोदन प्राप्त करना और डिजाइन की शुरुआत करना • ब्लू इकोनमी खनिज दोहन और प्रापण, महासागर ऊर्जा, नोड्यूल कलेक्शन एंड क्रशिंग सिस्टम के इष्टतम उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	• भारतीय तट पर छह भिन्न-भिन्न स्थानों पर तटीय जल की गुणवत्ता की तत्समय निगरानी और पूर्वानुमान व्यवस्था स्थापित करना • मत्स्याखेट परामर्शों में बेहतर परिशुद्धता लाना; सेवाओं का यथा समय प्रचार, प्रयोक्ता विशिष्ट पूर्वानुमान उत्पाद; बेहतर प्रसार श्रृंखला; समुद्र के अंतर्गत सुरक्षा को बेहतर करना • तटीय प्राकृतिक आपदाओं और मानवोद्भवीय कार्यकलापों के विरुद्ध बेहतर समुत्थान शक्ति • कावारत्ती के संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में ओटीईसी चालित विलवनीकरण संयंत्र की स्थापना • बैलस्ट जल उपचार सुविधा की स्थापना • गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रोटोटाइप प्रणाली का विकास • हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन के कतिपय आशाजनक स्थानों की पहचान • ब्लॉक वार बैथिमीट्रिक चार्ट तैयार करने के लिए बैथिमीट्रिक डाटा का संकलन • समुद्री भू-भौतिकीय सर्वेक्षण पर आधारित महाद्वीपीय शेल्फ पर दूसरे आंशिक दावे की

			• ब्लू इकोनमी - पोलीमटैलिक सल्फाइड कार्यक्रम के तहत प्राथमिक अन्वेषी कार्यकलापों की शुरुआत • भारत की विशिष्ट इकोनोमिक जोन में 60,000 वर्ग कि.मी. के बैथिमीट्रिक डाटा का संकलन • विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ कार्यक्रम के तहत भू-भौतकीय डाटा की संप्राप्ति • महासागर रिसर्च जलयानों का प्रतिस्थापन - सभी नए रिसर्च जलयानों के लिए अनुमोदन प्राप्त करना • तटीय अनुसंधान जलयानों के लिए संविदा प्रदान करना	तैयारी और प्रस्तुति • भारत के चारों ओर के समुद्रों के बहु-विषयी समुद्र-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षणों की क्षमता में विस्तार
3	ध्रुवीय और हिमांकमंडल अनुसंधान (पेसर)	127.	पूर्व जलवायु और भू-विज्ञान का अनुसंधान एवं अध्ययन ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रियाकलापों का विस्तार	आर्कटिक क्षेत्र में जैव-भूविज्ञान, वायुमंडलीय और ग्लेशियर विज्ञान की प्रमुख विषय-वस्तुओं के तहत विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन
			ध्रुवीय हिमांकमंडल सिस्टम की निगरानी एवं पूर्वानुमान • आर्कटिक के लिए 11वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत • अन्टार्कटिक लिए 37वां वैज्ञानिक अभियान • ट्रॉपिकल हिन्द महासागर सहित दक्षिणी सागर के लिए 10 बहु-विषयी, अंतर-संस्थागत वैज्ञानिक अभियानों की शुरुआत	• अन्टार्कटिक क्षेत्र में हिमांकमंडल, वायुमंडलीय और भू-विज्ञान की प्रमुख विषय-वस्तुओं के तहत विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन • दक्षिणी सागर और ट्रॉपिकल हिन्द महासागर प्रक्रिया की बेहतर समझ।
			हिमालयी ग्लेशियर में जलवायु परिवर्तन प्रभावों का आकलन - हिमालय में चन्द्रा बेसिन ग्लेशियर और रिवर सिस्टम का एकीकृत मास बैलेंस और हाइड्रोलोजिकल मॉनीटरिंग ध्रुवीय अनुसंधान जलयान के लिए संविदा सौंपना	पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियरों के भावी पोषण के मूल्यांकन के लिए अपवाह मॉडल और आइस गतिविज्ञान मॉडलों का विकास
			ध्रुवीय अनुसंधान जलयान की संप्राप्ति - अन्टार्कटिक में मैत्री स्टेशन के ध्रुवीय अनुसंधान जलयान के प्रतिस्थापन के लिए अनुमोदन प्राप्त करना	
4	अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट)	44	• पृथ्वी-विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय परिचालनात्मक समुद्र-विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण का कार्य पूरा करना; परिचालनात्मक समुद्र-विज्ञान में अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना • नए मॉडल संस्करणों के साथ बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान ग्लोबल/क्षेत्रीय मॉडल आउटपुट का विकास। ईपीएस मॉडल आउटपुट सहित उच्चतर रेज़ॅलूशन के नवीनतर मॉडल से बीआईएमएसटीईसी - बिम्सटैक देशों के लिए नए अनुप्रयोगों का विकास	• अकादमिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से परिचालनात्मक समुद्री-विज्ञान में अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/दीर्घावधिक डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करना • बीआईएमएसटीईसी - बिम्सटैक क्षेत्र के लिए बेहतर मॉडल आधारित निश्चयात्मक और संभाव्यता-परक निर्गम • बीआईएमएसटीईसी - बिम्सटैक देशों के साथ कार्य करते हुए क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका अदा करना।

			• मॉडलिंग और मॉडल आउटपुट उपयोग में बीआईएमएसटीईसी - बिम्सटैक देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की शुरुआत	
5	भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (सेज)	76.7	उत्तर पश्चिमी हिमालय सहित देश में 50 भूकंप विज्ञान वेधशालाओं की स्थापना और भारत में गंगा के मैदानों में चयनित पांच शहरों के भूकंप संकट माइक्रो-जोनेशन मानचित्र तैयार करना • गहरे क्रस्टल ढांचों के आलेखन और भूकंप संयोजक नक्शों के लिए गढ़वाल-कुमाऊं हिमालय में 25 भूकम्प विज्ञानी, जीपीएस और अन्य भू-भौतिकीय स्टेशनों की स्थापना। • हिमालयी टकराव, भारत-बर्मा आर्क और अंडमान सबडक्शन जोन में पर्वत निर्माण और भूकम्प सर्जन के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण। • भारत के तटीय और अपतटीय टेक्टोनिक लिंकेज के लिए महाद्वीपी मार्जिन, महासागर-महाद्वीप परिवर्तन के चित्रण और इसके विकासात्मक इतिहास का एकीकृत अध्ययन • टेक्टोनिक प्रक्रिया की अंतःप्लेट और अंतर-प्लेट प्रक्रियाओं का चरित्र-चित्रण	• बेहतर अवस्थिति परिशुद्धता के साथ 3 और उससे अधिक की तीव्रता के भूकम्पों का पता लगाना। • सूक्ष्म स्तर पर भूकम्प संकट का मूल्यांकन और इसके शमन की रणनीतियों का विकास। • गढवाल-कुमाऊं हिमालय में गहरे क्रस्टल ढांचों का आलेखन • गढवाल-कुमाऊं क्षेत्र में स्ट्रेस/स्ट्रेन एकत्र होने की बेहतर समझ • कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के क्रस्टल ढांचे और काइनेमैटिक्स की बेहतर समझ।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 26: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	900.00	• समूचे भारत में निवासी नामांकन सेवाएं • अनवरत आधार पारितंत्र • आधार समर्थित एप्लीकेशनों/ भुगतानों के विकास को सरल बनाना	डीबीटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए प्रत्येक निवासी के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, अद्यतनीकरण सेवाएं, ऑनलाइन प्रमाणीकरण सेवाएं, सहायता और सार्वभौमिक डिजिटल पहचान की सुविधा दिया जाना।
1.	डिजिटल इंडिया	1672.76	3 आयामों में समावेशी विकास अर्थात् • नागरिकों को उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, • मांग पर गवर्नेंस एवं सेवाएं तथा • नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण	भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना
1.1	जनशक्ति विकास	306.76	• आईओटी, ई-अवसंरचना और सुगम्यता की नई परियोजनाएं • महत्व वाले क्षेत्रों में ई-अध्ययन • ओ लैब की शुरुआत • रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम में 11 लाख को कौशलयुक्त बनाना • उच्च प्रचलित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण - 2000 प्रशिक्षित व्यक्ति • ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम - 0.75 करोड़ परिवार	अनुसंधान एवं विकास और उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता, 100% डिजिटल साक्षरता की दिशा में कदम
1.2	इलैक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (ईएपी सहित)	261.00	• डिजिटल सेवाओं तक पहुंच • इंटरेक्टिव बिग डाटा • बहुभाषीय पहुंच • डीबीटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन • स्मार्ट: शहर, गांव, पंचायतें • स्मार्ट सिटी: पुणे में आपदा बहाली समाधान का विकास और शुरुआत	शासकीय सेवाओं तक निर्बाध पहुंच की दिशा में कदम
1.3	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	• 50 अतिरिक्त संस्थाओं से लिंक • 100 अतिरिक्त जिलों से लिंक • देश में सभी ज्ञान आधारित संस्थाओं में हाई स्पीड डाटा नेटवर्क	• ज्ञान आधारित संस्थाओं में संसाधन सहभाजन और सहयोगपूर्ण एवं अंतर-विषयी अनुसंधान को सुकर बनाना • भारत को ज्ञान आधारित समाज के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में कदम

1.4	इलैक्ट्रॉनिक्स/ आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	745.00	• एम-एसआईपीएस स्कीम • इलैक्ट्रॉनिक्स विकास कोष • इलैक्ट्रोप्रनुर पार्क • इन्क्यूबेटर • फैबलैस चिप डिजाइन • मेगा ईएसडीएम नीति	मेक इन इंडिया और रोजगार सृजन के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश आकर्षित करना
1.5	साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)	100.00	• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन • ई साक्ष्य स्कीम • बीसी एवं एमए केन्द्र स्थापित करना • आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था • संघबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र	साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा (2017-18)

मांग सं. 27: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (सीएसएस)	157.80		
1.1	हरित भारत मिशन - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	107.80	• राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत वनरोपण - 2 लाख हैक्टेअर • भूदृश्य शोधन - 7000 हैक्टेअर	वन क्षेत्र में वृद्धि और विद्यमान वनों की गुणता में सुधार
1.2	वन प्रबंधन का तीव्रीकरण	50.00	• वन अग्नि रेखाओं का सृजन/अनुरक्षण - 70,000 किमी • अगली पंक्ति के वन स्टाफ के लिए भवनों का निर्माण - 60	आग और अन्य जैविक हस्तक्षेपों से वन का संरक्षण
2	वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक वास का एकीकृत विकास (सीएसएस)	522.50		
2.1	परियोजना बाघ	345.00	48 बाघ रिजर्व को वित्तीय सहायता	बाघों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों/पोधों के लिए बेहतर वास
2.3	परियोजना हाथी	27.50	29 हाथी रिजर्व को वित्तीय सहायता	
2.4	वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक वास का एकीकृत विकास	150.00	400 संरक्षित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	
3	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (सीएसएस)	108.21		
3.1	मूंगा और मैनग्रोव का संरक्षण	18.00	• 42 अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन • 20 चालू और 20 नए प्रस्तावों के लिए अनुदान जारी करना • राष्ट्रीय मैनग्रोव और कोरल रीफ समिति की दो बैठकों का आयोजन तथा पांच स्थलों का भ्रमण • मैनग्रोव और कोरल रीफ क्षेत्रों में अनुसंधान में सहायता के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की 2-4 बैठकें आयोजित करना	संरक्षण उपायों में वृद्धि और कोरल एवं मैनग्रोव की गुणता में सुधार
3.2	जैव विविधता संरक्षण	30.21	• देश में नए जीवमंडल रिजर्व का नामकरण • विद्यमान जीवमंडल रिजर्व में जीवों एवं वनस्पति का संरक्षण • बेहतरीन विधियों का प्रलेखन/प्रचार • जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका के लिए उपाय	जीवमंडल रिजर्व में जीवों एवं वनस्पति का संरक्षण पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भूदृश्यों में जैव विविधता का संरक्षण

3.3	जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण	60.00	• 3 झीलों में संरक्षण कार्य पूरे किए जाने हैं • 20 अभिनिर्धारित आर्द्र प्रदेशों के संबंध में प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान संस्वीकृत करना और जारी करना	झीलों और आर्द्र प्रदेशों का संरक्षण
4	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (सीएसएस)	173.50		
4.1	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	173.50	सीवेज शोधन संयत्र का सृजन (क्षमता 53.0 एमएलडी)	नदियों के प्रदूषण भार में कमी
	जोड़ (सीएसएस)	**962.01**		
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस)				
1	पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	53.00		
1.1	वानिकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	23.00	आईएफएस अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण	सभी स्तरों पर वन अधिकारियों का कौशल उन्नयन
1.2	ईको टास्क फोर्स	30.00	अत्यधिक उंचाई/निचाई वाले अथवा सुदूर क्षेत्रों के कारण प्रदेशों की पारिस्थितिकी बहाली के लिए	स्वस्थ वन क्षेत्र के कायम रखे जाने के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना
2	राष्ट्रीय तट प्रबंधन कार्यक्रम	446.98		
2.1	राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	441.98	• खतरा लाइनों और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्रण, रेखा-चित्रण और सीमांकन • भारत के संपूर्ण तट के लिए तटीय तलछट क्षेत्र का चित्रण	सतत तटीय प्रबंधन
2.2	राष्ट्रीय तट मिशन	5.00	तटीय समुदायों की असुरक्षाओं को कम करने, तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण, क्षमता निर्माण, कार्बन पृथक्करण तथा तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के समग्र कुशल मंगल के लिए	
3	पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सतत	275.52		
3.1	प्रदूषण उपशमन	21.20	• नई सीईटीपी का निर्माण • प्रायोगिक/प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना	अपेक्षाकृत कम जल प्रदूषण
3.2	घातक पदार्थ प्रबंधन	54.32	एचएसएम (ईएपी) • मसौदा नीति एवं चयनित स्थलों का निवारक कार्य 100% पूरा करने का विधान बनाना एचएसएम (गैर-ईएपी) • शोधन भंडारण और निपटान सुविधाओं की स्थापना • रसायन एवं अपशिष्ट संबंधी डाटाबेस तैयार करना • घातक पदार्थ प्रबंधन के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षण • नगरपालिका एवं शहरी ठोस कचरे का प्रबंधन	आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ के लिए कचरे का वैज्ञानिक उपचार

3.3	जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	40.00	• जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित कार्यों की योजना बनाने और कार्यों के क्रियान्वयन के लिए समन्वय • राष्ट्रीय कारबोनकेयस एयरोसौल्ज़ कार्यक्रम के तहत कार्यकलाप (एनसीएपी) • पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों का समन्वय (सीएससीसीएनईआर) जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्यीय कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन	एनडीसी में निर्धारित उद्देश्यों को हासिल किए जाने का लक्ष्य है। प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं- • जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक कम करना कार्बन डाइ-ऑक्साइड (सीओ2) के 2.5 से 3 अरब टन तक का अतिरिक्त कार्बन सिंक का सृजन करना | 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष क्षेत्र के माध्यम से बराबर करना
3.4	राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	110.00	चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता| राज्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्पना नोट्स और डीपीआर को अनुमोदन|	
3.5	राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	50.00	ऑनलाइन निगरानी के लिए जीबीपीआईएचईडी में और डेटाबेस प्रबंधन केंद्र की स्थापना और संचालन	
4	पर्यावरण नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली	139.71		
4.1	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	60.00	हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना	पर्यावरणीय निरंतरता की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता फैलाना
4.2	पर्यावरण सूचना प्रणाली	23.00	आधारभूत पर्यावरण सूचना डेटाबेस का वेब आधारित वितरित नेटवर्क विकसित करना (आईएसबीईआईडी)	रिपोर्टों का प्रकाशन और सूचना का प्रसार
4.3	उत्कृष्टता केन्द्र	18.00	मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित संस्थानों को वित्तीय सहायता	विभिन्न पर्यावरण मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण
4.4	संरक्षण एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास	17.50	• बॉटनिकल गार्डन को सहायता • राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कार्य	उनके सतत् उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित डाटा
4.5	पर्यावरण प्रभाव आकलन	5.40	सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण	सतत विकास
4.6	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	15.81	संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	पर्यावरणीय स्थिरता के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना
	जोड़ (सीएस)	**915.21**		
	कुल जोड़	**1877.22**	-	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 28: विदेश मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	विदेश सेवा संस्थान	13.24	विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों और विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण	विदेश मंत्रालय के जुलाई 2013 में अपनाए गए प्रशिक्षण ढांचे के अनुसार
2.	दूतावास और मिशन	2528.56	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विशेष राजनयिक व्यय	2200.01	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	पासपोर्ट और उत्प्रवास	823.59	भारत में पासपोर्ट कार्यालयों और विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों द्वारा कौंसुलर पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ पासपोर्ट जारी करने का लक्ष्य है
5.	मनोरंजन प्रभार	70.50	विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे	
6.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	713.88	संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल, सार्क आदि को अनिवार्य योगदान	
7.	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	260.00	अवसंरचना का निर्माण	राजनयिकों को प्रशिक्षण देना
8.	नालंद विश्वविद्यालय	200.00	अवसंरचना का निर्माण	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति और सद्भावना को बढ़ावा देना
9.	आईसीसीआर	233.14	विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना और विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना	भारतीय संस्कृति को बढ़ावा
10.	आईसीडब्ल्यूए	14.66	अनुसंधान और सूचना एवं विचारों के आदान-के माध्यम से विदेशों के साथ भारत के प्रदान संबंधों को बढ़ावा देना	अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना
11.	आरआईएस	8.65	विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध एवं विकास सहयोग, नीतिगत संवाद को बढ़ावा देने पर केन्द्रित स्वायत्त थिंक टैंक	आर्थिक संबंधों का विकास
12.	आईटीईसी और कोलम्बो योजना	229.60	लगभग 47 नागरिक और 83 रक्षा संस्थाओं में 142 विकासशील देशों से विदेशी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधों का निर्माण
13.	बंगला देश को सहायता	125.00	बंगला देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
14.	भूटान को सहायता	3714.13	भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
15.	नेपाल को सहायता	375.00	नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना

16.	श्रीलंका को सहायता	125.00	श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
17.	मालदीव को सहायता	245.00	मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
18.	म्यांमार को सहायता	225.00	म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना
19.	अन्य विकासशील देशों को सहायता	115.00	विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	संबंधों को मजबूत बनाना
20.	आपदा राहत के लिए सहायता	25.00	विदेशों में भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य	मानवीय सहायता
21.	सार्क कार्यक्रम	10.00	सार्क स्तरीय पहलें	संबंधों को मजबूत बनाना
22.	अफ्रीकी देशों को सहायता	330.00	अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक सहयोग	संबंधों को मजबूत बनाना
23.	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	25.00	एक बहुपक्षीय ढांचे में विदेशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना	संबंधों को मजबूत बनाना
24.	निवेश प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रम	75.00	भारत में प्रचार और निवेश के अवसरों का विदेशों में प्रचार एवं प्रोत्साहन	संबंधों को मजबूत बनाना
25.	यूरेशियाई देशों को सहायता	25.00	यूरेशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	संबंधों को मजबूत बनाना
26.	लेटिन अमरीकी देशों को सहायता	20.00	लेटिन अमरीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	संबंधों को मजबूत बनाना
27.	अफगानिस्तान को सहायता	350.00	अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में तकनीकी और आर्थिक विकास सहयोग	संबंधों को मजबूत बनाना
28.	चाबहार पत्तन	150.00	सामरिक परियोजना	भारत के हितों की सुरक्षा के लिए
29.	आसियान बहुपक्षीय	30.00	आसियान देशों के साथ भारत के संबंध	संबंधों को मजबूत बनाना
30.	प्रवासी कौशल विकास योजना	10.00	पहले इसे स्वर्णप्रवास योजना के नाम से जानी जाती थी। कौशल विकास के लिए।	
31.	अन्य	755.00	विविध योजनाएं	
32.	पूंजी परिव्यय	350.00	विदेश मंत्रालय का वैश्विक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन पर व्यय	
33.	सचिवालय स्थापना	423.59	लागू नहीं	लागू नहीं
	जोड़	14798.55		

स्कीमों के लिए निर्गम परिणाम रूपरेखा-2017-18

मांग सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम-उप/ म का नामस्की	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण	550.00	• अर्थक्षमता अंतर का प्रावधान करके 2,750 करोड़ रुपए (न्यूनतम) मूल्य की परियोजनाओं के लिए सहायता • इस स्कीम में कुल परियोजना लागत के 20% तक अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण का प्रावधान है	• ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सहायता देना जो आर्थिक रूप से उपयुक्त हैं लेकिन वित्तीय अर्थक्षमता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। • पीपीपी विधि के माध्यम से विकासशील देशों की अवसंरचना में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी
2	राष्ट्रीय निवेश एवं असंरचना कोष (एनआईआईएफ)	1,000.00	• सामरिक सहायक भागीदारों अर्थात् बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्थाओं, संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से 8000 करोड़ रुपए के बराबर धनराशि जुटाना • अवसंरचना क्षेत्र (ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों) में 16,000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का वित्तपोषण	• राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तपोषित करके वाणिज्यिक आधार पर देश में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना
3	ब्याज समकरण सहायता			
3.1	ब्याज समकरण सहायता - भारत के एग्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	572.00	• कर्जदार देश द्वारा एक्जिम बैंक को गारंटीकृत ऋणों की अदायगी में चूक के लिए भारत सरकार द्वारा 934 करोड़ रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	• विदेशों में भारत को एक उभरती हुई शक्ति, निवेशक देश और विकासशील देशों के लिए साझीदार के रूप में दर्शाते हुए भारत के सामरिक राजनीतिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना।
3.2	ब्याज समकरण सहायता - भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता	48.16	किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले किसी निकाय को रियायती वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक्जिम बैंक को काउंटर गारंटी तथा 2% का ब्याज समकरण निम्नलिखित शर्त पर देना: यदि किसी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कोई भारतीय कंपनी जो घरेलू स्तर पर उत्पादन कर रही है, ऐसी विदेशी संस्था द्वारा निविदाकृत किसी परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा प्राप्त करने में सफल हो जाती है और यदि वह परियोजना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है।	• इसका उद्देश्य भारत सरकार की ओर से एक्जिम बैंक के माध्यम से काउंटर गारंटी प्रदान करके सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अवरंसरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय कंपनियों का समर्थन करना है। • विदेशों में भारत के सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
जोड़		**2,170.16**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 30: व्यय विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	300	• कल्याण एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए डीबीटी को कार्यान्वित किया जाना है • राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ समेकन • पीएफएमएस को सभी राज्यों के राजकोषों के साथ जोड़ा जाना • एजेंसी पंजीकरण • कम से कम 2.4 मिलियन एजेंसियों को शामिल करने के लिए एजेंसी पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जाना • ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन • केन्द्रीय एजेंसियों के संबंध में स्कीम का खाका बनाने का कार्य पूरा किया जाना और ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया जाना • भुगतानों के लिए बैंक इंटरफेस का विकास • सभी सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जोड़ा जाना • भुगतान और लेखांकन कार्य • कम से कम 90% भुगतान और लेखा कार्यालयों और 20% डीडीओ को पावती एवं भुगतान कार्यों के लिए शामिल किया जाना • पीएफएमएस के नए संस्करण का डिजाइन और विकास • पीएफएमएस के नए संस्करण के लिए योजना बनाना और नई प्रौद्योगिकी से संवृद्ध प्लेटफार्म के डिजाइन एवं संरचना को अंतिम रूप देना • धनराशि जारी करने और कार्यान्वयन के संबंध में नागरिक इंटरफेस और सामान्य प्रयोजन रिपोर्ट। सूचना के व्यापक प्रसार के लिए मोबाईल एप्लीकेशन का विकास।	• सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में नागरिकों का बेहतर अनुभव • लोक वित्त का एक 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण सक्षम बनाना • लाभार्थी तक धनराशि के उपयोग का पता लगाना • धनराशि के उपयोग का पता लगाना और संवितरण एजेंसी की उपयोग संबंधी सूचना वापस भेजना • धनराशि के समय पर अंतरण और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए त्वरित भुगतान तंत्र के लिए समर्थ बनाना • केन्द्र सरकार की भुगतान और लेखांकन प्रणाली का डिजिटीकरण • प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रयोक्ताओं की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के अनुरूप पीएफएमएस को अद्यतन रखना • सरकारी कार्यक्रमों के वित्तीय प्रशासन में नागरिक इंटरफेस में सुधार करना
2	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (एनआईएफएम) शिक्षा और राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	7.60	केन्द्र/राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और कक्षा शिक्षण एवं परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय प्रबंधकीय कौशल में तथा वाणिज्यिक एवं शासकीय लेखांकन, लोक वित्त, बजट निर्माण, वित्तीय नीति निर्माण/निर्णय निर्धारण तथा परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण
3	लोक प्रापण में अधिकारियों को प्रशिक्षण (एनआईएफएम)	7.00	लोक प्रापण में लगभग 2000 अधिकारियों को प्रशिक्षण	लोक प्रापण में दक्षता के लिए
	जोड़	**14.60**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 31 - वित्तीय सेवाएं विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	नाबार्ड की अंश पूंजी में अभिदान	2,000	नाबार्ड की उधार लेने की शक्ति को 10 गुना तक बढ़ाना	नाबार्ड की उधार लेने की बढ़ी हुई शक्ति और दीर्घावधि के सिंचाई कोष के तहत परिचालन के लिए अपेक्षित धन जुटाने में उसकी सहायता करना
2	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	10,000	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपना टियर1 सीआरएआर सुविधाजनक स्तर पर कायम रखने में समर्थ बनाता है और बेस III के तहत पूंजी-पर्याप्तता के नियामक मानकों का अनुपालन करता है	ऋण ऑपरेशनों के लिए नकदी सहायता प्रदान करना, बैंकों को बाजार से धन जुटाने में समर्थ बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेस III के तहत पूंजी-पर्याप्तता के नियामक मानकों का अनुपालन करने में समर्थ बनाना
3	भारत के निर्यात-आयात बैंक की अंश पूंजी में अभिदान	500	एक्जिम बैंक की ऋण देने की क्षमता में 10,द्धि (अपनेकरोड़ रुपये तक की वृ 000 स्वामित्व वाली निवल निधि के10 गुना के बराबर ऋण(	अधिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक को समर्थ बनाना, परिणामस्वरूप देश के लिए बैंक और रोजगार सृजन के लिए बेहतर एनपीए का प्राप्त होना
4	स्टेंड अप इंडिया की स्थापना करने के लिए एनसीजीटीसी को सहायता	500	ऋण कोष में 20,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि। इसका उपयोग 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच के ऋणों को आसान बनाकर 2.50 लाख अजा/अजजा तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा।	भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/और लक्षित महिला समूहों के बीच उद्यमशीलता बढ़ाने में मदद करना
5	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	500	• प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण शामिल करना मुख्य धारणाएं: • प्रथम वर्ष में 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,00,000 करोड़ रुपए के गारंटीशुदा ऋण, और; • 12% की दर पर गारंटीशुदा पोर्टफोलियो में ऋण चूक	अल्पसेवा प्राप्त और सेवा वंचित क्षेत्रों को ऋण के अधिक प्रवाह में मदद करना और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत त्वरित, सतत और व्यापक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना। पात्र उधार लेने वालों को अतिरिक्त निशुल्क औपचरिक ऋण देने में सहायता करना।
6	स्वालम्बन स्कीम के तहत अनुदान सहायता	50	स्वालम्बन स्कीम के तहत विद्यमान अभिदाता आधार को 100% सहायता	असंगठित क्षेत्र से लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने और एनपीएस के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे वृद्धावस्था आय को सुरक्षा मिलती है।
7	एसबीआई के इक्विटी शेअर के राइट इश्यू में अभिदान के लिए	625	यह, एसबीआई को अपने राइट इश्यू 2008 में अभिदान के लिए देय तारीख को जारी सरकारी प्रतिभूतियां-2024 का शोधन करने के लिए सृजित प्रतिभूति	इक्विटी निवेश के माध्यम से अपनी उधार लेने की क्षमता को बढ़ाकर एसबीआई के सीएआर, एनपीए और अंश मूल्य में सुधार

	जारी प्रतिभूतियां भुनाने के लिए प्रतिभूति शोधन निधि के लिए आरक्षित निधि में अंतरण		शोधन निधि में अंशदान करने के लिए है।	
8	भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए भुगतान	150	• वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम के 100% अभिदाताओं को समय पर संवितरण • इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को 9% का वार्षिक लाभ प्राप्त होता है	कमी की स्थिति में एलआईसी की सहायता करके सभी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अभिदाताओं के लिए 100% गारंटीशुदा लाभ सुनिश्चित करना। गारंटीशुदा लाभ तथा एलआईसी द्वारा फंड में सृजित लाभ में किसी भी अंतर को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाता है
जोड़		**14,325**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 41 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	**राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन -**	725.00		• 10.51 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना • फलों और सब्जियों की वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता को 2.1% से बढ़ाकर 3% तक करना। • 5,33,600 व्यक्तियों को रोजगार • 80,189 करोड़ रुपए के मूल्य के 267.29 लाख मीट्रीक टन मांस/मांस उत्पादों का उत्पादन • 66,014 करोड़ रुपए के मूल्य के 220.04 लाख मीट्रीक टन कृषि उत्पादों का प्रबंधन • भोजन की गुणता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क • अनुसंधान एवं विकास से खाद्य उत्पादों के परिरक्षण और पैकेजिंग के लिए नए उत्पादों और नई किफायती प्रौद्योगिकियों का विकास आसान होगा। • मूल्य श्रृंखला अदक्षताओं को न्यूनतम करना, उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी करना और किसानों के लिए अधिक लाभकारी मूल्य
1.1	मेगा फूड पार्क के लिए स्कीम	300.00	• 7 मेगा फूड पार्कों का परिचालन	
1.2	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण के सृजन/विस्तार के लिए स्कीम (पुरानी स्कीम की बची हुई देयताओं के साथ)	95.00	• 150 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का काम पूरा करना, 150 नई इकाईयों को मंजूरी प्रदान करना	
1.3	आधुनिक बूचड़खानों के लिए स्कीम	45.00	• 15 बूचड़खाना परियोजनाओं का काम पूरा करना, 8 नई परियोजनाओं का काम शुरू करना	
1.4	एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना के लिए स्कीम	180.00	• 29 कोल्ड चेन परियोजनाओं का काम पूरा करना, 50 नई परियोजनाओं का काम शुरू करना	
1.5	गुणता आश्वासन के लिए स्कीम	20.00	• 14 एफटीएल का काम पूरा करना, 13 नए एफटीएल के लिए अनुमोदन प्रदान करना	
1.6	मानव संसाधन एवं संस्थाओं के लिए स्कीम	30.00	• 12 एफटीएल को एनएबीएल प्रमाणन, 21 इकाईयों को एचएसीसीपी/आईएसओ प्रमाणन	
1.7	# कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों हेतु अवसंरचना के लिए स्कीम	35.00	• 25 नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अनुमोदन	
1.8	# बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज के सृजन के लिए स्कीम	20.00	• 25 क्लस्टरों को स्वीकृति • 10 नई इकाईयों को स्वीकृति	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 42 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वितीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम				
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)				
1.	एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	12949.86		
1.1.1	एनआरएचएम - मिशन फ्लेक्सिबल पूल (एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य तंत्र का सुदृढ़ीकरण)	8383.26	• आईपीएचएस मानकों का पालन करते हुए 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़ाना • आईपीएचएस मानकों का पालन करते हुए 100 सीएचसी बढ़ाना • आईपीएचएस मानकों का पालन करते हुए 50 डीएच बढ़ाना	स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी को दूर करना
1.1.2	आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	4566.60	• 2016-17 के स्तर से 3 एएनसी जांच करवाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में कम से कम 2% की वृद्धि • 2016-17 के स्तर से संस्थागत डिलीवरी में कम से कम 1.5% की वृद्धि • 2016-17 के स्तर से एफआरयू की संख्या में 5% की वृद्धि • 2016-17 के स्तर से सुविधा आधारित नवजात देखभाल इकाइयों में भर्ती नवजात बीमार शिशुओं की संख्या में 5% की वृद्धि • पूर्ण प्रतिरक्षण व्याप्ति को बढ़ाकर 87% करना	• 2020 तक एमएमआर को कम करके 100 तक लाना • 2020 तक यू5एमआर को कम करके 37 तक लाना • 2020 तक एनएमआर को कम करके 20 तक लाना • 2020 तक पूर्ण प्रतिरक्षण व्याप्ति को बढ़ाकर 90% तक करना
1.2	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लेक्सिबल पूल	752.05	300 अतिरिक्त यूपीएचसी का संचालन करने के लिए	12 माह से कम आयु के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना में वृद्धि करना
1.3	संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	1360.00		
1.3.1	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम		टीबी के लिए नए स्प्यूटम पॉजिटिव रोगियों में >85% की निवारक दर को	नए स्मीअर पाजिटिव टीबी के लिए उपचार की सफलता दर में सुधार करके

			हासिल करना और उसे बनाए रखने तथा उन्मूलन की स्थिति तक पहुंचने के लिए टीबी के नए मामलों में कमी लाना।	उसे 2020 तक 90% तक लाना
1.3.2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम		जिलों जहां एएनसीडीआर>50 है, की संख्या को 18 से कम करके 12 तक करना	इन 18 जिलों में कुष्ठ रोग का उन्मूलन
1.3.3	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम		'सिन्ड्रोमिक (एस)' फॉर्म की ≥75% पूर्णता, 'प्रकल्पित (पी)' फार्म की ≥85% पूर्णता, 'लेब कन्फर्म्ड (एल)' की ≥85% पूर्णता, महामारी से होने वाले रोगों के निदान/जांच के लिए 175 जिला लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाया गया।	घटनाओं का प्रतिशत जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर की जाती है- - 100% पी फार्म में आईएसडीपी के तहत रिपोर्टिंग इकाईयों की रिपोर्टिंग का प्रतिशत बढ़कर >90% होना।
2.	गैर-संक्रामक रोगों, चोट और आघात के लिए फ्लेक्सिबल पूल	955.00		
2.1	राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम		68 लाख मोतियाबिंद आपरेशन, अन्य नेत्र रोगों के 2 लाख उपचार/प्रबंधन, स्कूली बच्चों को 9 लाख मुफ्त चश्मे, दान की गई 0.60 लाख आंखों का संग्रह, वृद्ध व्यक्तियों को नजदीकी कार्य के 2 लाख चश्में, नेत्र सर्जन के 500 प्रशिक्षण।	अंधेपन के फैलाव को कम करके 2020 तक 0.3% तक लाना
2.2	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)		70 जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन करना	कम से कम 50% अधिक रोगियों को सुविधा मिले (आधार वर्ष 2016-17)
2.3	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और सदमे की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)		• जिला अस्पताल में अतिरिक्त 550 एनसीडी क्लीनिक सेटअप • सीएचसी में अतिरिक्त 3000 एनसीडी क्लीनिक सेटसअप • जिला स्तर पर अतिरिक्त 150 सीसीयू समर्थित/सहायता	कार्यक्रम के तहत 100% पात्र आबादी की जांच। 2020 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह या पुराने श्वास रोगों से होने वाली समय से पहले मृत्यु दर में 10% तक की कमी लाना (एनएफएचएस-4 की आधाररेखा)
3.	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन	60.00	11 एएनएम/जीएनएम स्कूलों का संचालन	1950 एएनएम/जीएनएम सीटें बढ़ाना
3.1	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	52.35	5 मोबाइल प्रयोगशालाओं की स्थापना	प्रति वर्ष 1.5 लाख नमूनों का परीक्षण करना। दवाओं की गुणता सुनिश्चित करना।
3.2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)	1000	इस स्कीम की परिणाम बजट में 2018-19 में समीक्षा की जाएगी	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 43: स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1.	महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना	56.00	25 नए वायरल नैदानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना (वीआरडीएल)	संपूर्ण देश *में* महामारियां फैलने के दौरान *जीवाणु* के निदान/पहचान सुनिश्चित करना, सामान्य वायरल संक्रमणों जैसे जेई, चिकुनगुनिया, डेंगी, एच1एन1, हेपेटाइटिस आदि के लिए प्रतिवर्तन काल को मौजूदा 48 घंटों से अधिक की अवधि *को* घटाकर 24 घंटे से कम करना, और अज्ञात वायरसों/विदेशी वायरसों के निदान के लिए प्रतिवर्तन काल को कम *करके* 48 से 72 घंटे तक करना
2.	आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना (एमआरएचआरयू):	9.00	3 आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों का परिचालन (एमआरएचआरयू)	15 आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों (एमआरएचआरयू) का परिचालन, ग्रामीण परिवेश में नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से फील्ड तक ले जाना। ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पीएचसी और सीएचसी स्तर पर डायग्नोस्टिक किट का विकास, ग्रामीण आबादी के स्थानीय रोगों जैसे कुपोषण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुष्ठ रोग, तपेदिक के बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
3.	अनुसंधान गवर्नेंस	5.00	चिकित्सा प्रौद्योगिकी आकलन बोर्ड का परिचालन और 3 एचटीए विषयों को लेना	किफायती प्रौद्योगिकियों के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश तैयार करना। चिकित्सा प्रौद्योगिकी आकलन बोर्ड अगले तीन वर्षों में 30-40 एचटीए अध्ययन शुरू करेगा। सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना), आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पैकेज आदि की सूचना देने के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी आकलन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 44: भारी उद्योग विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना	150.00	• चकन में सामान्य इंजीनियरी सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी • प्रति वर्ष 480 छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एचएमटी में आईटीआई के छात्रों और मशीन टूल ऑपरेशन डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र • इलेक्ट्रो स्लेग री-मेल्टिंग, वेल्डिंग, गियर बॉक्स विनिर्माण और गैर-विध्वंसक परीक्षण के क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के लिए एचईसी, रांची में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र • आईआईटी, चेन्नै में उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा पूंजीगत माल उद्योग की अभिनिर्धारित आवश्यकताओं के लिए आर एंड डी सहायता	• मशीनी औजारों, धातुशोधन और संबद्ध क्षेत्रों में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कुशल कामगार बढ़ेंगे। • क्लस्टर अपरोच, कुशल कार्यशक्ति और बेहतर आर एंड डी सुविधाओं से इस क्षेत्र का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। • मशीन टूल पार्क से मशीनी औजारों की घरेलू बिक्री बढ़ जाएगी
2.	भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का तेजी से अपनाया जाना और उनका विनिर्माण	175.00	• 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना • क्लीनर इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी रैंज और घटकों के विनिर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की प्रौद्योगिकी विकास सहायता; • 3 लाख वाहनों के लिए राजसहायता • बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए शैक्षिक साझीदार की पहचान की जाएगी। • शहरी सार्वजनिक परिवहन में 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। • 1000 सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा।	लगभग 2 से 3 मिलियन हाइब्रिड/ इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोक्ताओं के साथ हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण/ बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और इसे तेजी से अपनाए जाने से पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाई जा सकेगी और साथ ही जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता भी घटेगी और इस प्रकार भुगतान संतुलन में सुधार होगा।
3.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी)	485.88	• ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) चेन्नै, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) मानेसर, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) पुणे तथा नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रेक्स (एनएटीआरएएक्स) इंदौर में पावर ट्रेन, पेस्सिव सेफ्टी, नोइज, वायब्रेशन एंड हार्शनेश (एनवीएच), इलेक्ट्रोमेग्नेटिक	• वर्ष 2026 तक निर्यात को कुल उत्पादन का 35-40% तक बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ही इंडियन ऑटोमोटिव एंड कंपोनेंट मेनुफेक्चर्रस वैश्विक रूप से प्रतियोगी बन जाएंगे। इससे "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को गति मिलेगी। • भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की प्रमाणन आवश्यकताओं को ऑटोमोटिव उद्योग, ओईएम तथा उनकी उत्पाद विकास जरूरतों हेतु घटकों के लिए बढ़ाई गई सहायता से पूरा किया जाएगा।

			कंपेटिबिलिटी (ईएमसी), फटीग एवं प्रमाणन प्रयोशालाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करना। • जीएआरसी चेन्नै, आईसीएटी मानेसर में टेस्ट ट्रैक्स का काम पूरा किया जाना और एनएटीआरएक्स इंदौर में टेस्ट ट्रैक्स का आंशिक कार्य पूरा किया जाना	
4.	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए विकास एवं अनुसंधान परियोजना	120.00	• परीक्षण प्रक्रिया का सृजन और रोटर टेस्ट रिग आदि का सिमेटिक • स्टीम टरबाइन रोटर और कास्टिंग की प्राथमिम डिजाइनिंग, हाई प्रेशर टरबाइन के लिए ब्लेड प्रोफाइल • बॉयलर फीड पम्प की प्राथमिक डिजाइनिंग, फीड वाटर हीटर और एचपी बाईपास वाल्व	• रोटर टेस्ट रिग, टेस्ट प्लान और प्रोसीजर की स्थापना • प्रमुख घटकों का डिजाइन - बॉयलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर, वाल्व्ज, पाइपिंग • संयंत्र की समग्र खाका • 800 एमडब्ल्यू एयूएससी थर्मल प्लांट का संपूर्ण डिजाइन
	जोड़	**930.88**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 45: लोक उद्यम विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	सीपीएसई के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श सेवा, पुनर्प्रशिक्षण और पुन: तैनाती स्कीम	3.0	सीपीएसई के 2000 वीआरएस/ वीएसएस चयनकर्ताओं/आश्रितों का प्रतिधारण	सीपीएसई का आकार सही किए जाने अथवा बंदी से प्रभावित वीआरएस चयनकर्ताओं और उनके परिवारों के मानव संसाधन प्रबंधन को उनकी पुन:रोजगार जरूरतों तथा परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम किए जाने पर ध्यान देकर समर्थ बनाना। पुन:प्रशिक्षित 45-50% वीआरएस/वीएसएस चयनकर्ताओं अथवा आश्रितों की पुन: तैनाती की जाएगी
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों के लिए अनुसंधान, विकास एवं परामर्श स्कीम	5.0	• 10 विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम • दो अथवा तीन सेक्टोरल बैंचमार्किंग अध्ययन • चार से छह कार्यशालाएं/संगोष्ठियां	प्रतिवर्ष सीपीएसई/एसएलपीई/डीपीई के 350-400 कार्यपालकों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास
जोड़		**8.0**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 46: गृह मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (सुरक्षा संबंधी व्यय सहित)			
1.1	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 मजबूत थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) **(यह स्कीम अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन है और इसलिए 1.00 करोड़ रुपए टोकन राशि के रूप में रखे गए हैं)**	1.00	• सुरक्षा बलों के आवागमन से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना को पूरा करना • सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षित शिविर स्थल और हेलीपेड • थानों की सुरक्षा बढ़ाना, जेलों का सुदृढ़ीकरण और • वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए राज्यों के विशेष बलों की प्रशिक्षण अवसंरचना, आवासीय अवसंरचना, हथियारों एवं वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना।	यह स्कीम पुलिस प्रशासन को वामपंथी उग्रवाद की समस्या से अधिक कारगर ढंग से निपटने में तथा राज्यों से वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता करेगी।
1.2	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)	231.00	वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान, पुलिस का बीमा प्रीमियम, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण एवं प्रचालन आवश्यकताएं, एलडब्यूई के समर्पण करने वाले कैडर को प्रतिपूर्ति, गांव सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना, एसपीओ को मानदेय और प्रचार सामग्री पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए	इस स्कीम का परिणाम वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न हिंसा और सुरक्षा बलों/पुलिस कार्मिकों पर वामपंथी उग्रवादियों के हमलों में कमी के रूप में दिखेगा।
1.3	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति	330.00	इस स्कीम के परिणाम के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी मुख्यधारा में शामिल हुए हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस स्थापनाओं का सुदृढ़ीकरण हुआ है।	इस स्कीम से पुलिस स्थापना के सुरक्षा बलों की लोजिस्टक आवश्यकताओं को पूरा करने में और आत्मसमर्पण कर चुके वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से भटके हुए युवाओं को उग्रवादी समूहों में शामिल होने से रोकने में सहायता मिलेगी।
1.4	सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस)	660.00	इसमें सिपाही दल का परिवहन, सुरक्षा बलों के लिए लोजिस्टिक सहायता, एसपीओ का मानदेय, आईआर बटालियन, जम्मू और कश्मीर पुलिस के लिए नागरिक कार्य योजना, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास के निर्माण जैसी अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन शामिल है ताकि वे सरकारी और निजी भवनों आदि को खाली कर सकें।	यह स्कीम राज्य में आतंकवाद से लड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर के पुलिस बल की लोजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी।

1.5	सुरक्षा संबंधी व्यय (आरएंडआर)	450.00	इसमें जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज पर किया गया व्यय, आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों/सुरक्षा कार्मिकों के परिजनों के लिए राहत, आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों का पुनर्वास आदि शामिल है।	यह स्कीम उन कश्मीर प्रवासियों जिन्हें आतंकवाद अवधि के दौरान घाटी से विस्थापित दिया गया था, के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए सहायता करेगी।
1.6	क्राइम एंड क्रिमनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस)	31.00	लगभग 16000 थानों को हार्डवेअर एवं सोफ्टवेअर उपलब्ध कराना, सिस्टम एवं राष्ट्रीय डाटा सेंटर का प्रचालन एवं अनुरक्षण	सीसीटीएनएस परियोजना से आपराधिक आंकड़ों के केन्द्रीय भंडार और एकीकृत जांच फार्मों आदि के इलेक्ट्रिक पंजीकरण द्वारा संपूर्ण भारत में आपराधिक सूचना एवं न्याय प्रदायगी तंत्र को लाभ होने की संभावना है।
1.7	"भारतीय रिजर्व बटालियन और विशिष्ट आईआर बलालियन"	50.00	राज्य सरकारों को एसआईआरबी/आईआर बटालियनों की बढ़ती लागत की प्रतिपूर्ति करना	यह स्कीम राज्यों को सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे सीएपीएफ पर राज्यों की निर्भरता में कमी आएगी।
2.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	1100.00	सीमा क्षेत्रों और गांवों का विकास	यह स्कीम सुदूर क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करेगी और सीमावर्ती आबादी में सुरक्षा एवं कुशलमंगल की भावना को प्रोत्साहित करेगी।
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं	86.00	सुदूर क्षेत्रों में हवाई संपर्क की सुविधा, लोगों का आपात बचाव, सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना।	पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों के लिए संपर्क व्यवस्था में सुधार करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं हेतु राजसहायता देना।
4.	आपदा प्रबंधन: राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना	694.25	150 चक्रवात आश्रयस्थल, 200 किमी सड़कें, 15 पुल, 35 किमी के सलाइन तटबंध	इस स्कीम के परिणामस्वरूप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जान और माल की हानि में कमी आएगी।
5.	सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन			
5.1	आईसीपी की स्थापना	290.00	**धनराशि का उपयोग भूमि के विकास**, ट्रक स्कैनर, और बीजीएफ आवास के लिए किया जाएगा। नए आईसीपी का भी प्रस्ताव है।	भूमि सीमा पर व्यापार आसान होगा
5.2	भारत-चीन सीमा पर अवसंरचना का विकास (चरण-I सड़क)	261.31	चरण-I : 97.00 किमी. चरण-II : 0.00 किमी.	सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की प्रचालन क्षमता बढ़ाना और सीमावर्ती आबादी का सामाजिक आर्थिक विकास।
5.3	चरण-II सड़कें (आईसीबीआर)			
5.4	भारत-नेपाल सीमा पर सड़कों का विकास	200.92	244.84 किमी..	
5.5	भारत-भूटान सीमा पर सड़कों का विकास	1.00	डीपीआर को अंतिम रूप देना	

5.6	भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य			कारगर सीमा प्रबंधन
5.6.1	आईबीबी कांटेदार तार से बाड़	400.00	40 किमी	
5.6.2	सीमा सड़क	50.00	40 किमी	
5.6.3	फ्लड लाइट, र आदि	100.00	120 किमी	
5.7	भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य			कारगर सीमा प्रबंधन
5.7.1	बाड़	100.00	40 किमी	
5.7.2	सीमा सड़क	180.00	30 किमी	
5.7.3	फ्लडलाइटिंग	50.00	50 किमी	
5.7.4	बीओपी आईबीबी और आईपीबी	350.00	40 किमी	
5.8	तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) (#)	261.31	131 तटीय थानों, 60 जेटियों का निर्माण, 131 चौपहिया वाहनों, 242 दुपहिया वाहनों एवं 225 नावों की खरीद	अनुमानित परिणाम: 2017-18 122 सीपीएस 40 जेटियां 131 चौपहिया वाहन 242 दुपहिया वाहन 225 नाव
(#)- स्कीम के चरण-II के लिए कुल स्वीकृत बजट: 1579.91 करोड़ रुपए। 31.03.2016 तक उपयोग की गई कुल धनराशि: 328.65 करोड़ रुपए। मंत्रिमडलीय सुरक्षा समिति ने तटीय सुरक्षा स्कीम के चरण-II के लिए चार वर्ष के लिए विस्तार अर्थात् 01.04.2016 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 1251.26 करोड़ रुपए की अव्ययित राशि को स्कीम के चरण-II की विस्तारित अवधि के दौरान 2016-2020 में व्यय किया जाना है।				

5.8.1	**बीओपी का निर्माण**	**316.14**		
	असम राइफल्स	5.00	असम राइफल्स के सीओबी/बीओपी में अवसंरचना का निर्माण/उन्नयन	03 नए सीओबी की स्थापना.
	आईटीबीपी	22.00	जवानों के लिए बैरक-14, सीओएस/एसओएस आवास-01, अन्य कार्य-11	कारगर सीमा प्रबंधन
	एसएसबी	89.14	1) 20 बीओपी के लिए भूमि लागत 2) 25 बीओपी के लिए के लिए सोलर पावर प्लांट 3) 20 बीओपी में जेन्टसेट 4) 20 बीओपी में सौर प्रकाश व्यवस्था सीपीडब्ल्यूडी और विभागीय कार्य	कारगर सीमा प्रबंधन
	बीएसएफ	200.00	100 एलीमेंट	कारगर सीमा प्रबंधन
	भारत-म्यांमार सीमा सीमा सड़कों और हेलीपेड का निर्माण	15.00	चरण-I के तहत 1718 किमी सड़कों और 21 हेलीपेड के लिए बीपीआर को पूरा करना। ईएफसी और मंत्रिमंडल का सैद्धांतिक अनुमोदन	डीपीआर को पूरा करना
	हाई-टेक निगरानी उपकरण	70.00	पंजाब और गुजरात में दो प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है।	कारगर सीमा प्रबंधन
6	सीएपीएफ अवसंरचना:-			
6.1	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	150.00	मैदान गढ़ी में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सुपर स्पेशियलिटी होस्पीटल, नर्सिंग कॉलेज और स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स की स्थापना	यह स्कीम सेवारत और सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों को द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करेगी।

	(सीएपीएफ-आईएमएस)			
6.2	आवासीय भवन	1591.10	3262 मकानों का निर्माण	इस स्कीम से 2019-20 तक आवासीय संतुष्टि का स्तर मौजूदा 12.10 % बढ़कर 15.83% तक हो जाएगा।
6.3	कार्यालय भवन	1769.03	247 भवन + 35 बैरक	इन स्कीमों से सीएपीएफ संस्थाओं के लिए कार्यालय परिसर उपलब्ध होंगे।
6.4	कार्यालय भवन (योजना) (आईबी)	84.00	176 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है	इस स्कीम से 176 अधिकारियों को रिहायशी आवास उपलब्ध होगा।
6.5	एनआईए के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय और आवासीय भवन का निर्माण	88.60	i) बीओ लखनउ-कार्यालय और आवासीय भवन ii) बीओ गुवाहाटी-कार्यालय और आवासीय भवन iii) बीओ हैदराबाद-कार्यालय और आवासीय भवन iv) एनआईए मुख्यालय नई दिल्ली कार्यालय भवन	i) बीओ कोलकाता के लिए कोलकाता में भूमि की खरीद ii) बीओ जम्मू के लिए जम्मू में भूमि की खरीद
6.6	नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड स्कीम	98.30	क. <u>सुरक्षित नेटग्रिड आईटी ढांचे में ओसिन्ट</u> : निम्नलिखित कार्यक्षमताओं के साथ-साथ सभी प्रयोक्ता एजेंसियों (इस समय संख्या में 10) को प्रदान करना: (i) खोज- फजी, पैरामीट्रिक, लॉजिकल (ii) स्वचालित और उपयोगकर्ता परिभाषित स्रोत रिपोजिटरी (iii) ग्राफ़ आधारित दृश्य (iv) स्रोत संदर्भित, भू-संदर्भित (v) भावना विश्लेषण, सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण (vi) अलर्ट जनरेशन ख. <u>नेटग्रिड की भौतक अवसंरचना</u>: डाटा सेंटर, बिजनेस कंटिन्यूइटि प्लान सेंटर और दिल्ली में एंसीलरी बिल्डिंग तथा बंगगूरू में एंसीलरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करना। कुल निर्मित क्षेत्रफल 38441.15 वर्ग मीटर **<u>निर्भरता:</u>** <u>मशीन एवं उपस्कर:</u> क. नेटग्रिड ने 'मशीन एवं उपस्कर' के तहत 70.00 करोड़ रूपए के आबंअन का प्रस्तावा किया है। 34.00 करोड़ रूपए की राशि प्रयोक्ता एजेंसियों एवं प्रदाता संगठनों के लिंक स्थापित करने के लिए निर्धारित है, 16.00 करोड़ रूपए की राशि उस सिस्टम इंटिग्रेटर सेपरेटर को भुगतान करने के लिए है जो नेटग्रिड आईटी सोल्यूशन विकसित करेगा, 15.59 करोड़ रूपए की राशि नेटग्रिड में ओसिन्ट सोल्यूशन के कार्यान्वयन के लिए है तथा 4.00 करोड़ रूपए की राशि नेटग्रिट में प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित है। ख. ओसिन्ट सोल्यूशन हेतु कार्यान्वयन साझीदार के चयन के लिए ईओआई जारी करने के लिए प्रस्ताव गृह मंत्री के अंतिम अनुमोदन के अधीन	<u>ओसिन्ट:</u> सुरक्षित नेटग्रिड आईटी ढांचा पदनामित आसूचना एवं जांच एजेंसियां तथा प्रयोक्ता एजेंसियों (वर्तमान में 10) को 21 प्रदाता संगठनों के डाटा से कार्रवाई योग्य आसूचना का सृजन करने में समर्थ बना सकेगा और इस प्रकार, उनकी अपनी आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और एक सुरक्षित परिवेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता मिलेगी। द ओपन सोर्स इंटेलीजेंस (ओसिन्ट) सोल्यूशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। <u>नेटग्रिड भौतिक अवसंरचना</u>: सुरक्षित नेटग्रिड आईटी ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक भौतिक परिवेश सृजित करना। कुल निर्माण क्षेत्र 38441.15 वर्ग मीटर।

			है। अन्य कार्यकलापों के संदर्भ में प्रस्ताव विचार के विभिन्न चरणों में हैं। यदि नेटग्रिट द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार आबंटन नहीं किए जाते हैं, तो नेटग्रिट परियोजना के इन सभी घटकों को धन की उपलब्धता के अनुसार पुन:निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होगा, **<u>और परियोजना में विलंब होगा।</u>** <u>प्रमुख कार्य:</u> क. 198.00 करोड़ रूपए के प्रस्तावित आबंटन में से 161.78 करोड़ रूपए की राशि दिल्ली में डाटा सेंटर, बीसीपी एवं कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए निर्धारित है और 36.02 करोड़ रूपए की राशि बंगलूरू में डीआर सेंटर के लिए निर्धारित है। ख. 'प्रमुख कार्यों' के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, 60.29 करोड़ रूपए के संशोधित प्राक्कलन आबंटन में से 52.63 करोड़ रूपए (87%) की राशि एनटीजी आदेशों आदि के बावजूद पहले ही व्यय की जा चुकी है। ऐसी आशा है कि हम वर्तमान संशोधित प्राक्कलन के मुकाबले 100% व्यय कर लेंगे तथा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। व्यय की प्रवृत्ति तथा समयसीमा को बढ़ाए जाने के लिए सीसीएस द्वारा 14.12.2016 को दिए गए अनुमोदन को देखते हुए वित्त वर्ष 2017-18 में व्यय की गति अवश्य ही बढ़ेगी। ग. 14.12.2016 को सीसीएस द्वारा अनुमोदित संशोधित अनुसूची के अनुसार, दिल्ली में सिविल निर्माण कार्य को मार्च, 2018 तक पूरा किया जाना है जिसके लिए संविदात्मक प्रतिबद्ध देयताएं 2017-18 में लगभग 100.00 करोड़ रूपए तक की हो जाएंगी। **<u>अपरिहार्य देयताओं को पूरा न किए जाने से संविदा के उल्लंघन हेतु कानूनी प्रक्रियाएं आवश्यक हो सकती हैं।</u>** घ. बंगलूरू कार्यों के लिए अपेक्षित 36.02 करोड़ में से 22.93 करोड़ रूपए की राशि महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं डीसी सहायक सेवाओं हेतु आंतरिक साज-सज्जा के लिए है। एनबीसीसी इस कार्य के लिए ठेकेदार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और **<u>यदि अपेक्षित आबंटन नहीं किया जाता है, तो कार्य नहीं सौंपा जा सकेगा, परिणामस्वरूप अवसंरचना परियोजना के कार्य को पूरा करने में कम से कम एक वर्ष का विलंब होगा।</u>** चूंकि महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं डीसी सहायक सेवाओं हेतु आंतरिक साज-सज्जा के लिए संविद को दिल्ली में भी डीसी एवं बीसीपी हेतु एक साथ सौंपा जाना है, **<u>इसलिए उपर्युक्त संविदा को सौंपने में होने वाले विलंब से दिल्ली में भी अवसंरचना</u>**	

			<u>परियोजना को पूरा करने में भी विलंब होगा</u> जिन्हें सीसीएस के उपर्युक्त अनुमोदन के अनुसार जुलाई, 2018 तक पूरा किया जाना है। समयसीमाओं को पूरा करने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन में वर्ष में हुई प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और **<u>इससे आतंकवाद-रोधी प्रयासों में संभावित परिणामों में विलंब होगा।</u>**	
7.	दिल्ली पुलिस की स्कीमें			
7.1	कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम	439.00	चालू निर्माण परियोजनाओं का निर्माण कार्य, 8 परियोजनाओं अर्थात् थानों पुलिस चौकियों, जिला लाइनों, महिलाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उन्नत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महिला छात्रावास, बटालियन कार्यालयों आदि के लिए भूमि की खरीद	लक्षित मकानों एवं बैरकों का कार्य पूरा हो जाने से आवास और कार्यालय परिसरों की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
7.2	गैर-योजना	5866.18	ये आबंटन दिल्ली में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने एवं लागू करने के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए हैं।	इससे दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ वीआईपी/वीवीआईपी आदि की सुरक्षा में भी सुधार होगा।
7.3	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	44.10	यातायात पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रावधान	इससे यातायात उल्लंघनों के दोगुना मामले दर्ज करके और सड़क दुघटनाओं में 50% तक कमी करके बेहतर यातायात प्रबंधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
	संपूर्ण दिल्ली पुलिस	6349.28		
8	आईवीएफआरटी (आप्रवास, वीजा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग)			
8.1	आप्रवास, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग	66.00	मार्च, 2017 के बाद, यह परियोजना आवर्ती एवं अनुरक्षण व्यय के साथ अनुरक्षण के अधीन होगी।	डाटा की 100% उपलब्धता एवं वीजा सेवाओं की ट्रेकिंग और देश के अंदर विदेशियों का पता लगाना। विदेशी प्रभाग की सेवाओं को सरल एवं कारगर बनाना।
8.2	आईवीएफआरटी वर्जन 2.0		मार्च, 2017 के बाद आईवीएफआरटी वर्जन की योजना विदेशी प्रभाग की सेवाओं तथा आईवीएफआरटी के बचे हुए कार्यों को सुचारू बनाने के लिए तैयार जाएगी।	
9	महिला सुरक्षा स्कीमें (निर्भया कोष):- महिला सुरक्षा स्कीम	28.90	स्कूलों/कॉलेजों में आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं शिविरों के आयोजन के लिए महिला पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्य मदों एवं उपकरणों का प्रावधान।	इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के परिणामों के बारे में जनता में जागरूकता भी बढ़ेगी और इससे महिलाओं में विश्वास आदि भी और अधिक बढ़ेगा।
10	राष्ट्र व्यापी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली (एनईआरएस)	170.00	36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों राज्य आपात प्रतिक्रिया प्रणाली की स्थापना और नेशनल डाटा सेंटर तथा पूरे भारत के लिए 112 नंबर की शुरुआत	इस स्कीम से देश में आपात प्रतिक्रिया प्रणाली बेहतर होगी।
11	अंतरराज्यीय पुलिस बेतार योजना	90.73	मुख्यालय और 31 क्षेत्रीय कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	इस स्कीम से कार्यालय परिसरों/आवासीय भवनों की कमी दूर होगी।
12	देश में एनपीआर का सृजन और असम में एनपीआर डाटाबेस का अद्यतनीकरण	244.28	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तथा असम में एनपीआर डाटाबेस का डिजिटीकरण और अद्यतनीकरण	इस स्कीम से देश के लिए और विशेष रूप से असम के लिए अद्यतन एनपीआर डाटा उपलब्ध होगा।
13	बीपीआर एंड डी की स्कीमें	83.77	चालू निर्माण कार्य को पूरा किया जाना है	इस स्कीम से प्रति वर्ष लगभग 4000 पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा हो जाएगी।

राजभाषा स्कीम

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
1	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50	100 कार्यक्रम	संबंधित वित्त वर्ष में पूर्ण
2	अधिकारियों को पारिश्रमिक (हमारे प्रशिक्षण केन्द्रों में अंशकालिक अनुदेशकों/कर्मचारियों को इस स्कीम से पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान किया जाता है)	0.06	इस अवधि के दौरान 20 अंशकालिक केन्द्रों का संचालन किए जाने और 80 कर्मचारियों को भुगतान किए जाने की संभावना है।	60 अंशकालिक केन्द्र चलाए जाएंगे और 40% निर्धारित लक्ष्य 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा।
3	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (इस स्कीम के तहत, केन्द्र सरकार अथवा इसके उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है)	11.39	इस अवधि के दौरान हिंदी भाषा में 4243 कर्मचारियों, हिंदी टंकण में 921 कर्मचारियों और हिंदी आशुलिपि में 119 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।	हिंदी भाषा में 12729 कर्मचारियों, हिंदी टंकण में 2763 कर्मचारियों और हिंदी आशुलिपि में 357 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
4	अनुवाद प्रशिक्षण के लिए क्रेश कार्यक्रम	0.41	8 कार्यक्रम, 120 प्रशिक्षु	प्रशिक्षण
5	कंप्यूटर पर शिक्षण सत्रों/ सम्मेलनों/प्रदर्शनियों का आयोजन	0.15	4 सम्मेलन	
6.	हिंदी सोफ्टवेअरों का विकास	2.73	हिंदी आईटी टूल/सोफ्टवेअर का विकास	संबंधित वित्तीय वर्ष में पूर्ण
7	राजभाषा कीर्ति/गौरव पुरस्कार योजना और हिंदी दिवस	0.18	हिंदी दिवस का आयोजन	हिंदी भाषा को प्रोत्साहन
8	विज्ञापन सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन	**1.00**	लघु फिल्म, गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों की ऑडियो/वीडियो रिकार्डिंग, ब्रांड एम्बेसडरों का चयन आदि।	
9	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली	**5.78**	वेतन के लिए	
10	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का व्यय	**0.16**	बैठकों के व्यय की प्रतिपूर्ति	
जोड़		22.36		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 56: आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना	1400	• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को गृह ऋण सब्सिडी का संवितरण (नीचे दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के समग्र निगम के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या)	• शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह का विस्तार • आवास वित्त में आपूर्ति और मांग के बीच अंतर में कमी • आवास वित्त की पहुंच में वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता का विस्तार
ख.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी घटक]	4551	• मिशन के तहत शामिल किए जाने के लिए पिछले वित्त वर्ष के बाद अधिसूचित सभी सांविधिक शहरों का समावेशन • राज्यों द्वारा अनुमोदित 24 लाख मकानों के लिए केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 14 लाख मकानों का कार्य पूरा किया जाना • मकानों का 75% दखल	• सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी गरीब तक मिशन की पहुंच • पर्याप्त मूल सेवाओं और अवसंरचना सहित अपने स्वामित्व वाली पक्की आवास इकाईयां प्रदान करके स्लम के पुनर्वास सहित शहरी गरीब के जीवन स्तर में सुधार
	(i) सीबी के लिए क्षमता निर्माण और ए एंड ओई सहित आईईसी कार्यकलाप	53	• 30 कार्यशालाएं	• राज्य और शहर स्तर पर जागरूकता/क्षमता निर्माण
	(ii) प्रौद्योगिकी प्रस्तुति (क्षमता निर्माण द्वारा वित्तपोषित)	2	• 3 नई प्रौद्योगिकियों के लिए एसओआर तैयार करना • 4 अनुसंधान प्रस्तावों/अध्ययनों का वित्तपोषण	• वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का समावेश करते हुए परियोजनाओं के स्वीकरण और निष्पादन के लिए राज्यों को द्रुत संगणक • नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को मुख्य धारा में शामिल करना
	ऋण जोखिम प्रतिभूति निधि न्यास	15	• 44 करोड़ की कुल ऋण राशि के 1650 इडब्ल्यूएस/ एलआईजी के लिए प्रतिभूति सुरक्षा	• ऋण के लिए ऋणदाता एजेंसियों को प्रतिभूति
	भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी	3	• 3 उभरती हुई आवासीय प्रौद्योगिकियों का प्रोन्नयन • प्रदर्शन संरचना - प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने के लिए 2	• मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न किफायती, आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता • कुशल जनशक्ति की उपलब्धता

	संवर्धन परिषद्		• 200 कामगारों का कौशल उन्नयन और 200 विशेषज्ञों की क्षमता का निर्माण • 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारत के संवेदनशीलता मानचित्र का तीसरा संस्करण तैयार करना	
2	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)	349	• 38,500 स्वयं सहायता समूहों का गठन • 27,500 एसएचजी को रिवोल्विंग फंड जारी करना • 38,500 शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यम (व्यक्तिगत और समूह) स्थापित करने के लिए सहायता • 3,00,000 शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देना; 40 आश्रय स्थलों का संचालन • 100 शहरों में गली विक्रेता सर्वेक्षण पूरा करना	• आधार रेखा के मुकाबले एचएच आय में वृद्धि, बैंक ऋण तक अधिक पहुंच, एसएचजी का वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण • कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार में वृद्धि

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 57: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें				
1.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (एकीकृत)	3,830.00	• 5.36 लाख अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण • आईसीटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 1000 नए विद्यालय • लड़कियों के 30 नए छात्रावास • आईईडीएसएस: विशेष जरूरतों वाले 2.5 लाख बच्चों को शामिल किया जाना • व्यावसायिक शिक्षा: 750 नए स्कूलों को शुरू किया जाना है	शिक्षा और शिक्षण परिणामों की गुणता में सुधार; माध्यमिक विद्यालयों में अधिक नामांकन; प्राथमिक स्तर के बाद विशेष रूप से लड़कियों और विशेष जरूरतों वालें बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट; स्कूलों में व्यावसायिक कौशल की व्यवस्था
2.	मध्याह्न भोजन	10,000.00	10.08 करोड़ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का प्रावधान	मध्याह्न भोजन स्कीम की बढ़ी हुई गुणता और व्याप्ति
2.	सर्व शिक्षा अभियान	23,500.00	• प्राथमिक स्तर जीईआर को 98.5 तक बढ़ाना • शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार सभी राज्यों के लिए आदर्श पीटीआर प्राप्त करना • पाठ्य-पुस्तक (9.5 करोड़) और वर्दी (5 करोड़) का वितरण • स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या घटाकर 50 लाख करना • प्राथमिक स्तर पर 4 की स्कूल छोड़ने की दर और उच्च-प्राथमिक स्तर पर 3.3 की स्कूल छोड़ने की दर	2016-17 में प्राथमिक स्तर पर जीईआर को बढ़ाकर 97.5 करना; प्राथमिक स्तर पर गुणता में सुधार और बच्चों को रोके रखने के लिए प्रयास
4.	साक्षर भारत	320.00	• 1 करोड़ गैर-साक्षरों को मूलभूत साक्षरता • 50,000 व्यक्तियों को मूलभूत शिक्षा	गैर-साक्षरों को मूलभूत साक्षरता और प्रौढ़ों को मूलभूत शिक्षा का अधिकाधिक प्रावधान
5.	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	480.00	शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए 'व्यापक निगरानी तंत्र' स्थापित करना	नए मानकों, एनसीटीई विनियमन 2014 के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में रिक्तियों को भरना और क्षमता बढ़ाना; एनसीटीई द्वारा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रमाणन
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें				
6.	नवोदय विद्यालय समिति	2,700.00	• 45+2 जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना • 2+45 संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण • 45451 छात्रों का नामांकन • नए भवन: चरण क: 30 चरण ख: 20	देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करना और छात्रों का नामांकन बढ़ाना और ग्रामीण छात्रों तक बेहतर पहुंच। बोर्ड परिक्षाओं में छात्रों के पास प्रतिशत में सुधार होगा क्योंकि छात्रों का शिक्षण स्तर बढ़ाया गया है।
7.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	4,300.00	• 25 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना • 71 विद्यालय भवनों को पूरा करना • 101 विद्यालय भवनों का चालू निर्माण कार्य पूरा करना	गैर-समृद्ध क्षेत्रों को गुणता शिक्षा प्रदान करना, विद्यालयों के लिए अवसंरचना और खेल सुविधाओं का अनुरक्षण और केन्द्रीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षों की स्थापना करना

8.	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	40.00	लगभग 3-4 लाख लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना	कुशल और सशक्त कार्यबल का सृजन, उपार्जन के अवसर उत्पन्न करना और इस प्रकार गरीबी को कम करने में मदद करना।
9.	राष्ट्रीय बाल भवन	18.00	6000-8000 बच्चों की सदस्यता कायम रखना	सदस्यता और विस्तार में सतत् वार्षिक वृद्धि
10.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	230.00	• 50 अनुसंधान परियोजनाएं • सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लगभग 1000 छात्रों का उत्तीर्ण होना	स्कूल शिक्षा के लिए डाटा बेस उत्पन्न करना और उसका विश्लेषण करना ताकि नीति और अध्यापन शिक्षण कार्य प्रणालियां तैयार करना
11.	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम	282.00	कक्षा IX के मेधावी छात्रों (नए+नवीकरण) को लगभग 2.20 लाख छात्रवृत्तियां आबंटित करना और पिछले शैक्षिक वर्षों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का नवीकरण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों की माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा सुनिश्चित करना और उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी।
12.	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिका छात्र को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना	320.00	3000/- रु. की प्रोत्साहन राशि के लिए 6.50 लाख बालिकाओं को शामिल करना	समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाना और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी
13.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	54.00	• विद्यालय अनुरक्षण, गुणता शिक्षा में सुधार और छात्रों के नामांकन में वृद्धि • 60 शिक्षक और गैर-शिक्षक कार्यशालाएं • 14 विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित किया जाना; हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, खेल/क्रीड़ाएं/योग सुविधाएं, साहसिक भ्रमण, संगीत/नृत्य कार्यकलाप और एनएसएस • 4 विद्यालयों के लिए बेहतर छात्रावास और रसोईघर उपकरण, विकसित पार्क और इलेक्ट्रॉनिक/डिस्पले/अंत:क्रिया बोर्ड और जनरेटर/वाटर कूलर • 6 विद्यालयों को बेहतर गणित विज्ञान प्रयोगशालाओं से सुसज्जित करना, बेहतर बोर्ड परिणामों के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए 9 विद्यालयों द्वारा कार्यशालाओं का संचालन किया जाना।	अध्यापन और शिक्षण स्तरों में सुधार
14.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	1.00	परिषद् की एक बैठक, कार्यकारिणी समिति की दो बैठकों और सहायता अनुदान समिति के माध्यम से नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना	कुल साक्षरता स्तर में वृद्धि करना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 58: उच्चतर शिक्षा विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	4,691.94	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में उत्कृष्टता की संभावना वाले 2 विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों में 3 महिला छात्रावास, एसएपी-II के तहत 100 विभाग, 3000 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्तियां, अ.जा./अ.जा.जा. उम्मीदवारों के लिए 1000 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्तियां/पोस्ट डोकटोरल अध्येतावृत्तियां, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत और डीडीयू कौशल केन्द्रों का विस्तार शामिल है।	शैक्षणिक अवसंरचना, शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं में सुधार, अनुसंधान के अधिक अवसर, अधिक इक्विटी, व्यावसायिक अध्ययन के लिए अधिक पहुंच
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	6,485.93	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में शामिल हैं: • 440 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अवसंरचना/सुविधाओं में सुधार; मानित विश्वविद्यालयों को अनुदान • फअध्येतावृत्तियां, प्रकाशन, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां आदि	उन्नत पहुंच, नामांकन और उच्चतर शिक्षा की गुणता, शिक्षण और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय मानक प्राप्त करना
3.	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	250.00	अवसंरचना, उच्च गुणत्ता प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं आदि के निर्माण के उच्चत्तर शिक्षा संस्थाओं के वित्तपोषण में मदद करना	सरकारी धनराशि के अत्यधिक निवेश के बगैर उच्चत्तर शिक्षा संस्थाओं की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार
4.	विश्व-स्तरीय संस्थाएं	50.00	10 निजी शिक्षा संस्थानों की विश्व-स्तरीय संस्थानों के रूप में स्थापना/उन्नयन को समर्थ बनाने के लिए नियामक रूपरेखा प्रदान करना	छात्रों को विश्व स्तरीय अवसंरचना और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना जो कि बदले में उनके कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करेगी और भारत में प्रतिभा पलायन की दर को घटाएगीं।
5.	भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान	355.00	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दकोष/शब्दावली, तकनीकी / वैज्ञानिक पुस्तकें तैयार करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है।	हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों का विकास और मानकीकरण
6.	छात्र वित्तीय सहायता	2,380.00	• केब्याज सब्सिडी और प्रतिभूति कोष अंशदान में 27.67 लाख छात्रों को शामिल किया जाना है • 1.50 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियों के तहत शामिल करना • पपीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति • एएम.टेक कार्यक्रम शिक्षण एसिसटेंटशिप	जीईआर और प्रतिभा खोज में वृद्धि
7.	डिजिटल भारत - ई शिक्षण	497.00	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाएं आईसीटी, आभासी कक्षाओं, प्रतिवर्ष लगभग 2000 एमओओसी की डिलीवरी, ई-शोधसिंधु, सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन का समाधान	अधिक पहुंच; ई-शिक्षण और डिजिटल साक्षरता का विस्तार; गुणता ई-संसाधनों तक पहुंच; नीति और योजना तैयार करने में प्रयोग के लिए शैक्षिक आंकड़े
8.	मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था	108.00	• इइग्नू - नामांकन में 3.5% तक वृद्धि, लगभग 2.6 लाख छात्रों को डिग्री प्रदान की जानी हैं, 3 नए कार्यक्रम, लगभग 150 छात्र सहायता केन्द्र • रराष्ट्रमण्डल शिक्षण	लोचदार ओएलडी अवसरों का सुदृढ़ीकरण/विविधीकरण; राष्ट्रमण्डल देशों में दूरस्थ शिक्षा

9.	राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	250.00	• अ7 शिक्षा स्कूलों की स्थापना, पाठ्यक्रम और अध्यापन-विज्ञान के लिए 10 उत्कृष्टता केन्द्र, शैक्षणिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन के लिए 1 केन्द्र सहित राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन • पोपॉलिटेकनिक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सामान्य और अध्यापन विज्ञान कौशलों में प्रशिक्षण और पुनश्चर्या/अभिमुखी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों/संकाय को सशक्त बनाना, अनुशासन-विशिष्ट विषय-वस्तु उन्नयन और आईसीटी
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	7856.00	मुख्य निर्गम में मौजूदा आईआईटी, आईएसएम धनबाद में सुधार/विस्तार कार्यकलाप और आईआईटी, आंध्रप्रदेश सहित नई आईआईटी में स्थायी परिसर निर्माण/विकास शामिल है	उद्योग और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी द्वारा तकनीकी कार्यबल का प्रतिभा कोष का सृजन
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	1,030.00	मुख्य निर्गम में दूसरी पीढ़ी के आईआईएम के स्थायी परिसर के निर्माण का चरण । और आईआईएम आंध्रप्रदेश सहित नए आईआईएम में निर्माण की शुरुआत शामिल है	आईआईएम द्वारा प्रशिक्षित प्रबंधकीय कार्यबल के प्रतिभा कोष का सृजन
12	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
12.1	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	3,280.00	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में मौजूदा और नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिसर विकास/निर्माण कार्यकलाप और अध्यापन और अनुसंधान में सुधार शामिल है	औद्योगिक विकास, नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के विकास तथा संस्थानों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति
12.2	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान आंध्र प्रदेश	50.00	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में आंध्रप्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर को 30% पूरा किया जाना शामिल है	
12.3	भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान शिबपुर	110.00	मुख्य निर्गम/प्रदेय सेवाओं में शामिल हैं: • ललड़कों के 1000 सीट वाले छात्रावास को 25% पूरा करना • ककक्षाओं, प्रयोगशालाओं, संगोष्ठी कक्षों आदि को 20% पूरा करना • ललड़कियों के 500 सीट वाले छात्रावास को 25% पूरा करना	
13.	भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान			
13.1	आईआईएससी बैंगलोर और 7 आईआईएसई आर	1,100.00	मुख्य निर्गम में 5 आईआईएसईआर (पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम) के स्थायी परिसर को 80% पूरा करना और आईआईएसईआर बरहामपुर और आंध्रप्रदेश का निर्माण शुरू करना शामिल है	गुणता विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए अधिक पहुंच
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान			
14.1	आईआईआईटी	240.00	मुख्य निर्गम में आईआईआईटी इलाहाबाद का 60% निर्माण, एबीवी - आईआईआईटीएम- ग्वालियर का 60% परिसर विकास, आईआईआईटीडीएम जबलपुर में 17 भवनों और अन्य अवसंरचना का 90% निर्माण कार्य, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में 19 में से 12 निर्माण कार्य शामिल हैं	आईटी क्षेत्र में उच्च कौशल शिक्षा तक अधिक पहुंच और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों की उन्नत नियोजनीयता
14.2	पीपीपी मोड में आईआईआईटी	109.45	महत्वपूर्ण निर्गम में पीपीपी मोड में 15 आईआईआईटी में परिसर निर्माण/विकास को पूरा करना शामिल है	
14.3	आईआईआईटी डीएम, कुरनूल	30.00	34 निर्माण कार्यों में से 12 को पूरा किया जाना और संस्थान का अपने स्थायी परिसर से कार्य करना शुरू किया जाना	

15.	योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्य			
15.1	वैश्विक कार्य के लिए प्रोत्साहन	30.00	विभिन्न देशों और संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान का सुदृढ़ीकरण	शिक्षा में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देशों के साथ सहयोग
15.2	शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक प्रोत्साहन	25.00	'जीआईएएन' के तहत 800 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किए जाने और इनमें से लगभग 50% संचालित किए जाने की संभावना है	भारतीय शैक्षणिक संसाधनों और वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमताओं में वृद्धि
16.	अन्य संस्थाओं को सहायता	373.40	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई, एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार को सहायता	क्षेत्रों में उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान की उन्नत पहुंच और गुणता; छात्रों की बढ़ी हुई नियोजनीयता; बेहतर संस्था - उद्योग संपर्क
17.	न्यू स्कूल फॉर प्लानिंग और आर्किटेक्चर	100.00	एएसपीए: एसपीए विजवाड़ा का 75%, एसपीए भोपाल का 70%, एसपीए दिल्ली के दिल्ली परिसर का 20% निर्माण पूरा किया जाना	प्लानिंग और आर्किटेक्चर के क्षेत्रों में उच्चतर तकनीकी शिक्षा का प्रावधान
18.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	485.00	एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) - 40,000 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां, सेमिनार अनुदान योजना के तहत 100, संकाय विकास कार्यक्रम के तहत 100, 20 एमेरिटस अध्येतावृत्तियां, 20 उद्योग संस्थान साझेदारी प्रकोष्ठ, अनुसंधान प्रोन्नयन योजना के तहत 250, नियोजनीयता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 12500 छात्र, समुदाय महाविद्यालय स्कीम के तहत 157	
19.	कौशल विकास	179.00	"समुदाय महाविद्यालयों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता" के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्गम/प्रदेय सेवाओं में समुदाय महाविद्यालय योजना, करियर अभिमुखी पाठ्यक्रम, बी.वोक, लाइव योजनाओं (भाषा प्रयोगशाला कम्प्यूटर प्रयोगशाला आदि) के माध्यम से छात्रों की गतिशीलता शामिल हैं बीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों और 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना	वर्ष 2016-17 से शुरू करते हुए 10,00,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण; अधिक नियोजनीयता ; शिक्षुओं की मांग के अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक पूर्वानुमान में मदद, नियोजन और बजटीय आवश्यकताएं
20.	अनुसंधान और नवाचार			
20.1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीमान्त क्षेत्र	15.00	चयनित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों की पना - ऐसे केन्द्रों को विकसित करने के लिए 20 संस्थाओं का चयन किया गया है	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार का प्रोन्नयन और अधिक अंतर-संस्थागत सहयोग
20.2	अंतर-संस्थागत केन्द्र और उत्कृष्टता समूह नेटवर्क	2.00	अंतर-संस्थागत केन्द्रों की स्थापना, उत्कृष्टता समूह नेटवर्क का सृजन और संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करना	
20.3	राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	30.00	महत्वपूर्ण निर्गम में 4 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क का कार्यान्वयन और स्थानीय प्रयोग के लिए बाजार में भेजने के लिए अधिक प्रोटोटाइप विकसित करना	अधिक पहुंच और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के उच्च मानक

20.4	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अंतरण पहल	86.45	2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मुंबई में एक-एक अनुसंधान पार्क की जारी स्थापना	मौलिक उच्च तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी और उद्योग कार्मिकों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध
20.5	उन्नत भारत अभियान	20.00	क्षेत्र अध्ययन और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान संस्थाओं (आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसइआर जैसे) द्वारा 95 गांवों के समूह की पहचान की जाएगी	ग्रामीण विकास की कायापलट
20.6	उच्चतर आविष्कार अभियान	75.00	निधि सहभाजन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रालयों/उद्योगों/विभागों द्वारा चयनित प्रस्तावों को वित्तपोषित किया जाना	रोजगारोन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने के लिए छात्रों हेतु शैक्षणिक और व्यावहारिक रोजगार के बीच सेतु
20.7	इम्प्रिंट	85.00	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों और अनुसंधान सहभागियों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को वित्तपोषित किया जाना	भारत के लिए प्रासंगिक प्रमुख इंजीनियरी/तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए अनुसंधान की रूपरेखा
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
21.	तकनीकी शिक्षा - गुणता सुधार कार्यक्रम	260.00	महत्वपूर्ण निर्गम में स्नातक कार्यक्रमों (मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया हो) में आधार रेखा के मुकाबले 5% वृद्धि, स्वायत्त संस्थानों में आधार रेखा के मुकाबले 6% वृद्धि और मुख्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भागीदार संस्थानों से जीएटीई परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या में आधार रेखा के मुकाबले 3% वृद्धि	बेहतर शैक्षिक मानक; उन्नत अनुसंधान निर्गम; उच्चतर परिवर्तन दर; संस्थानों के लिए पारदर्शी और शीघ्र निधि जारी करना
22.	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	1,300.00	महत्वपूर्ण निर्गम/प्रदेय सेवाओं में शामिल है: • 55 स्वायत्त महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों के रूप में उन्नयन और महाविद्यालयों को मिलाकर 4 विश्वविद्यालयों की स्थापना • 225 विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान • 330 नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों और 8 डिग्री महाविद्यालयों का आदर्श डिग्री महाविद्यालयों के रूप में उन्नयन • 33 नए व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना • 1100 महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान • अअनुसंधान और सामान्य नवाचार और गुणता सुधार के लिए 7 राज्यों को अनुदान • ससमावेशी पहल के लिए 2 राज्यों, संकाय सुधार के लिए 3 राज्यों और उच्चतर शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिए 3 राज्यों को सहायता • शशैक्षणिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास	अधिक पहुंच, इक्विटी और उच्चतर शिक्षा की गुणता; संकाय भर्ती; शैक्षणिक प्रशासकों और संकाय का व्यावसायिक विकास; अधिक अनुसंधान और नवाचार; अल्प सेवा वाले क्षेत्रों, सुविधा से वंचित क्षेत्रों और दिव्यांगजनों के लिए उन्नत पहुंच के माध्यम से असमानता में कमी; राज्यों में उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिकरण/कौशल वृद्धि
कुल		**31,939.17**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 59: सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	किसान पैनल सहित प्रसार भारती को सहायता अनुदान	430	• ट्रांसमीटर और स्टूडियो का डिजिटीकरण • उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन • नेटवर्क और संपर्क का डिजिटीकरण	• श्रोताओं और दर्शकों की संख्या में वृद्धि • बेहतर दर्शक के लिए टेलीकास्ट और ब्रोडकास्ट की गुणता में सुधार लाना
2	संचार विकास (अवधारणा और विस्तार)	140	• रेडियो स्पोट - 85,381 डिस्पले • बाह्य प्रचार। 6 लाख डिस्पले • मुद्रित प्रचार। 21,1606 नौकरियां • प्रदर्शनियां। 6033.495 दिन • 5 मीडिया पारस्परिक वार्ता सत्र, क्षेत्रीय सम्मेलन, 100 वार्तालाप,8 प्रेस दौरे, 1 आईएफएफआई और अन्य विशेष कार्यक्रम आयोजित करना, टॉकथान	सूचना के व्यवस्थित प्रसार के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना
3	*मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम*	*30*	• *जम्मू, कोटायम, अमरावती और आईज्वाल में आईआईएमसी के परिसर का स्थायी निर्माण* • *पारदर्शी संगठनों के लिए अवसंरचना में सुधार करना और एक संरचना का सृजन करना, स्टूडियों, अनुसंधान और मीडिया योजना के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति* • *वेबसाइट और सामाजिक मीडिया मंच पर तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कार्यक्रमों की कवरेज के लिए मोबाइल तकनीक का 3जी और 4जी उन्नयन* • *आरएनआई के रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन, शीर्षकों का ऑनलाइन सत्यापन/ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करके ऐसे शीर्षकों के प्रमाणीकरण का पंजीकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना* • *प्रकाशन प्रभाग द्वारा अपनी शुरूआत से प्रकाशित पुस्तकों का डिजिटीकरण*	• *विभिन्न क्षेत्रों में आईआईएमसी के स्वयं के परिसर से ज्ञान केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे।* • *डीएवीपी द्वारा किए गए सभी ऑनलाइन संचालनों के लिए और एकीकरण* • *मीडिया के साथ बेहतर संयोजकता को समर्थ करने के लिए संचार अवसंरचना उन्नयन* • *शीर्षकों के ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पंजीकरण एनआईसी के साथ सलाह करके शुरू कर दिया गया है।* • *विरासत महत्व वाली गुणता पुस्तकें और श्रेण्य गांधी साहित्य जनता को प्रदान करना* • *लोगों के बीच डीपीडी की गुणता प्रकाशनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बिक्री प्रचार इस घटक का मुख्य लक्षण है।*
4	फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना	49	• ऑनलाइन प्रमाणीकरण परियोजना को पूरा करना और सीबीएफसी के पोर्टल का अनुरक्षण • लड़कियों के लिए 50 कमरों का निर्माण	• प्रमाणीकरण सक्रीनिंग के लिए सीबीएफसी परिसर के समीक्षा थियेटर • भारतीय सिनेमा की विरासत को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना

	विकास कार्यक्रम		• दो आंतरिक स्टूडियो प्रेक्षागृह और ज्ञान केन्द्र। नए क्षेत्रों में 12 स्थायी स्थान मंच	• निर्णायक समिति स्क्रीनिंग को समर्थ करने के लिए समीक्षा थियेटर स्थापित करना • स्नातक छात्रों का 100% रोजगार नियोजन/उद्यमिता • अवसंरचना को मजबूत बनाना • छात्रों में बेहतर फिल्म-निर्माण की जानकारी - फिल्म निर्माण के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक
5	राष्ट्रीय फिल्म हैरिटेज मिशन	50	• 300 फीचर फिल्मों, 400 लघु फिल्मों की स्कैनिंग • 145 फीचर फिल्मों, 200 लघु फिल्मों की 2के बहाली	• 1200 फीचर फिल्मों, 1660 लघु फिल्मों, 1140 फीचर फिल्मों के इंटर-निगेटिव, 1164 लघु फिल्मों का 2के डिजिटीकरण • डिजिटल प्रक्षेपण/डिजिटीकरण उपकरण की खरीद और भण्डारण सुविधाओं का निर्माण • हैरिटेज के लिए फिल्मों का डिजिटीकरण
6	*नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनीमेशन, गेमिंग एंड स्पेशल इफेक्टस*	*60*	*एनसीओई के लिए अवसंरचना का सृजन*	• *ऐनीमेशन, गेमिंग और जनशक्ति को प्रशिक्षित करना*
7	*डेवलपमेंट कम्यूनीकेशन ऑफ फिल्मिक कंटेट*	*40*	• *भारत और विदेश में फिल्म फेस्टिवल संगठन* • *8 फीचर फिल्मों और उत्तर पूर्व सहित लघु फिल्मों का निर्माण, 12 फिल्मों की डबिंग, 10 फिल्मों को शीर्षक प्रदान करना* • *एएमसी और एफडी वेबसाइट की होस्टिंग* • *भारतीय सिनेमा से संबंधित अभिलेखीय सामग्री प्राप्त करना*	• *भारतीय सिनेमा की विरासत को सुरक्षित रखना, अनुसंधान और बढ़ावा देना* • *फिल्म उद्योग के सहयोग से देश की भागीदारी बढ़ाना* • *गुणत फिल्मों को बढ़ावा देना, निर्माण और क्षेत्रीय भाषाओं में दर्शकों को बढ़ाना*

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 60: श्रम और रोजगार मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम			
1	राष्ट्रीय करियर सेवा	125.00	978 रोजगार कार्यालयों को जोड़ना, जिला स्तर पर 1500 रोजगार मेले, राष्ट्रीय करियर सेवा के बारे में 1000 रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षण	नियोक्ता और रोजगार तलाशने वालों को जोड़ना
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम			
1	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 और बागबानी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	4771.18 50.00	सरकार मजदूरी बिल का 1.16% अंशदान देती है।	संगठित क्षेत्रों में लगे हुए कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ
2	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	1000.00	नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से 5 लाख नौकरियों का सृजन किया जाना है	नई नौकरियों का सृजन
4	रोजगार प्रोन्नयन स्कीम	13.90	32000 भर्ती 31000 मूल्यांकन 11500 पुनर्वास	दिव्यांगजनों का प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग सह-मार्गदर्शन केन्द्र	26.00	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए व्यावसायिक और करियर परामर्श	सीमान्त वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना
6	**राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना**	150.00	45000 बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में शामिल किया जाना	बाल श्रम के प्रचलन में गिरावट
7	**बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास**	10.00	500 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना और जागरूकता पैदा करना	बंधुआ मजदूरों की व्यापकता में गिरावट
8	**खान सुरक्षा महानिदेशालय**	27.00	• शिकायत पूछताछ सहित दुर्घटना, खतरनाक घटनाओं का निरीक्षण और पूछताछ - 13,000 • अनुमति/छूट/रियायत-3500 मामले • उपकरणों का अनुमोदन - 400 • सुरक्षा सप्ताह और सुरक्षा अभियान - 50 • बचाव प्रतियोगिताओं का आयोजन - 5	उन्नत खान सुरक्षा
9	**श्रम सांख्यिकी**			
	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली	68.00	सीपीआई (आईडब्ल्यू) सीपीआई (एएल/आरएल), मकान किराया सूचकांक, मजदूरी दर डाटा, ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और बेरोजगारी डाटा; श्रम के विभिन्न भागों की कार्य परिस्थितियों से संबंधित डाटा, प्रचलित श्रम कानूनों की समीक्षा	ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार-बेरोजगारी, ग्रामीण भारत में मजदूरी दरों और विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में अद्यतन डाटा की उपलब्धता

10	**फैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय**	22.30	परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन और प्रशिक्षण	उन्नत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
11	**श्रम शिक्षा और अनुसंधान** (i) केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (ii) वीवी गिरि एनएलआई	105.00 90.00 15.00	• कामगारों की विभिन्न 3.3 लाख श्रेणियों को प्रशिक्षित किया जाना • 25 अनुसंधान और 125 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाना	कार्यबल में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन
12	**औद्योगिक संबंध**			
	न्यायनिर्णयन तंत्र का सुदृढ़ीकरण और लोक अदालतों का आयोजन	10.00	मामले-3160 आवेदन-848	उन्नत औद्योगिक संबंध
	बेहतर समाधान, निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए तंत्र	20.00	दावा मामले-4330 निरीक्षण-32220 प्रशिक्षण-130 औद्योगिक विवाद-7690	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 61 - विधि एवं न्याय मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
1	अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधा का विकास	629.20	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 900 न्यायालय कक्ष और 450 आवासीय इकाईयां	राज्यों को न्यायिक अधिकारियों/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों (20500) के स्वीकृत पदों और न्यायालय कक्ष (16500) और आवासीय इकाईयों (14400) की उपलब्धता के बीच अंतर कम करने के लिए सक्षम बनाना
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-II.	416.00	• चरण-I में सम्मिलित 7124 न्यायालयों के लिए हार्डवेयर उन्नयन (4 कम्प्यूटर और 6 एलएएन नोड्स) • चरण-I में शामिल न किए गए 1000 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (8 कम्प्यूटर और 12 एलएएन नोड्स) • कीऑस्क का प्रावधान, सम्मन के लिए दस्ती यंत्र (जिला न्यायालय परिसरों के लिए भी)और 1171 तालुका न्यायालय के लिए प्रोजेक्टर • 750 न्यायालय परिसरों में वीसी उपकरण लगाना • 200 कारागारों में वीसी उपकरण लगाना • 20 राज्य न्यायिक अकादमियों में हार्डवेयर लगाना • 622 डीएलएसए का कम्प्यूटरीकरण • 1168 टीआईएससी का कम्प्यूटरीकरण • सभी 3500 न्यायालय परिसरों के लिए क्लाउड संयोजकता • सभी न्यायालयों के लिए डब्ल्यूएएन संयोजकता • 100 न्यायालय परिसरों में सौर ऊर्जा • साफ्टवेयर विकास • परिवर्तन प्रबंधन • न्यायिक प्रक्रिया पुन: तैयार करना • न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली	वादियों और वकीलों को सभी न्यायालयों में मामलों के केस डाटा की ऑनलाइन उपलब्धता उन्हें सशक्त करेगी। विभिन्न प्रकार के मामलों के संभव वियोजन के साथ न्यायालयों में लम्बित मामलों के विश्लेषण के लिए 2, 4 और 10 वर्ष पुराने मामलों के समग्र और अलग-अलग आंकड़ें मामलों के निपटान में दक्षता में सहायक होंगे

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 64 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और बीएफएल	1024.49	• 56500 सूक्ष्म इकाईयां लगाई जानी हैं • 4.52 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना है	• सतत् और संवहनीय रोजगार सृजन • ग्रामीण युवाओं का प्रवासन रोकना • पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास
2.	संशोधित बाजार विकास सहायता और खादी प्लाजा स्थापित करना	325	• 1500 खादी संस्थाओं के लाभ मिलेगा	• अगले 3 वर्षों में खादी और खादी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन में 20% वृद्धि • अगले 3 वर्षों में खादी और खादी से संबंधित उत्पादों के उत्पादन में 20% सुधार • कारीगरों की आय बढ़ेगी।
		15	• 5 खादी प्लाजा स्थापित किए जाएंगे	
3.	ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना	451	• 6700 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना	लाभार्थी इकाईयों की उत्पादकता और उत्पाद गुणता में सुधार के साथ-साथ कुल बिक्री में वृद्धि
4.	कार्य निष्पादन और ऋण मूल्यांकन योजना	10	• 30,000 सूक्ष्म और लघु उद्यमों का मूल्यांकन किया जाना	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण सुविधा तक अधिकाधिक पहुंच प्राप्त होगी जिससे उत्पादन का स्तर अपेक्षाकृत बढ़ेगा
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम	184	• 6 सीएफसी प्रारंभ किया जाना • 120 सूक्ष्म, लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना • 6 नए/उन्नत औद्योगिक परिसर • 120 सूक्ष्म, लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना	औद्योगिक क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता 2 वर्ष की अवधि में इकाईयों के उत्पादन, कुल बिक्री और लाभप्रदता में सुधार से बढ़ेगी।
6.	पूर्व में औजार कक्ष और तकनीकी संस्थाओं के रूप में पहचाने जाने वाले प्रौद्योगिकी केन्द्र	105	• 1,99,500 को प्रशिक्षित किया जाना • 40,000 इकाईयों को सहायता प्रदान करना	• प्रशिक्षित व्यक्तियों के उच्चतर नियोज्य कौशल से रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगीं • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापार और तकनीकी परामर्श से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ेगी
7.	नवाचार, ग्रामीण और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना	50	• 100 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाना • 20 तकनीकी बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाना	नवाचार, उद्यमिता और कृषि उद्योग के प्रोन्नयन में मदद हो सकेगी।
8.	प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	30	• 4प्रशिक्षण संस्थाओं, 3 राज्य स्तरीय ईडीआई और 6 अनुसंधान अध्ययनों को सहायता प्रदान करना • 30,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा	प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नत क्षमता और भौतिक अवसंरचना से बेहतर कौशल
9.	पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना	75	• 240 क्लस्टर स्थापित किया जाना	• उच्चतर वेतन पर संवहनीय नियोज्यता अवसरों से पारंपरिक उद्योगों के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर और संभावनाएं • क्लस्टरों की संवहनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी

10.	ऋण गारंटी योजना	3002	• 4,68,000 ऋण प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जानी है • 17,955 करोड़ रु की ऋण गारंटी अनुमोदित की जानी है	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ऋण तक पहुंच बढ़ेगी
11.	शून्य दोष शून्य दुष्प्रभाव योजना	18	• 1260 इकाईयों का प्रमाणन, आकलन और मूल्यांकन • 420 इकाईयों का पुन: आकलन और पुन: मूल्यांकन • रक्षा क्षेत्र के लिए 1000 इकाईयों का अतिरिक्त मूल्यांकन	लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार - • उत्पादों की गुणता • वातावरण संबंधी अनुकूलता
12.	कॉयर उद्यमी योजना	10	• 668 इकाईयां स्थापित किया जाना	कॉयर क्षेत्र में सतत् और संवहनीय रोजगार सृजन
13.	अन्य योजनाएं	1182.47	मांगों के व्यय को पूरा करने के लिए छोटी योजनाओं और योजना के उप-घटकों सहित अनेक अन्य योजनाओं को धनराशि का संवितरण	मंत्रालय के समग्र लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करना
	कुल	**6481.96**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18 मांग सं. 65: खान मंत्रालय (करोड़ रुपए)				
क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**एनईआर साहित वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (एनईआर सहित)				
1	**सर्वेक्षण और मानचित्रण (मिशन-I)**	82.70	विशिष्ट विषय-परक मानचित्रण : (वर्ग कि.मी.) (1:25000): 14000 भू रासायनिक मानचित्रण (वर्ग कि.मी. में)(1:50000): 1,42,000 भू भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग कि.मी. में)(1:50 000): 80,000 बहुसंवेदी सर्वेक्षण (1 कि.मी. में): 60,000 हैलीबार्न सर्वेक्षण (1 कि.मी. में): 15,000 समुद्री सर्वेक्षण : ईईजेड और उसके परे पैरामीट्रिक अध्ययन बाथेमिट्री (1 कि.मी.) :9,000 मेगनेटिक (1 कि.मी.): 80,000 (1 किमी) स्वाथ बाथेमिट्री (वर्ग कि.मी.) : 37000 भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण (1 कि.मी.): 4,000 गुरुत्वाकर्षण (1 कि.मी.): 16,000 सब-बॉटम प्रोफाइलिंग (1 कि.मी.) 15,000 टीडब्ल्यू और ईईजेड के भीतर क्रमबद्ध कवरेज: 4,500 वर्ग कि.मी. क्रूज की संख्या: आरवी समुद्र रत्नाकर (9), आरवी समुद्र कौस्तुभ (7) आरवी समुद्र शौदिकम (7)	भू-प्रणाली के उचित भू-वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक आधारभूत शर्त के रूप में क्रमबद्ध ग्राउंड हवाई और समुद्री सर्वेक्षणके माध्यम से मूल भू विज्ञान डाटा का सृजन
2	**खनिज समन्वेषण (मिशन-II)**	52.20	सर्वेक्षण मानचित्रण (वर्ग किमी) - 4500 बृहद पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग कि.मी.) : 5,500 विस्तृत मानचित्रण (वर्ग कि.मी.) : 100 वेधन (मी): 1,15,000 ईईजेड के भीतर प्रारंभिक खनिज अन्वेषण : 30000 वर्ग कि.मी.	विभिन्न खनिज पदार्थों के मूल्यांकन देश के नए खनिज संसाधन तलाशने खनिज संसाधन डाटाबेस के अद्यतन के लिए भू-विज्ञान डाटा का सृजन
3	**सूचना का प्रसार**	37.05	40 कार्यक्रम : मानचित्र संकलन + डाटा समेकन (15), प्रकाशन (15) ओसीबीआईएस- संचालन और अनुरक्षण	(i) कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए डबल्यूएएन के माध्यम से जीएसआई के विभिन्न कार्यालयों के बीच अंतर- संयोजकता का विकास (ii) आखिरी प्रयोक्ता के लिए विशिष्ट रूप स निर्मित डाटा बेस

4	**अनुसंधान और विकास और अन्य समन्वेषण (मिशन V)**	7.15	30 कार्यक्रम भू कालक्रमिक तारीख - 20 नमूने आइसोटोपिक विश्लेषण - 50 नमूने और ईपीएमए विश्लेषण - 1500 बिन्दु; एक्सआरडी - 300 नमूने और डीटीए - 70 नमूने; एसईएम - ईडीएक्स - 900 नमूने)	खनिज अन्वेषण और समाज की अन्य जरूरतों के लिए नए अनुप्रयोग औजारों की पहचान के लिए आधारभूत प्रकृति का अनुसंधान आगे बढ़ाना
5	**विशिष्ट अन्वेषण (मिशन-IV बी)**	1.85	65 कार्यक्रम - एनएलएसएम क्षेत्रफल - 45,000 वर्ग कि.मी. भू-स्खलन अन्वेषण 5, भूकम्प संबंधी जोखिम 6, समेकित तत्समय सिस्मो-जीओडेटिक डाटा ग्रहण और संसाधन केन्द्र द्वारा भूकम्पी हलचल की सतत् निगरानी	(i) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्माण परियोजनाओं (ii) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विद्युत सृजन परियोजनाओं (iii) समाज को पर्यावरणीय संरक्षण प्रदान करने, में उपयोग के लिए उपयुक्त डाटा का सृजन, खनन के विभिन्न मामलो, शहरी विकास और भूकंप, भू-स्खलन, हिमस्खलन, कटाव और चक्रवात जैसे प्राकृतिक संकटों की जानकारी बढ़ाना
6	**अंटार्कटिका**	0.12	अंटार्कटिका अभियान और ग्लेशियोलॉजी अध्ययन -6	अंटार्कटिका और आर्टिक क्षेत्रों के लिए ज्ञान आधार जोड़ना
7	**मानव संसाधन विकास (मिशन V)**	4.20	85 कार्यक्रम- अभिविन्यास पाठ्यक्रम (3), प्रशासनिक पाठ्यक्रम (17), विषय-परक पाठ्यक्रम (63), अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (2)	जीएसआई की बदलती हुई परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का सृजन और देश के भू-विज्ञान क्षेत्र में क्षमता निर्माण
8	**आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन**	154.30	प्रयोगशालाओं और सर्वेक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार- सतही वेधन क्षमता वाले भू तकनीकी जलयान, वेधन रिग और सहायक सामग्री और उपकरणों का प्रापण	विभिन्न प्रकार के भू-विज्ञान डाटा और उनके संसाधन सृजन के लिए क्षेत्र और प्रयोगशालाओं में क्षमताओं में सुधार (ii) जीएसआई अधिकारियों के लिए क्षेत्र वाहनों का प्रापण
9	**जनजातीय उप योजना**	11.00	जीएसआई जनजातीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक सर्वेक्षण और समन्वेषण कार्य करता है	दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े वर्ग की जीवनशैली में गुणात्मक सुधार के लिए कल्याण सेवाएं
10	**निर्देशन और प्रशासन**	78.43	उक्त परिणामों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त सभी स्कीमों की सहायता के लिए	घरेलू और विदेशी यात्रा, क्रियाशील कार्यालय, व्यय, भाड़ा और कर भुगतान आदि सहित 2017-18 तक सभी स्कीमों के तहत योजना कार्यकलापों का सफल समापन
कुल		**429.00**		

2.भारतीय खान ब्यूरो				
1	योजना सं.1: वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खान पर्यावरण हेतु खानों का निरीक्षण	16.13 (स्कीम सं. 1 के लिए 9.7 + टीएसपी के लिए 1.7 + एनईआर के लिए 4.73)	1600 खानों का निरीक्षण "सुदूर दृष्टि" परियोजना के कार्यान्वयन सहित एनआरएससी और बीआईएसएजी के सहयोग से परियोजना खनन निरीक्षण प्रणाली एसडीएफ टेम्पलेट्स के अनुसार खानों के लिए स्टार रेटिंग प्रदान करने के लिए कार्रवाई और वस्तु अभुमुखी कार्यान्वयन के माध्यम से रेटिंग में सुधार सुनिश्चित करने के लिए खानों की निगरानी	खनन कार्यों की नियमन प्रणाली को मजबूत करना सांविधिक प्रावधानों के बेहतर उतरोत्तर अनुपालन से वैज्ञानिक और क्रमबद्ध खनन खनिज संरक्षण औ खान वातावरण सुरक्षा में सहायता करना
2	योजना सं..2 खनिज परिष्करण अध्ययन - निम्न ग्रेड और अधो ग्रेड अयस्कों का उपयोग तथा पर्यावरणीय नमूनों का विश्लेषण	5.55	60 अयस्क प्रसाधन अन्वेषण, 40000 रासायनिक विश्लेषण, 2300 खनिज शास्त्रीय जांच आवश्यकतानुसार इन-प्लांट अध्ययन	निम्न श्रेणी अयस्कों और खनिजों का इष्टतम उपयोग
3	योजना सं..3 प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण	4.47	1.04.2015 की स्थिति के अनुसार यूएनएफसी को अपनाते हुए राष्ट्रीय खनिज सूची का अद्यतनः 1.4.2015 की स्थिति के अनुसार 71 खनिजों के लिए विश्लेषणात्मक नोट्स तैयार करना और एनएमआई जारी करना खनिजों के सीमा मूल्य का संशोधनः कार्यशालाएं आयोजित करना। बहु-खनिज मानचित्रः वन आवरण सहित 100 खनिज लीजहोल्ड मानचित्र अद्यतन किए जाएंगे। तकनीकी परामर्श सेवाएः 03-05 खनन, भू-वैज्ञानिक और सर्वेक्षण कार्य पूरे किए जाएंगे। खनन अनुसंधान कार्यः 02 आरएमडी अध्ययन किए जाएंगे। प्रशिक्षणः आईबीएम के अधिकारियों, राज्य डीजीएम और उद्योग कार्मिकों के लिए 16 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएग।	खनिज उद्योग को अपने वैज्ञानिक, तकनीकी-आर्थिक, अनुसंधान अभिमुखी अध्ययनों से लाभान्वित करना खनन के विभिन्न पक्षों, भू-विज्ञान प्रशिक्षण, अयस्क लाभ और पर्यावरण पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण सहित संवहनीय खान विकास के संबंध में अनुसंधान और विकास प्रयास
4	योजना सं. 4 विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों के माध्यम से खानों और खनिज आंकड़ों का संग्रहण, प्रोसेसिंग और प्रसार	3.0	सांख्यिकी प्रकाशनः खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी 12 अंक (जनवरी-दिसम्बर, 2017) भारतीय खनिज उद्योग एक दृष्टि में - 2016-17 अंक खनिजों का सांख्यिकी प्रोफाइल - 2016-17 अंक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार खान निर्देशिका 31 मार्च की स्थिति के अनुसार खनन पट्टों की निर्देशिका नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न	खानों और खनिजों के संबंध में डाटाबेस का संग्रहण, संकलन और प्रसार

			खनिजों और धातुओं की औसत औसत बिक्री मूल्य के 12 अंक तकनीकी प्रकाशनः आईएमवाईबी 2016 खनिज सूचना बुलेटिन के दो अंक (अक्तूबर 16 - मार्च 17 और अप्रैल - सितम्बर 2017) खनन पट्टों और पूर्वेक्षण लाइसेंसों संबंधी बुलेटिन- 2016	
5	योजना सं. 5 खनन टेनमेन्ट प्रणाली	3.16	कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य सरकारों और एनआईसी के सहयोग से साफ्टवेयर विकास। आईबीएन इस कार्यक्षेत्र से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। परियोजना की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई नियुक्त करना	डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना खनिज रियायत व्यवस्था का प्रभावी प्रबंधन और खनन संचालनों में पारदर्शिता
	जोड़	49.15		
खनिज गवेषण निगम लिमिटेड				
1	प्रोन्नयन अन्वेषण योजना	6.00	I) वेधनः संबंधित भू-वैज्ञानिक कार्य सहित 10500 मीटर II) प्रस्तुत की जाने वाली भू-वैज्ञानिक रिपोर्टः 5 गैप एरिया ऑफ ओरिएंटल लोड फॉर गोल्ड, केजीएफ (कोलार गोल्ड फील्ड) परियोजना, कोलार जिला, कर्नाटक ओल्ड टेलिंग डम्प फॉर गोल्ड, केजीएफ (कोलार गोल्ड फील्ड) परियोजना, कोलार जिला, कर्नाटक गैप एरिया ऑफ मैकटैगार्ट वेस्ट ब्लॉक फॉर गोल्ड, केजीएफ (कोलार गोल्ड फील्ड) परियोजना, कोलार जिला, कर्नाटक लक्सर ब्लॉक फॉर पोटैश, बीकानेर जिला, राजस्थान वेलमपट्टी सेंट्रल ब्लॉक फॉर मौलीदेनम, हरूर सेक्टर, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट में अनुमानित खनिज संसाधन राष्ट्रीय खनिज सूची में वृद्धि करेंगे।
4.विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम				
		13.62	सरकारी संख्याओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि से परियोजना के प्रस्तावों का परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति के विशेषज्ञ समूह द्वारा गहन समीक्षा की गई। उपयुक्त परियोजनाएं स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।	देश में खनन की संवहनीय विकास क्षमताओं में वृद्धि करना

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 66: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**			
	व्यापक कार्यक्रम			
क.1.	**शैक्षिक अधिकारिता**			
1	अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति	950.00	30 लाख छात्र	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और अगली कक्षा में जाने वालों की संख्या में वृद्धि • छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की दसवीं कक्षा पास करने की दर में वृद्धि • कक्षा I-V, I-VII और I-X के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कमी
2	अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति	550.00	5.00 लाख छात्र	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि जिन्होंने 2017-18 में निर्धारित अंकों से पोस्ट मेट्रिक और उच्चतर शिक्षा पूरी की है • कक्षा XI और XII के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कमी और उच्चतर शिक्षा
3	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता - सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति - स्नातक और स्नातकोत्तर	393.54	60,000 छात्र	• व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वालों की संख्या में वृद्धि • व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नियोजित छात्रों की संख्या में वृद्धि
4	अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध कार्य योजना	48.00	18070 छात्र	कोचिंग पूरी कर रहे छात्रों की संख्या और कोचिंग पूरी करने के पश्चात् मेडिकल/इंजीनियरिंग/एमबीए के लिए योग्य पाए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
5	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	4.00	880 छात्र	इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या और प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
6	विदेश में पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी	8.00	110 छात्र	विदेश में पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
7	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	100.00	832 छात्र	अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के बाद पीएचडी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि
क.2.	**कौशल विकास**			
8	सीखो और कमाओ - कौशल विकास पहल	250.00	1,30,000 अल्पसंख्यक युवा	वेतन रोजगार में अल्पसंख्यक युवा की संख्या में वृद्धि और इस प्रकार अल्पसंख्यक के कामगार भागीदारी दर को बढ़ाना

9	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद)	22.00	20,000 अल्पसंख्यक	अल्पसंख्यक युवा के प्रशिक्षण से पारंपरिक शिल्प/कला को सुरक्षित रखना और उन्हें स्वनियोजित बनाना
10	नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और आजीविका पहल	175.95	30,000 स्कूल छोड़ने वाले छात्र	स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा प्रणाली में वापिस लाना और फिर उन्हें सेवा योग्य बनाना
क.3.	**अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम**			
11	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2.00	--	पारसी समुदाय की जन्म दर में प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर)
12	अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व विकास योजना	15.00	50,000 अल्पसंख्यक महिलाएं	संवेदनशील और सशक्त महिलाओं की संख्या में वृद्धि और विभिन्न स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थ बनाना
13	हमारी धरोहर - अल्पसंख्यकों संबंधी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए	12.00	--	अल्पसंख्यकों से संबंधित संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पूरे किए गए कार्यकलापों की मद-वार संख्या
14	अल्पसंख्यकों के लिए अनुसंधान/अध्ययन, विकासात्मक योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन सहित प्रचार-प्रसार	50.00	--	पूरे किए गए अनुसंधान/मूल्यांकन और निष्कर्ष/सिफारिश अध्ययन और मूल्यांकन
	जोड़ (सीएस)	**2580.49**		
ख.	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**			
ख.1	**स्वायत्त निकायों को अनुदान**			
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता अनुदान	113.00	मेधावी लड़कियों के लिए 50,000 छात्रवृत्तियां और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लिए 30.00 करोड़ रु.	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और उनमें से उस स्तर की शिक्षा, जिसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, पूरी करने वालों की संख्या में वृद्धि • जिन्होंने अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् मूल शैक्षिक अवसंरचना और सुविधाओं वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि है
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में अंशदान	170.00	--	अल्पसंख्यक समुदायों के स्वयं सहायता समूहों/कारीगरों/व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि जिन्होंने एनएमडीएफसी से आसान ऋण प्राप्त करने के बाद आमदनी वाले कार्य/इकाईयां शुरू कीं।
3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए लगी हुई राज्य मार्गदर्शी एजेंसियों को सहायता अनुदान	2.00	--	राज्य मार्गदर्शी एजेंसियों को अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 100% सहायता प्रदान की गई
4	रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्ड को सुदृढ़ बनाना	13.00	--	राज्य-वार और मद-वार वक्फ संपत्ति के कम्प्यूटरीकरण के प्रतिशत में वृद्धि

ख.2	अल्पसंख्यकों का विकास: अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1200.00		• एमएसडीपी के तहत निर्मित स्कूल भवनों/महाविद्यालयों/अतिरिक्त कक्षाओं/छात्रावासों/शौचालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/पेयजल सुविधाओं/इंदिरा आवास योजना इकाईयों की संख्या में वृद्धि और इनमें से क्रियाशील/प्रयोग में आने वाले • साक्षरता दर में सुधार - समग्र और महिला, कार्य भागीदारी दर-समग्र और महिला और पक्की दीवारों और सुरक्षित पेयजल तथा बिजली सुविधा वाले परिवारों की संख्या
	कुल (सीएसएस)	**1498.00**		
	सकल जोड़ (सीएस+ सीएसएस)	**4078.49**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 67: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
	1. ग्रिड-इन्टरैक्टिव एवं वितरित नवीकरणीय पावर ग्रिड			
	पवन ऊर्जा	400	4000 मेगावाट (पवन संचालन के लिए यह जीबीआई स्कीम मार्च, 2017 तक है और इस स्कीम के तहत कोई शुरूआत नहीं होनी)	कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाकर 8% करना।
	पन बिजली	121.5	100 मेगावाट	
	जैव-ईंधन बिजली/खोई सह-उत्पादन/गैसीकरण	20	350 मेगावाट	
	शहरी और औद्योगिक कचरे से बिजली	13	10 मेगावाट	
	सौर ऊर्जा	2661	1000 मेगावाट (2017-18 के लिए प्रस्तावित परिव्यय के साथ, 50 लाख/मेगावाट की औसत आवश्यकता को लेते हुए, इस मंत्रालय का लगभग 45000 मेगावाट शुरू करने का इरादा है। राज्य नीति के तहत 5500 मेगावाट लेते हुए, कुल निर्गम/प्रदेय सेवाएं 1000 मेगावाट ली जाती हैं। उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।)	
	ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर	500	चालू वर्ष में 350 सर्किट किमी को चालू करना	8 नवीकरणीय समृद्ध राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को इधर-उधर बिखरे नवीकरणीय उत्पादन स्थानों से ग्रहण करने के लिए लगभग 553 सर्किट किमी का सृजन
	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	39	बिजली को सौर ऊर्जा पार्क से ग्रहण करने के लिए सहभाजी अवसंरचना का सृजन	34 सौर पार्कों का ग्रिड के साथ एकीकरण
	ब्याज भुगतान और बांड पर व्यय जारी करना	280	नवीकरणीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईआरईडीए द्वारा जारी किए जाने वाले बांड के लिए ब्याज भुगतान	
	उप-जोड़	**4034.5**	**14460 मेगावाट**	

	2. ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा			
	पवन ऊर्जा	8	0.5 एमडब्ल्यूईक्यू	वितरित ऊर्जा आधार पर ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विकेन्द्रीकृत सृजन
	पनचक्की/सूक्ष्म पनबिजली	13	150/25 (सं.)	
	शहरी/औद्योगिक कचरे से ऊर्जा	22	15 एमडब्ल्यूई	
	जैव-ईंधन ऊर्जा (खोई से इतर)	10	60 एमडब्ल्यूई	
	गैसीकरण (ग्रामीण विद्युतीकरण और उद्योग)	1	7.50 एमडब्ल्यूई	
	लिगनो सैलूलोज	10	नया कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है	
	सौर ऊर्जा (निम्नलिखित उपकरणों को बढ़ावा दिया जाएगा - सौर स्ट्रीट लाइट, सौर गृह प्रकाश प्रणाली, सौर लालटेन, सौर पम्प इत्यादि। इसके अतिरिक्त सीएसटी प्रणालियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा)	700	सौर पीवी -100 एमडब्ल्यूपी सीएसटी - 16 एमडब्ल्यूई	
	बायोगैस कार्यक्रम	134	1.1 लाख बायोगैस प्लांट स्थापित करना	1.1 लाख परिवारों को खाना पकाने के वैकल्पिक ईंधन समाधान प्रदान करना
	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों (स्मार्ट शहरों, ग्रीन भवनों आदि) के साथ-साथ राज्यों को सहायता, नवीकरणीय अनुप्रयोगों का प्रदर्शन, कुकस्टोव आदि	14.2	उपयुक्त संरचना के सृजन के लिए राज्यों को सहायता देना	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना और घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच
	बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6	बहुपक्षीय निधिकरण के तहत परियोजनाओं को सहायता देना जारी रखना	
	उप-जोड़	918.2		
III.	**3. अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**			
	अनुसंधान और विकास	144	अनुसंधान और विकास परियोजनाएं सतत् स्वरूप की होती हैं। 2017-18 के बाद भी जारी रहने की संभावना है। 2021 तक प्रत्येक वर्ष में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लगभग 15 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।	• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को वहनीय, आसान, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना • इस क्षेत्र को लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी बनाना • स्वदेशी तौर पर डिजाइन की गई और बनाई गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों का बाजार हिस्सा बढ़ाना • वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना • ऊर्जा भंडारण सुविधा विकसित करना
	उप-जोड़	144		

	4. स्वायत्त निकाय		3 स्वायत्त संस्थाओं - एनआईएएसई, एनआईडब्ल्यूई और एनआईआरई को सहायता	क्षमता और अवसंरचना विकास
	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	25.00		
	राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान	8.00		
	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	20.00		
	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	50.00		भारतीय सौर ऊर्जा निगम को अपनी क्षमता को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र इकाई को इक्विटी सहायता
कुल - स्वायत्त निकाय/सीपीएसई		**103.00**		
V.	**सहायक कार्यक्रम**			
1	निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन	15.00		नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मूल्यांकन और अन्य अध्ययन करना
2	सूचना प्रौयोगिकी/ई-शासन और अन्य पहल	0.10		कार्यालयों में ई-शासन अवसंरचना के सृजन के लिए
3	सूचना, शिक्षा और संचार	20.00	नवीकरणीय अनुप्रयोगों का निरूपण, जनता और शैक्षिक संस्थानों को सूचना	जनता में जागरूकता पैदा करना
4.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध - निवेश प्रोत्साहन सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध को सहायता (आईआरईए को 1.60 करोड़ रु के अंशदान सहित)	76.60	• आसियान, सार्क, ओआरए और आईएसए सदस्य देशों को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना (लगभग 7-8 प्रशिक्षण प्रति वर्ष) विकासशील देशों में प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देना	
5.	मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	70.00	12,000 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण, 1060 एनआरई फैलोशिप, 10 एनएसएस फैलोशिप और विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। 5 नए संस्थानों की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का उन्नयन	12,000 सूर्यमित्रों का प्रशिक्षण, 1060 एनआई फैलोशिप और 5 नए संस्थानों की प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का उन्नयन
6.	नवीन और नवाचारी परियोजनाएं/(राष्ट्रीय नई ऊर्जा और नवाचार केन्द्र/राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा विश्वविद्यालय/विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संग्रहालय)	14.90	नवाचार और उद्यमिता के लिए नवाचार, इन्क्यूबेशन और उद्यमिता पहल केन्द्र को सहायता	नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रोन्नयन के लिए प्रस्तावित तीन अनन्य संस्थान खोलना
	कुल सहायक कार्यक्रम	**196.60**		
	कुल जोड़	**5396.30**		

*प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य बजट उपलब्धता के बढ़ने और परियोजनाएं राज्य नीति के तहत शुरू किए जाने के अधीन होंगे।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 68: पंचायती राज मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	कार्य शोध	4.00	यह स्कीम मांग आधारित है और आवश्यकतानुसार अध्ययन स्वीकृत किए जाते हैं। केवल वही अध्ययन स्वीकृत किए जाते हैं जो मंत्रालय को प्रासांगिक नीतिगत मामलों पर आवश्यक जानकारी देते हैं, इसलिए विशिष्ट मात्रा परख लक्ष्य नहीं दर्शाए जाते।	कार्य शोध और शोध अध्ययन पंचायती राज मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को सहायता देते हैं। इससे मंत्रालय को जमीनी वास्तविकताओं का विश्लेषण करने और कार्यान्वयन में खामियों और अंतर को दूर करने में मदद मिलती है।
2	अंतर्राष्ट्रीय योगदान	2.10	इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेय सेवाओं की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।	विकेन्द्रीयकरण, अंतरण और स्थानीय गवर्नेंस में दूसरे राष्ट्रमंडल देशों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान से सीखने में मदद मिलती है।
3	मीडिया एवं प्रचार	11.00	मंत्रालय से संबंधित मामलों/विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर एक व्यापक मीडिया चलाया जाएगा। आम जनता को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न नए/अभिनव कार्य किए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय अखबारों और सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग करेगा। विशेष रूप से नई और उभर रही मीडिया के नए रूपों/वेब टूल के माध्यम से आउटडोर प्रचार का उपयोग आम जनता तथा पंचायती राज के सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया और अभिनव मीडिया का उपयोग समुचित रूप से दैनिक कार्यकलापों तथा पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न पहलों से अवगत कराने के लिए किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती के तहत विभिन्न मीडिया और प्रभागों के माध्यम से जागरूकता सृजन अभियान चलाए जाएंगे।	चूंकि मंत्रालय ग्राम सभा को काफी महत्व देता है, ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी की महत्व के बारे में ग्रामीण जनता को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न आईईसी कार्य शुरू किए जाएंगे। मनरेगा सहित लगभग सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में पंचायतों की भूमिका के संदर्भ में आईईसी कार्य और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर शासन में सुधार से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न सरकारी स्कीमों के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

			अभीष्ट संदेशों के प्रसार के लिए भारतीय रेल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय पीआरआई का सुदृढ़ीकरण और ईआर की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एसआईआरडी के साथ भागीदारी भी करेगा।	
4	पंचायत भवन में एटीएम सेवाएं	10.00	यह स्कीम अभी अवधारणा के स्तर पर है।	यह स्कीम अभी अवधारणा के स्तर पर है।
5	क्षमता निर्माण	691.90	कार्यकलाप: संख्या (i) नया पंचायत भवन - 333 (ii) मरम्मत - 116 (पूर्वोत्तर राज्यों और पीईएसए राज्यों तथा संघ शासित राज्यों के लिए पंचायत घरों का निर्माण/मरम्मत) (iii) सरपंचों और पीएस को प्रशिक्षण - 1.09 लाख (iv) पंचायत सदस्यों - 3.83 लाख (v) अन्य एलडीएफ -6.6 लाख (vi) प्रदर्शन दौरे (क) आंतरिक - 5000/- (ख) बाह्य - 1600/- (vii) पंचायतों को सहायता - 660/- (डाटाबेस, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्रोत व्यक्तियों के सृजन के लिए सहायता) (viii) पंचायतों को ई-इनेबलमेंट सहायता - 12777 (ग्राम पंचायत स्तर पर एचआर सहायता)	आरजीएसए से पंचायतों की जानकारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करके पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमताओं और दक्षता में वृद्धि होगी। इससे जनता की भागीदारी के प्राथमिक मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभा को सुदृढ़ करके लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, निर्णय लिए जाने और अंतरण तथा पंचायतों की जवाबदेही और जनता की भागीदारी को सुगम बनाया जा सकेगा। इससे बजट और लेखांकन प्रणालियों के संस्थाकरण में मदद मिलेगी और आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सरकारी पद्धतियों का उपयोग हो सकेगा।
6	पंचायत को प्रोत्साहन देना	34.00	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, मध्यवर्ती और ग्राम) को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिए जाते हैं। कम से कम 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामांकन अपेक्षित हैं जिनमें से पंचायती राज मंत्रालय अंतिम चयन करेगा।	पंचायतों के प्रदर्शन में सुधार और स्थानीय स्तर पर समग्र सुशासन के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन
7	ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना	17.00	सभी पीईएस अनुप्रयोगोंका रख-रखाव और राज्य आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रयोग 1.1 लाख पंचायती राज संस्थाओं ने सार्वजनिक डोमेन में अपने लेखे दर्शाए हैं। 70,000 पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी योजनाएं सार्वजनिक डोमेन में दर्शाई हैं।	पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 72: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें			
1.	पहल	13097.13	सभी एलपीजी सब्सिडी लाभार्थियों को आधार समर्थित भुगतान व्यवस्था (एईपीएस) से जोड़ा जाना है।	उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी के सीधे अंतरण से दक्षता आएगी और चोरी से बचा जा सकेगा।
2.	डीबीटीके	150.00	200 चुनिंदा जिलों में मिट्टी के तेल के सभी उपभोक्ताओं को एईपीएस पर लाना है।	उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी के सीधे अंतरण से दक्षता आएगी और चोरी से बचा जा सकेगा।
3.	उज्ज्वला (बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन)	2500.00	ग्रामीण बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों के लिए 2 करोड़ एलपीजी कनेक्शन	बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैण्ड, त्रिपुरा, गुजरात और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाना पकाने का स्वच्छ समाधान उपलब्ध कराना
4.	आईएसपीआरएल-I (कच्चे तेल की भराई)	2499.00	सामरिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना के लिए मंगलौर और पादुर ग़ारों में कच्चे तेल की भराई	आयात के आधार पर 14 दिनों के लिए कच्चे तेल का सामरिक भंडार स्थापित करना।
5.	आईएसपीआरएल -II (निर्माण)	1.00	ग़ारों का निर्माण (संचित रूप से): भौतिक प्रगति - <u>**चन्डीखोल**</u> (14%); पादुर (12.7%); राजकोट (15.9%) और <u>**बीकानेर**</u> (13.2%)	भंडारण क्षमता बढ़ाना
6.	जेएचबीडीपीएल (नई स्कीम)	1200.00	गैस ट्रंक पाइप लाइनों का निर्माण: 400 किमी	उद्योगों सहित गैस की आपूर्ति के लिए शामिल किए जाने वाले शहर इस प्रकार हैं: • पटना • गया • बरौनी • वाराणसी • गोरखपुर • रांची • जमशेदपुर • बोकारो • सिन्दरी • दुर्गापुर • कटक • भुवनेश्वर • कोलकाता • हल्दिया
7.	आईआईपीई विशाखापट्टनम्	145.20	विशाखापट्टनम में आईआईपीई की स्थापना	522 छात्रों का नामांकन:
जोड़		**19592.33**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 73: योजना मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग सहित अटल नवाचार मिशन	112.00	• विद्यालयों में 250 अटल सुधार प्रयोगशालाओं की स्थापना • 15 अटल ऊष्मायन केन्द्रों की स्थापना • दो दु:साध्य सामाजिक-आर्थिक विषयों में अटल महा चुनौती पुरस्कारों की शुरुआत	देश में नवाचार और उद्यमिता इको-सिस्टम का त्वरित परिवर्तन
2	योजना निरूपण, मूल्यांकन और समीक्षा	30.00	• विशिष्ट और समयबद्ध कार्यों के लिए, जिनके लिए नीति आयोग के पास सामान्य विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, उच्च गुणता की सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमित अवधि हेतु परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की सेवाओं भाड़े पर लेना। • 'नीति संकल्पना दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्यों की सहायता के संबंध में अध्ययन, राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं, पेशेवर सेवाएं भाड़े पर लेने, एसडीजी, बायो गैस, बायो ईंधन के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श' आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए • नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, संकल्पना, सामरिक एवं कार्ययोजना दस्तावेज, कार्यबल, कार्यसमूहों की रिपोर्टों आदि का प्रकाशन	विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के माध्यम से नीति आयोग के लिए उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार
3	अनुसंधान एवं अध्ययन	5.00	इस वित्त वर्ष के दौरान 25 शोध अध्ययनों, 15 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, 3 शोध कार्यों के प्रकाशन और 2 नीति अध्येतावृत्तियों को अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है।	देश के विकास उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अनुसंधान एवं अध्ययनों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना
4	यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना, विकेन्द्रीकृत नियोजना के लिए क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण	1.20	तीन राज्यों में अभिनिर्धारित दो-दो जिलों में तैयार की गई ग्राम योजनाओं और सतत् विकास लक्ष्यपरक विकेन्द्रीकृत जिला योजनाओं को जोड़कर विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के संबंध में आदर्श दिशा-निर्देश	सतत् विकास लक्ष्यों के अनुकूल विश्वसनीय ग्राम और पंचायत योजनाओं के संग्रह के आधार पर विकेन्द्रीकृत योजनाएं तैयार करने में सहयोग देने वाले राज्य
5	सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	कम्प्यूटरों, लैपटॉप, फोटोकॉपी मशीनों, अलग-अलग सॉफ्टवेयर की खरीद, वाई-फाई/इंटरनेट कनेक्टिविटी, बायोमीट्रिक सिस्टम, निर्बाध विद्युत आपूर्ति का उन्नयन आदि	उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ बेहतर नेटवर्किंग और त्वरित संचार व्यवस्था तथा नेटवर्किंग/वाई-फाई कनेक्टिविटी का उन्नयन आदि

6	संबद्ध कार्यालय (विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय)	15.00	• 7 मूल्यांकन रिपोर्टें • विभागीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी और उसके बारे में समय से सूचना तैयार करना • क्षेत्रीय स्तर पर स्कीमों के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी और उसके बारे में समय से सूचना तैयार करना	मूल्यांकित स्कीमों की दक्षता और प्रभाविता में सुधार। विभागीय कार्य योजना का कारगर कार्यान्वयन
7	नए कार्यक्रम-केन्द्रीय योजना	3.50	चूंकि यह नई स्कीम है, इसके अनुमानित परिणाम और उद्देश्यों को 2017-18 के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।	
8	नवाचार नवीकरण एवं परिवर्तन	1.30	कार्य का बेहतर माहौल तैयार करने के लिए कार्यालय का प्रापण, रखरखाव, मरम्मत और साज-सज्जा	वीआईपी कमरों, समिति कक्षों और सामान्य उपयोग के क्षेत्र का रख-रखाव, मरम्मत, नवीकरण और साज-सज्जा

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 74 : विद्युत मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (मेगावाट में क्षमता विस्तार)	400.00	किशनगंगा एचईपी से 330 मेगावाट क्षमता का चालू किया जाना (कुल क्षमता 330 मेगावाट) संयंत्र के चालू करने के बाद शेष निर्माण कार्य और नीमू बाजगो, (45 मेगावाट) और चूतक (44 मेगावाट) की देयताओं का भुगतान	1706 एमयू का उत्पादन जो उत्तरी ग्रिड को दी जाएगी जिसमें से 13% (स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% सहित) जम्मू कश्मीर के लिए नि:शुल्क बिजली होगी
2.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन- (मेगावाट में क्षमता विस्तार) विष्णुगढ़ पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट)	52.00	1. इन्टेक सुरंगों की कंकरीट डालना - इन्टेक सुरंग 1 - इन्वर्ट जुलाई, 17 2. एचआरटी खुदाई-एसएस-हैडिंग की ओर डी/एस; फरवरी 18 3. टॉप ऐडिट का प्रयोग करके सर्विस-बे तक बैंचिंग (ईएल 1036एम): अगस्त, 17	1. इन्टेक टनल-1 इनवर्ट की कंकरीट लाइनिंग पूरी करना 2. एचआरटी हैडिंग की खुदाई 3. टॉप ऐडिट का प्रयोग करके सर्विस-बे तक बैंचिंग (ईएल1036एम) पूरा करना।
3.	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (मेगावाट में क्षमता विस्तार)	267.45	चालू करने के बाद शेष कार्य कमेंग एचईपी (600 मेगावाट), पारे-एचईपी (110 मेगावाट) और तुरियल एचईपी (60 मेगावाट)	केमांग एचईपी (3353 मेगावाट), पारे एचईपी (506 मेगावाट), तुरियल एचईपी (250 मेगावाट) का उत्पादन जिसे एनई/राष्ट्रीय ग्रिड में दिया जाएगा।
4.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4814.00		गांवों के विद्युतिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत भी सुधरेगी
	बिजली रहित गांवों का विद्युतिकरण		• 2984 (गांवों की संख्या)	
	गांवों का तीव्र विद्युतिकरण जहां बिजली पहुंच चुकी है।		• 60000 (गांवों की संख्या)	
	बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन		• 40 लाख (बीपीएल परिवार)	
5.	एकीकृत विद्युत विकास योजना	5821.22	आईपीडीएस परियोजनाएं सौंपना (सर्किलों की संख्या - शून्य)	i. केन्द्रीय स्तर पर आर-एपीडीआरपी कस्बों में 31000 से अधिक फीडरों से 11 केवी फीडर डाटा की निगरानी।

			शेष परियोजनाओं को पूरा करना (सर्किलों की संख्या - 500) आईपीडीएस परियोजनाएं पूरी करना (सर्किलों की संख्या - शून्य) आर-एपीडीआरपी के कस्बों में बिजली पहुंचाना (कस्बों की संख्या - 12) नेशनल पावर पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा डाटा की निगरानी (फीडरों की संख्या - कुल 31000) आरएपीडीआरपी कार्य का भाग ख पूरा करना (कस्बों की संख्या - 200)	ii. घाटा कम करने के लिए दस्ती हस्तक्षेप के बगैर डीटी स्तर पर ऊर्जा संपरीक्षा हेतु 1405 आर-एपीडीआरपी कस्बों में आईटी भागीदारी पूरी करना। iii. 1229 आर-एपीडीआरपी कस्बों में अवसंरचना उन्नयन जिससे विश्वसनीयता बेहतर होगी। iv. आईपीडीएस के तहत स्वीकृत 500 से अधिक सर्किलों में अवसंरचना उन्नयन जिससे उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ेगी और एटी एंड सी घाटे घटेंगे। v. एसएआईएफआई और एसएआईडीआई में 2015-16 के आधारभूत आंकड़ों के 50% तक कमी।
6.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	50.00	कृषि, नगरपालिका और एसएमई के क्षेत्रों में मानक एवं लेवलिंग, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, की स्कीमों का कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्षता और मांग के प्रबंधन के लिए एसडीए का सुदृढ़ीकरण	2017-18 के दौरान 12.35 अरब यूनिट ऊर्जा की बचत का लक्ष्य।
7.	ऊर्जा संरक्षक	50.00	(i) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, (ii) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन की योजनाओं, बचत लैंप योजना और अति-दक्ष उपकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	2017-18 के दौरान 4.00 अरब यूनिट ऊर्जा की बचत।
8.	वाया कारगिल श्रीनगर से लेह तक 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन	250.0	(i) उप केन्द्र, सिविल निर्माण कार्य/ संस्थापना कार्य पूरा करना और चालू करना (ii) टीएल तार डालने का काम पूरा करना	ट्रांसमिशन लाइन वाया कारगिल श्रीनगर से लेह तक 100 मेगावाट विद्युत ट्रांसफर करेगी।
9.	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार	179.00	(i) उप केन्द्र, सिविल निर्माण कार्य/ संस्थापना कार्य पूरा करना और चालू करना (ii) टीएल तार डालने का काम पूरा करना	15% सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी कार्य 2017-18 में पूरा किया जाएगा।
10.	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	193.00	(i) उप केन्द्र, सिविल निर्माण कार्य/ संस्थापना कार्य पूरा करना और चालू करना (ii) टीएल तार डालने का काम पूरा करना	12% सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी कार्य 2017-18 में पूरा किया जाएगा।
11.	विद्युत व्यवस्था विकास पीएसडीएफ से पूरा किया जाना है।	500.00	पीएसडीएफ के तहत 08.11.2016 तक अनुमोदित 47 परियोजनाओं में से 5 (10%) परियोजनाओं को 2017-18 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।	इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क की स्थिरता और ग्रिड की सुरक्षा सुधरेगी। इससे प्रचालन विश्वसनीयता सुधरेगी, सिस्टम की सुरक्षा बढ़ेगी, सिस्टम की त्रुटियों को जल्दी ठीक किया जा सकेगा, त्रुटियों का आसानी से विश्लेषण किया जा सकेगा तथा ग्रिड के दक्ष परिचालन के लिए

				प्रतिक्रियात्मक विद्युत प्रबंधन आदि संभव होगा।
12.	विद्युत व्यवस्था विकास कोष (पीएसडीएफ) और गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	250.00	इस स्कीम के समाप्त होने की तारीख 31 मार्च, 2017 है।	
13.	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू	150.00	i. ताप विद्युत संयंत्र घटकों के परीक्षण एवं परामर्शी कार्यों के लिए गैर विध्वंसक सुविधाएं बढ़ाना ii. व्यापक यूएचवी केबिल सक्षम बनाने के लिए पूर्व-अर्हता परीक्षण संस्थाओं का विस्तार iii. वितरण ट्रांसफार्मरों के परीक्षण के लिए शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधाओं के नवीकरण का मूल्यांकन iv. एसटीडीएस-सीपीआरआई भोपाल में पूरक और नमूना जांच सुविधाओं सहित ऑनलाइन जनरेटर आधारित परीक्षण सुविधाओं का विस्तार v. ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण के लिए विद्यमान परीक्षण सुविधा का विस्तार और सीपीआरआई की अन्य इकाइयों में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना vi. सतत् परीक्षण और जीवन काल के विस्तार के लिए एचपीएल बंगलौर में जनरेटर की मरम्मत **नई परियोजनाएं** (i) कैपिसीटर्स और उनकी एप्लिकेशनों के लिए अनुसंधान एवं परीक्षण सुविधाओं का विस्तार। (ii) हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन एवं विस्तार	सुविधा के इस तरह नवीकरण से विद्युत उपकरणों की परीक्षण क्षमता और व्यापक परीक्षण बढ़ेगा। सीपीआरआई बंगलुरू में उच्च विद्युत प्रयोगशाला के उन्नयन से देश में शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्षमता और उच्चतर निर्धारित ट्रांसफार्मरों एवं ब्रेकरों का स्वदेशी परीक्षण बढ़ेगा।
14.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	49.80	विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तार और अलपूझा, केरल, (शिवपुरी, म. प्र.) में नए संस्थानों की स्थापना	विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तार और अलपूझा, केरल, (शिवपुरी, म. प्र.) में नए संस्थानों की स्थापना से विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों और परामर्शी सेवाओं के प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ेगी
15.	स्मार्ट ग्रिड (कोई स्मार्ट ग्रिड पूरी नहीं की जानी है)	30.00	चालू परियोजनाओं के अलावा नई 2-4 स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं का कार्यान्वयन	2-4 स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में से 1 स्मार्ट ग्रिड परियोजना 2017-18 में पूरी कर लिए जाने की संभावना है।
जोड़ (करोड़ रुपए)		**13056.47**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 80: रेल मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	नई लाइन	22985.49	800 रुट किमी (आरकिमी)	**चालू किए जाने वाले खंडों में शामिल हैं:**
				बोलगढ़-नयागढ़ (11.3 किमी)
				टोरी-बिराटोली-बालूमत्री (16 किमी)
				तातिसिलवायी-मेसरा-शांकि (16 किमी)
				अम्ब अन्दौरा-दौलतपुर (16 किमी)
				थैयात हामिरा-सानू (58 किमी)
				दॉसा-डिडवाना (30 किमी)
				स्वरूपगंज-भिमाना (8.6 किमी)
				कारजोडा-पालनपुर (5.4 किमी)
				हालडिबारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा (3 किमी)
				चिक्कावेनाकेल-गंगावेथी (13 किमी)
				हरिदासपुर-पारादीप पार्ट (43 किमी)
2	गेज परिवर्तन	3674.48	900 रुट किमी (आरकिमी)	जबलपुर-गोंडिया (80 किमी)
				ऐशबाग-सीतापुर (86.83 किमी)
				सीतापुर-मैलानी (106.92 किमी)
3	दोहरीकरण	17957.37	1800 रुट किमी (आरकिमी)	डौंड-गुलबर्ग पार्ट (46.81 किमी)
				हीराकुड-गोडेबोघा (8.59 किमी)
				चुडंगा गढ़- न्यू भुवनेश्वर (7.3 किमी)
				न्यू भुवनेश्वर-मैंनचेश्वर (6.66 किमी)
				उतरेतिया-जाफराबाद (57.6 किमी)
				विजयवाडा-कोंडापल्ली (17.5 किमी)
				झींकपानी-मलूका-डोन्गोआपोसी (38 किमी)
				दुर्ग-राजनंदगांव (31 किमी)
				शिवथान-तिनैघाट (16 किमी)
				उधाना-जलगांव (55 किमी)
				रानी नगर-जलपाईगुड़ी-नई मोड़नागुड़ी (11 किमी)
				न्यू कूचबिहार-न्यू अलीपुरद्वार (18.41 किमी)
				लंका-हवाईपुर-लम्साखांग (17 किमी)
				निर्गम/परिणाम में डेडीकेटिड क्रेट कॉरिडोर को आंशिक रूप से शुरू करना शामिल है।
4	विद्युतीकरण परियोजनाएं	3451.96	4000 रुट किमी (आरकिमी)	कटिहार-रानीनगर-जलपाईगुड़ी एवं कटिहार बारसोई
				रोहतक-जखल
				तीतलगढ़-कोमाखान

				मालदा - सिंगहाबाद एवं पाकुर - मालदा
				सम्बलपुर - तीतलगढ़
				मनहेरू - हिसार
				डिगुवामेटा-धोन
				तोरनागल्लू - रंजीतपुरा शाखा लाइन सहित गुंटाकल - बेल्लारी होसपेट
				छिंदवारा - कालुमना
				छेवकी-कटनी एवं सतना-रीवा
				बोइंदा-सम्बलपुर
				रेनुकूट-चोपान-सिंगरौली
				कनवट-अजमेर-रानी-पालनपुर-मेहसाणा
				जखल - हिसार
				राजपुरा - धुरी - लेहरा मोहाबत
				जखल - धूरी - लुधियाना
				सिंगापुर रोड- दमनजोडी
				केतवा-अजीमगंज-नलहाति
				राजगीर-मानपुर
				छपरा-गाजीपुर-वाराणसी
				कटनी-डुबरीकलां
				इरोड-करुर-तिरुचिरापल्ली
				ऊना हिमाचल - अम्ब अंडौरा
				कोडरमा - हजारीबाग
				गाजीपुर - औनरीहार
				उतरेतिया - राय बरेली- अमेठी
				क्यूल - तिलाया
				पड्डापल्ली - लिंगमपेट - जुगतियाल
				पनवेल - पेन - थाल
				तिरुचिरापल्ली- नागपट्टिनम - करैकल पोर्ट
				ईदगाह - अछनेरा - मथुरा एवं अछनेरा - भरतपुर
				बोनिदंगा-भागलपुर
				नल्लापादु-नदीकुडी
				बाल्मीकी नगर - सुगौली - रक्सौल
				भीमसेन-खैरार
				अजमेर-भीलवाड़ा
				रोहतक - भिवानी
				होसपेट-गादंग
				जाफराबाद - अकबरपुर - टांडा
				ललितपुर - उदयपुर
5	रॉलिंग स्टॉक लोकोमोटिव्स	25194.37		
	डीजल		290	
	विद्युत		334	

	डिब्बे		4495	
	ट्रेक मशीन		76	
6	सिगनल एवं टेलीकॉम (मुख्य मदें)	2330		
	प्रतिस्थापन कार्य		300 स्टेशन	
	ट्रैक सर्किटिंग		500 स्थान	
	एलईडी सिगनल		200 स्टेशन	
	ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग (एबीएस)		200 रुट किमी (आरकिमी)	
	एक्सल काउंटर से ब्लॉक जांच		300 ब्लॉक स्टेशन	
	ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस)		100 रुट किमी (आरकिमी)	कोलकाता उप-शहरी क्षेत्र (100 रुट किमी (आरकिमी)
	डाटा लॉगर		200 स्टेशन	
	एलसी गेट की इंटरलॉकिंग		250 एलसी गेट	
7	ट्रेक नवीकरण	8310	3600 किमी	

निर्गम/परिणाम बजट - 2017-18 मांग सं. 81: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (करोड़ रुपए)				
क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें**			
1	स.प.रा.मंत्रालय के अंतर्गत एनएचडीपी III और एनएचडीपी IV सहित एनएचडीपी	23891.59	9000 किमी	कुल लम्बाई - 55,577 किमी, पूरी की गई संचित लम्बाई (31.03.2016) - 27,238 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22, 31.03.2020 तक पूरा करने का संचित लक्ष्य 48,707 किमी (88%)
2	ईएपी- एनएचआईआईपी	1225.00	300 किमी	कुल लम्बाई -1,120 किमी, पूरी की गई संचित लम्बाई (31.03.2016)- 325 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2019-20
3	विजयवाड़ा-रांची कॉरीडोर सहित एलडब्ल्यूई	900.00	250 किमी	कार्यक्रम के तहत कुल लम्बाई -5,531 किमी, पूरी की गई संचित लम्बाई (31.03.2016)- 4,274 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2017-18
3.1	टीएसपी सहित एलडब्ल्यूई	700	250 किमी	
3.2	विजयवाड़ा-रांची	200		
4	अरुणाचल प्रदेश सहित एसएआरडीपी	5765.00	300 किमी	कुल लम्बाई **(चरण क-4,099 किमी और अरुणाचल प्रदेश पैकेज 2,319 किमी)** = 6,418 किमी. कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य 2020-21 और 31.03.2020 तक पूरा करने का संचित लक्ष्य 5,957 किमी (93 प्रतिशत) है। **चरण-ख** कुल लम्बाई - 3,723 किमी, एसएआरडीपी-एनई चरण ख के तहत कार्य 2017-18 से शुरू किए जाने की संभावना है। 31.03.2020 तक पूरा करने का लक्ष्य 1,400 किमी (38%) है।
5	सेतुभारतम (निर्गम-पुल/आओबी)	बी (1) के अंतर्गत रारा (मूल) में से	50	कुल 1,708 (1,500 पुल, 208 आरओबी/आरयूबी) कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2020-21 31.03.2020 तक पूरा करने का लक्ष्य 1,105 (71%) है।
जोड़		**31581.59**	**9850 किमी**	
ख.	**अन्य**			
1	मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रा.रा. (मूल) + वीजीएफ सहित एसएल रा.रा./अन्य उच्च यातायात रा.रा. के उन्नयन सहित किसी कार्यक्रम में शामिल न की गई 21,244 किमी सड़कों (31.03.2016 के अनुसार) का विकास	21557.57	5150	कुल लम्बाई-22,843 किमी (=21,244 किमी + 1,599 किमी रा.रा. (मूल) + वीजीएफ स्कीम के तहत), कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22, तथापि, रा.रा. (मूल) + वीजीएफ स्कीम 2019-20 तक पूरी कर ली जाएगी। 3. पूरा करने का लक्ष्य (31.03.2020)- 16147 किमी (66%)

ग.	**नई प्रस्तावित स्कीम (निवेश निर्णय के अनुमोदन के अध्यधीन)**			
1	तटीय/सीमा क्षेत्र	बी (1) के अंतर्गत रारा (मूल) में से	डीपीआर का काम चल रहा है और प्रस्तावित भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य निवेश निर्णय होने पर शुरू किए जाएंगे।	कार्यक्रम के तहत कुल लम्बाई - 54,370 किमी कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2021-22 पूरा करने का लक्ष्य (31.03.2020)- 13,050 किमी (24%)
2	सागरमाला के साथ-साथ एक्सप्रेसवे			
3	राष्ट्रीय कॉरीडोर दक्षता वृद्धि कार्यक्रम			
4	आर्थिक कॉरीडोर दक्षता वृद्धि कार्यक्रम			
5	पिछड़े क्षेत्र, धार्मिक और पर्यटन स्थल			
6	चार धाम		अनेके पैकेजों के लिए डीपीआर का काम चल रहा है, 3,600 करोड़ रुपए के 19 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके लिए निविदाओं का काम विभिन्न चरणों में है।	कार्यक्रम के तहत कुल लम्बाई - 889 किमी, कार्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य- 2019-20
जोड़		-	-	
घ. सड़क पक्ष की अन्य योजनाएं				
1.	आर्थिक महत्व एवं अन्तर राज्य सड़क संपर्क (ईएसएंडआईसी)	815.67	इस स्कीम के लिए निधि का निर्धारण सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार आर्थिक महत्व एवं अन्तर राज्य सड़क संपर्क की सड़कों के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किया जाता है। इसका निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
2.	शोध एवं विकास,गुणता आश्वासन	83.41	यह व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा गुणता आश्वासन प्रणाली स्थापित किए जाने, निर्माण कार्यों के प्रबोधन, शोध एवं विकास के लिए की गई है। इसका निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
3.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रभार	7.00	इस निधि का प्रयोग मंत्रालय के कार्यकरण का डिजिटीकरण किए जाने और कम्प्यूटर एसेसरी की खरीद के लिए किया जाता है।	
4.	पीबीएफएफ (राज्यों द्वारा पथकर)	37.86	इसमें पथकर का संग्रहण राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा, उन्हें सौंपे गए रारा खंडों पर किया जाता है। इस निधि का आगे आबंटन रारा के विकास के लिए राज्यों में किया जाता है। इसका निर्गम और परिणाम क्रमांक बी(1) के अंतर्गत शामिल है।	
5.	सीआरएफ (राज्यीय सड़कें)	7267.66	यह निधि राज्य योजना के लिए है और सीआरएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्धारित है। यह निधि राज्यीय सड़कों के विकास के लिए सहायता-अनुदान के रूप में जारी की जाती है। इसमें निर्गम/परिणाम बता पाना संभव नहीं है।	
6.	अनुरक्षण एवं मरम्मत	2970.32	इस निधि का प्रयोग पहले से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए किया जाता है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क गुणता सुधार, बाढ़ क्षति मरम्मत, विशेष मरम्मत, आदि के लिए किया जाता है लेकिन ऐसा करते हुए इन कार्यों की आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। ये अनुरक्षण कार्य नियोजित निर्माण कार्यों से भिन्न होते हैं और इनका निर्गम/परिणम बता पाना संभव नहीं है।	
जोड़		**11181.92**		
जोड़ सड़क पक्ष (क+ख+ग+घ)		**64521.08**	**15,000 किमी**	

7.	सड़क सुरक्षा	प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान	75.00	(i) 45000 दृष्य झलकियां और 40000 श्रव्य झलकियां प्रसारित की जाएंगीं। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भिन्न-भिन्न हितधारकों को सड़क सुरक्षा सामग्री भी भेजी जाएगी। (ii) सड़क सुरक्षा की पैरवी के लिए राज्यों को 5 करोड़ रुपए तक का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।	(i) दृश्य और श्रव्य झलकियों के प्रसारण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। (ii) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।
		राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा परियोजना	12.00	इसके अंतर्गत 13500 किमी रारा शामिल किए जाने हैं। नकदीरहित उपचार के प्रायोगिक चरण के दौरान प्राप्त अनुभव और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर नकदीरहित उपचार की योजना देश के अन्य हिस्सों में भी लागू की जा सकती है।	परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतिम रूप दिए जाने की दृष्टि से 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' जारी कर दिए गए हैं।
		असंगठित क्षेत्र में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास	40.00	(i) लगभग 80000 भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। (ii) राज्य परिवहन विभाग कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 60 कार्यक्रम स्वीकृत किए जाएंगे। (iii) 100 आईडीटीआर/ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक और 4 आईडीटीआर स्वीकृत किए जाएंगे। (iv) 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वीकृत आईडीटीआर का निर्माण पूरा करने के लिए निधि जारी की जाएगी।	(i) वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे। (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे। (iii) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करेगा। (iv) आईडीटीआर की भौतिक प्रगति
		सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण जांच उपकरण और कार्यक्रम कार्यान्वयन	2.00	300 गैस विश्लेषकों और 300 धूम्र मीटरों के प्रापण के लिए राज्यों को निधि जारी की जाएगी। 1000 श्वास विश्लेषकों के प्रापण और 5 शहरों में परियोजना 'स्माइल' की शुरुआत के लिए निधि जारी की जाएगी।	राज्यों से गैस विश्लेषकों, स्मोक मीटरों और ब्रैथ एनालाइजरों की जरूरत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।
8	राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क	(i) कंप्यूटर सिस्टम एवं राष्ट्रीय डाटा	45.00	प्रवर्तन एवं विभिन्न अन्य अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय	

		बेस (ii) डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास और परिवहन अध्ययन		रजिस्टर और राज्यीय रजिस्टर पूरे करना। मंत्रालय का इरादा है कि शोध एवं विकास अध्ययन आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे देश के अग्रणी संस्थानों के माध्यम से कराए जाएं।	
9	निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र	परिवहन संकुल की स्थापना सहित निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना	35.00	3 नए निरीक्षण एवं अनुरक्षण संस्वीकृत किए जाने हैं। पिछले वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों के लिए उपकरणों का प्रापण किया जाएगा। पिछले वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों का प्रचालन व्यय।	i) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करेगा। ii) पिछले वर्षों के दौरान संस्वीकृत निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों के सिविल निर्माण की स्थिति पर निर्भर करेगा।
10	सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	(i) राज्य सड़क परिवहन निगमों को सहायता (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशाल बस पत्तनों/टर्मिनलों का विकास (iii) इलेक्ट्रिक बसों पर सीआईआरटी प्रायोगिक परियोजना	40.00	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 3 से 5 प्रस्ताव संस्वीकृत किए जाएंगे। पिछले वर्षों के दौरान दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की प्रतिबद्ध देयता पूरी करने पर विचार किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए परियोजना संदर्भ दस्तावेज तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं का पैनल बनाया जाएगा और परियोजना पूरी करने के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की 10 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित किया जाएगा।	राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और संस्वीकृति आदेश जारी किए जाने पर निर्भर करेगा। परामर्शदाता का पैनल बनाने की दृष्टि से 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध' जारी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के रूप में बदली जाने वाली बसों की संख्या।
11	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के गठन के लिए सहायता	1.00	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन प्राधिकरण का गठन	सरकार का अनुमोदन
	जोड़ परिवहन पक्ष		250.00		
कुल जोड़ (सड़क पक्ष का जोड़+परिवहन पक्ष का जोड़)			**64771.08**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 82: ग्रामीण विकास विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	23,000	• 33.5 लाख मकानों का निर्माण। • प्रशिक्षित राज मजदूर 20000	• आवास वंचित परिवारों की संख्या में कटौती। • अन्य समान्य कार्यक्रमों के जरिए मकान रहित परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान; और • ग्रामीण निर्माण में रोजगार सृजन।
2	दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम)	4500	• अजा/अजजा एवं अल्प संख्यक समूहों के कुल 50% एचएच को चलाया जाना है। • एनआरएलएम के तहत 3.68 लाख एसएचजी को प्रोन्नत किया जा रहा है। • 50% एसएचजी के पास बकाया बैंक ऋण है।	• आधार रेखा के ऊपर एचएच आय बढ़ाना। • बैंक क्रेडिट के लिए अधिक से अधिक पहुंच। • एसएचजी का वित्तीय समावेशन। • वस्तु मूल्य श्रृंखला के जरिए आजीविका बढ़ाना। • डीडीयू-जीएवाई के माध्यम से रोजगार।
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	48,000	• 220 करोड़ व्यक्ति दिवस	• अध्ययन के तहत मजदूरी रोजगार तलाशने वाले व्यक्तियों के लिए मजदूरी रोजगार। • स्थायी समुदाय परिसम्पत्तियों के सृजन के जरिए आजीविका सुरक्षा। • एसबीएम, पीएमएवाई (ग्रामीण), आईसीडीएस, पेयजल एवं स्वच्छता, पीएमजीएसवाई और आईडब्ल्यूएमपी के साथ अनुकूलन।
4	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	9,500	• 3.09 करोड़ लाभार्थियों को सहायता	• लाभार्थियों का आधार से जुड़ा डिजिटीकृत डाटाबेस • लाभार्थियों का वित्तीय समावेशन • सुरक्षा नेट में सुधार
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,000	• 59,150 किमी सड़कों का निर्माण	• बारहमासी सड़क संपर्क के जरिए पात्र बस्तियों की संख्या घटाना।
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन	1000	• 100 फेज I क्लस्टरों में जमीनी कार्यों का अगला स्तर। • सभी 100 फेज II क्लस्टरों में जमीनी कार्यों की शुरुआत। • 100 फेज III क्लस्टरों का अनुमोदन। • एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना	• न्यूनतम 40% बस्तियों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल। • 40% एचएच में अलग-अलग शौचालय। • जीरो वेस्ट क्लस्टर। • सभी क्लस्टरों में शत प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन। • गांव की गलियों में स्ट्रीट लाईट, नालियां तथा रर्बन क्लस्टर में गांवों को आपस में जोड़ना। • अंतिम छोर तक संपर्क के साथ कुशल एवं किफायती सार्वजनिक परिवहन। • आद्योपांत ग्रामीण विद्युतिकरण व्यवस्था।

	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
7	कपार्ट को सहायता	20	विकास प्रयासों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विकास।
8	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान (एनआईआरडी एवं पीआर)	50	• प्रशिक्षण कार्यक्रम: 1513 अनुसंधान : 30	• ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं का क्षमता निर्माण। • विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का शोध एवं मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन। • ग्रामीण विकास विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना।
9	ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला नियोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	250	जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	• अधिक से अधिक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता, जागरूकता और अनुसंधान एवं विकास स्कीमों की कारगर निगरानी।
10	बीपीएल जनगणना/ सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011	80.18	डाटाबेस रखना	• साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन में एसईसीसी डाटा का प्रयोग। • लाभार्थियों तक उचित रूप से लाभ पहुंचाना। • लाभार्थियों के चयन में किसी के छूट जाने और शामिल हो जाने की गलती का निराकरण।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 83: भू संसाधन विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			
1	पीएमकेएसवाई - जलसंभर विकास घटक (तत्कालीन आईडब्ल्यूएमपी)	2045.47	2.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल को सिंचाई के अंतर्गत लाना है।	• अधिकाधिक कृषि उपज • किसानों की आय में वृद्धि
2	ईएपी-विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जलसंभर प्रबंधन परियोजना "नीरांचल"	105.00	परियोजना प्रबंधन इकाईयों का सुदृढ़ीकरण और 9 राज्यों को तकनीकी इनपुट सहायता प्रदान करना।	त्वरित परियोजना डिलीवरी
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
3	डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)	150.00	• देश के सभी जिलों के भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण। • देश के 30 जिलों के रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण। • देश के 80% जिलों में भू-कर मानचित्र/एफएमबी का डिजिटीकरण। • हकदारी अभिलेख (शाब्दिक) और भू-कर मानचित्र (स्थानीय) का एकीकरण-100 जिले रजिस्ट्रीकरण और भूमि अभिलेख का एकीकरण-100 जिले	100 जिलों में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना
	जोड़	**2300.47**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 84: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	एस एंड टी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण	1072.50	1. 160 नए और 800 कार्यरत और 15 नए विश्वविद्यालयों में एस एंड टी अवसंरचना के अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए सुदृढ़ीकरण विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं में 18 कार्यरत और 3 नई परिष्कृत विश्लेषणपरक उपकरण सुविधाओं के लिए सहायता। 2. योग एवं ध्यान के लिए संज्ञानात्मक विज्ञान और एस एंड टी (सत्यम) में 70-70 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता। 3. 5 नीति अनुसंधान केन्द्रों का पोषण, लगभग 700 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षण। 4. मूल विज्ञान अनुसंधान और सामाजिक लाभ में महिला वैज्ञानिकों के लिए लगभग 350-370 परियोजनाओं को सहायता। प्रेरणा पुरस्कार के लिए कक्षा VI से X तक के लगभग 1 लाख छात्रों का नामांकन किया जाना है। विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। पीएचडी करने के लिए लगभग 1000 प्रेरणा अध्येतावृत्तियां दी जानी हैं। पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए प्रेरणा संकाय पुरस्कार के लिए लगभग 300 वैज्ञानिकों को सहायता दी जानी है। 5. राज्य एस एंड टी परिषदों के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता दी जानी है।	अधिकाधिक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना आधार और अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए मानव संसाधन।
2.	अनुसंधान एवं विकास	595.50	6. द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एस एंड टी सहयोग के जरिए लगभग 200 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और वैज्ञानिकों के 500 पारस्परिक दौरों के लिए सहायता दी जाएगी। 7. राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन के तहत लगभग 40 नई और 140 जारी परियोजनाओं को सहायता दी जानी है। 8. राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण वृहद विज्ञान परियोजनाओं को निरंतर सहायता। 9. जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, ज्ञान नेटवर्क और विषयक कार्यबलों पर कार्य करना। 10. सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे।	अनुसंधान प्रकाशन की गुणता एवं मात्रा और पेटेंटों के संबंध में भारत के वैश्विक स्तर में सुधार।
3.	नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं फैलाव	651.90	11. विभिन्न प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों के विकास हेतु लगभग 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी जानी है, उपकरण विकास के लिए 50, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के लिए 50 और जल प्रौद्योगिकी के लिए 40 परियोजनाएं।	• देश में अधिकाधिक एस एंड टी ज्ञान आधार, सम्पत्ति सृजन तथा सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में विज्ञान की प्रासांगिकता।

			12. जियोस्पेशियल डाटा बेस के सृजन और जीआईएस एप्लीकेशन के संबंध में परियोजनाएं शुरू करना। 13. ड्रग और औषधियों में अनुसंधान करने के लिए सुविधाओं की स्थापना। 14. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर और स्टार्ट-अप संबंधी अन्य कार्यों के लिए सहायता जारी रखना। लगभग 3,85,000 तक इसे पहुंचाना। 15. विज्ञान संचार क्रियाकलापों के माध्यम से लगभग 50 लाख व्यक्तियों तक संपर्क करना। 16. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 28 संगठनों, सामाजिक जरूरतों, नि:शक्त एवं वृद्धों के लिए 40 परियोजनाओं, अजा एवं अजजा समुदाय के लाभ के लिए 25-25 परियोजनाओं को महत्वपूर्ण सहायता देना।	• प्रकाशित पत्रिकाओं, ड्रायर पेटेंटों और वाणिज्यिक उत्पादों में वृद्धि।
4.	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	800	17. लगभग 700 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान हेतु अतिरिक्त म्यूरल अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता, कॅरियर की शुरुआत में 300 अनुसंधान पुरस्कार, 500 राष्ट्रीय पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्तियां, विभिन्न स्तरों की 300 अध्येतावृत्तियां।	वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणता एवं संख्या बढ़ाना
5.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	20	18. प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए भारतीय उद्योगों को सहायता	स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण
6.	स्वायत्त संस्थान और पेशेवर निकाय	1126	19. 25 स्वायत्त निकायों और व्यवसाय निकायों का वित्त पोषण	एस एंड टी के विशिष्ट क्षेत्र में अनुसंधान सुदृढ़ीकरण
7.	सचिवालय (गैर-स्कीम)	83.15	20. सभी एस एंड टी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए सहायता सेवाएं	
8.	भारत सर्वेक्षण (संबद्ध कार्यालय) (गैर-स्कीम)	395.37	21. राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों और सतत् राष्ट्रीय विकास के लिए भू-स्थानिक डाटा का निरंतर संग्रहण एवं प्रसार	
9.	राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मैपिंग संगठन (संबद्ध कार्यालय) (गैर-स्कीम)		22. राष्ट्रीय स्तर पर सतत् थीमैटिक कार्टोग्राफी एवं भौगोलिक अनुसंधान	
10.	विदेशों में विज्ञान सलाहकार	13.54	23. एस एंड टी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय स्तर पर समन्वयन	
जोड़		**4817.37**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18				
ग सं. 85: जैव-प्रौद्योगिकी विभाग				
(करोड़ रुपए)				
क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	1250.58 करोड़ रुपए	• मूलभूत एवं प्रायोगिक अनुसंधान के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान, पादपजीनोम जीव विज्ञान, प्रयुक्त जैव प्रसंस्करण, चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी, डीएन फिंगरप्रिंट आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों /संगठनों का निरंतर एक्स्ट्राम्यूराल अनुसंधान वित्त पोषण • नई आरएण्डडी सुविधाओं के निर्माण और विद्यमान आरएण्डडी सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अवसंरचना सहायता। • सागर जीव विज्ञान संस्थान की स्थापना • स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान पर केन्द्रित राष्ट्रीय "मिशन इनोवेशन" का संचालन। • अगले 3 वर्षों में पांच बायोफार्मा-स्यूटिकल्स सौंपने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एक मिशन। • महामारी के लिए तैयारी, इनोवेशन गठबंधन में भागीदारी। • डॉट स्पॉट और राष्ट्रीय कोरलरीफ मैपिंग मिशन के लिए व्यापक मानचित्रण की दिशा में अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से नई पहल शुरू की जा रही है। • डीबीटी "क्रॉप जेनेटिक ऐनहांसमेंट नेटवर्क" स्थापित करेंगे। • जैव-प्रौद्योगिकी के बहु-विषयक क्षेत्र में 71 स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना। • नया एचआरडी कार्यक्रम- दोहरी उपाधि कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू और विज्ञापित किए जाएंगे। • 6 माह के औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए	• अभिनिर्धारित संस्थानों द्वारा विकसित अनुसंधान एवं विकास उत्पाद और सेवाएं उद्योगों के लिए हस्तांतरण और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी। • संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च गुणता के प्रकाशन पेटेंट, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का सृजन होगा और मानव जाति को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। • अभिनिर्धारित संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च गुणता के प्रकाशन पेटेंट, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान का सृजन होगा और मानव जाति को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। • उपयोग के लिए कीट-रोधी दाले, बीटी चना और मटर/सागर जीव-विज्ञान संस्थान कार्य करना शुरू करेगा। स्वास्थ्य मिशन अगले 3 वर्षों में 5 बायों फार्मास्यूटिकल्स प्रदान करेगा। • नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कार्यात्मक प्रौद्योगिकी। • नए शौचालय डिजाइन के साथ बायो-डाइजेस्टर। • दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन। • प्रशिक्षित जनशक्ति/महाविद्यालयों में बेहतर गुणता की जीव

			700 जैव-प्रौद्योगिकी छात्रों का चयन करना और 100 छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र से। • महिला वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और लगभग 200 महिला वैज्ञानिकों को उनका पहला शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा। • नए उत्कृष्टता केन्द्रों के लिए सहायता जारी रखना और उनका निर्माण • वैज्ञानिकों के लिए पुनः प्रवेश एवं अनुसंधान एवं अध्येयतावृत्तियों के लिए सहायता।	विज्ञान शिक्षा/रोजगार योग्य तकनीकी जनशक्ति तैयार करना। • विदेशों से वैज्ञानिक लौटेंगे और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास में योगदान देंगे।
2.	औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास	203.00 करोड़ रुपए	• प्रतिवर्ष लगभग 300-500 नए स्टार्टअप का पोषण करके क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बढ़ाना ताकि 2020 तक लगभग 2000 स्टार्टअप हों। • पीपीपी मोड में नवाचार अनुसंधान का वित्तपोषण • भारत में अनुसंधान संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में 5 नए बायोक्लस्टर, 50 नए बायो-इंक्यूबेटर, 150 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय और 20 बायो-कनेक्ट कार्यालय की स्थापना • बायोटेक इक्विटी फंड - राष्ट्रीय एवं वैश्विक इक्विटी फंड (भारत फंड) के साथ भागीदारी में (अन्यों के साथ) बीआईआरएसी एश फंड। इंडिया एस्पिरेशन फंड बायो-स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा • बंगलूरू-बोस्टन बायोटेक गेटवे टू इंडिया विशेषतः जिनोमिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, स्वापक खोज एवं नए टीकों के क्षेत्रों में उद्यमियों को जोड़ेगा और उन्हें परामर्श देगा। • बीआईआरएसी क्षेत्रीय उद्यमिता केन्द्रों के जरिए बायोगैस उद्यमिता का विस्तार। जैव प्रौद्योगिकी विभाग अगले 5 वर्षों में 5 क्षेत्रीय केन्द्र-मिनी-बीआईआरसी स्थापित करेगा। • आयोजित उद्देश्यों के अनुसार अनुसंधान करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान-क्लस्टरों को सहायता	• 2000 स्टार्टअप • बढ़ी हुई जैव-अर्थव्यवस्था • लोक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास से उत्पन्न जैव-प्रौद्योगिकियों का सामाजिक लाभ के लिए उपयोग • प्रशिक्षित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे • युवा स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 86: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम/उप-स्कीम का नाम**	**वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना	4062.91	• तात्कालिक प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करनेके लिए 25 से अधिक प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का त्वरित विकास और व्यवसायीकरण/ कार्यान्वयन • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लागत प्रभावी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लक्ष्य बनाकर मिशन परियोजनाएं शुरू करना। • कौशल विकास कार्यक्रमशुरू करना • विशिष्ट क्षेत्रों में नए अनुसंधान एवं विकास शुरू करना। • सामाजिक प्रयोजन से परियोजनाएं शुरू करना	खनिज, धातु, विनिर्माण सड़क, सिविल निर्माण, वैज्ञानिकी, पर्यावरण, कोशिका आधारित चिकित्सा विज्ञान, स्वास्थ्य जीनोम जैव विज्ञान में वृहद् डाटा, खाद्य, रसायन, प्रलेखन, इलेक्ट्रानिक्स, प्रोटीमिक्स, संक्रामक रोग, पुराने गैर-संक्रामक रोग जेसे क्षेत्रों में सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा।
2	राष्ट्रीय एस एंड टी मानव संसाधन विज्ञान	325	प्रौद्योगिकी के ट्रांस एवं अन्त: विषयक क्षेत्रों में न्यूनतम 300 स्नातकोत्तर और लगभग 100 डाक्टरेट तैयार करना।	देश के एस एंड टी ज्ञान आधार बढ़ाना।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं.: 87 - पोत परिवहन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
क. जहाज निर्माण मरम्मत				
1	गैर-केन्द्रीय पीएसयू शिपयार्डों और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को सब्सिडी	10	भारतीय शिपयार्डों द्वारा 19 जलयान डिलीवर किए जाने की संभावना है।	ये स्कीमें अलग-अलग शिपयार्डों में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इससे भारतीय शिपयार्डों के लिए व्यवसाय पैदा होगा और फलस्वरूप रोजगार बढ़ेगा।
2	अनुसंधान एवं विकास (नौवहन क्षेत्र)	02	जहाज निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास की स्कीम हेतु सहायता अनुदान।	
जोड़		12		
ख. अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य				
1	अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य	158.32	अंडमान और लक्षद्वीप द्वीप समूह में जेटियों, ब्रेकवाटर के निर्माण, टगों की खरीद, कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के उन्नयन और नए निर्माण कार्यों के लिए अध्ययन से संबंधित विभिन्न बंदरगाह निर्माण कार्य।	नई अवसंरचना का विकास और पुरानी अवसंरचना सुधार करके अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह में यात्रियों एवं माल के आवागमन में सुधार।
जोड़		158.32		
ग. विकास पक्ष				
1	पोत परिवहन मंत्रालय का विकास पक्ष	10	कोचीन पत्तन में गाद और इष्टतम सुधार उपायों के संबंध में अध्ययन तथा महापत्तनों के तहत बंदरगाह के लिए गाद संबंधी अध्ययन।	इन अध्ययनों से निकर्षण की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी।
घ. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.				
1	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	21	कार्यशील पूंजीगत जरूरत के लिए अर्थोपाय ऋण, आयकर के भुगतान के लिए सहायता अनुदान और बेहतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. जो घाटे में चल रही है, की पुनर्संरचना
जोड़		21		
ङ. इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी				
	इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी का विकास	125	समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री पार्यावरण, सामाजिक-आर्थिक जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुद्री	समुद्री क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए

			अध्ययन और अन्य विस्तार कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर ध्यान देना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आईआईटी द्वारा विकसित की जा रही हैं।	
जोड़		125		
च. नौवहन महानिदेशालय				
1	नौवहन महानिदेशालय	140.66	स्थिरक जल प्रबंधन योजना, एमईओ कक्षा IV ऑनलाइन परीक्षा, नई ई-गवर्नेंस परियोजना, एलआरआईटी, ईटीवी, परीक्षा शुल्क का भुगतान	सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की खरीद और विभिन्न सेवाओं के साथ-साथ नौवहन महानिदेशालय के नियमित एवं विकास संबंधी कार्य।
जोड़		140.66		
छ. दीपघर और दीपपोत महानिदेशालय				
	दीपघर और दीपपोत महानिदेशालय	334	दीपघर और दीपपोत महानिदेशालय की विभिन्न स्कीमों के लिए	दीपघरों का विकास और विद्यमान दीपघरों का सुधार (वे अपना व्यय अपनी आय से पूरा करते हैं और यह वसूली के बराबर होती है)
जोड़		334		
ज. पत्तन पक्ष				
1 2	प्रमुख निकर्षण परियोजना- (वीओसीपीटी)	15	बड़े जलयानों को हैंडल करने के लिए पत्तन का डुबाव बढ़ाकर 12.8 मीटर कर दिया गया है।	पत्तन स्कीमों में निवेश क्षमताओं के सृजन, निकर्षण, रेल एवं सड़क संपर्क तथा महापत्तनों की दक्षता में सुधार के अन्य विकास कार्यों के लिए है। इससे इन पत्तनों की राजस्व अर्जन क्षमता बढ़ेगी।
3	सब-वे/आरओबी का निर्माण - सीओपीटी	05	आईसीटीटी और सीएफएस से कंटेनरों को तेजी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए सबवे	
4	वल्लारपद्म में आईसीटीटी के लिए रेल संपर्क - सीओपीटी	05	आईसीटीटी में अस्थायी लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रेल उपरि पुल, जिससे सड़क यातायात की भीड़ कम होगी।	
5	तटीय सड़क संरक्षण कार्य	05	कार्य के 100% पूरा हो जाने पर तटीय सड़क के निकट समुद्र तट का क्षरण रुकेगा।	
6	रेत का निकर्षण - कोचीन पत्तन	05	चैनल के डुबाव का रख-रखाब करना ताकि भारी जलयानों का अवागमन प्रभावित न हो।	
7	पत्तन चैनल को (-) 19.5 मीटर तक गहरा करना - मुरगांव पत्तन न्यास	10	पत्तन ने कैप आकार के जलयानों को हैंडल करने के लिए संपर्क चैनल को (-) 19.5 मीटर गहरा करने का कार्य शुरू किया है।	

8	निकर्षण सब्सिडी का रख-रखाब - कोचीन पत्तन न्यास	192	हल्दिया और केडीएस चैनल, दोनों के डुबाव को कायम रखना।	
9	स्वच्छता कार्य योजना	8	4 महापत्तनों अर्थात् कोचीन पत्तन एवं कोलकाता पत्तन में स्वच्छता कार्य	
10	तेल प्रदूषण प्रशमन उपाय	12	तेल हैंडिल करने वाले 14 महा और गैर-महापत्तनों में तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों की खरीद के लिए प्रावधान	
11	नदी नियामक उपाय - कोचीन पत्तन न्यास	10	व्यय की प्रतिपूर्ति	
12	सेतुसमुद्रम पोत कनाल परियोजना	0.01	स्कीम को जारी रखने के लिए सांकेतिक धनराशि रखी गई	
13	सूचना प्रौयोगिकी	0.01	स्कीम तैयार की जा रही है।	
झ. आईडब्ल्यूटी (अंतर्देशीय जलमार्ग)				
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	275.5	सन् 2020 तक लगभग 15 अरब टन कार्गो एवं यात्रियों की ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का अधिकाधिक उपयोग	अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना का विकास और कार्गो से संबंधित परियोजना पर ध्यान देना। इससे पूर्वोत्तर के लिए परिवहन आसान होगा और संपर्क में सुधार होगा।
2.	पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	27.5		
जोड़		303		
ञ. सागरमाला				
1	सागरमाला	600	बेहतर अंतर्देशीय संपर्क, अवसंरचना विकास, सागरमाला विकास कंपनी, सागरमाला में अभिनिर्धारित परियोजनाओं का वित्तपोषण	पत्तन निर्देशित विकास जिससे आय बढ़ेगी और अवसंरचना परिसंपत्तियों के सृजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
ट. अन्य				
1.	महापत्तन प्रशुल्क	10.16	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान	
2.	बंगलादेश को सहायता	48	बंगलादेश के साथ पारगमन एवं व्यापार समझौते से उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिए पूरक व्यय	
3.	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को अंशदान	2.75		
4.	पीआईएएनसी एवं अन्य अंशदान	0.06	पीआईएएनसी की सहायता के लिए एकबारगी शुल्क के भुगतान हेतु	
कुल जोड (निवल)		**1697.97**		

स्कीमों के लिए निर्गमपरि-णाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 88: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं .	स्कीमम का नामस्की-उप/	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय के मुकाबले 18-2017 में निर्गमप्रदेय सेवाएं/	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना			
1	कौशल विकास (व्यापक विकास)	159.00	(i) 1300 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्कीम घटक के तहत 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाना है (ii) 105 करोड़ रुपए के परिव्यय घटक के तहत 4.5 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए 410 जिलों में 427 प्रधानमंत्री केन्द्र। (iii) ईएपी स्कीम घटक- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक। सहायता में मिशन मोड में कार्यान्वित की जाना है, इसका परिव्यय 100 करोड़ रुपए है। (iv) विद्यमान सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक के तहत संयुक्त वित्तपोषण के आधार पर यूक्येरी एवं आस्ट्रेलिया के साथ कार्य किए जाएंगे, इसका परिव्यय 15 करोड़ रुपए है। (v) विश्व कौशल, भारत घटक, जिसका परिव्यय 20 करोड़ है, के तहत विश्व कौशल में चयन एवं कार्यक्रम भागीदारी के लिए राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तार पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। (vi) केन्द्रीय विद्यालों/नवोय विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के स्कीम घटक, जिसका परिव्यय 15 करोड़ रुपए है, को तहत नियमित और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के लिए पूरे देश में लगभग 1100 विद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।	(i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्कीम घटक के तहत रोजगार क्षमता बढ़ाना। (ii) एनएसडीसी की तकनीकी सहायता स्कीम के स्कीम घटक के तहत आदर्श प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। (iii) ईएपी की स्कीम घटक- आजिविका संवर्धन के लिए कौशल प्रासिओं (ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के तहत कौशल विकास और लाभप्रद रोजगार। (iv) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घटक के तहत बेहतरीन वैश्विक पद्धतियों से सीखना। (v) विश्व कौशल - भारत घटक के तहत, पूरे विश्व में भारत की कौशल संभावना दर्शाना/बढ़ाना (vi) केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालय में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थापना घटक के हत प्राथमिक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण एवं दौषभारिक शिक्षा का एकीकरण।
2	उद्यमित विकास (व्यापक स्कीम)	87.86	(i) प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता अभियान के स्कीम घटक के तहत 71.86 करोड़ रुपए के परिव्यय से उद्यमिता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए 238875 छात्रों को शामिल किया जाना। (ii) 1 करोड़ रुपए के परिव्यय में भावी उद्यमिता के सहयोग एवं परामर्श के लिए	देश में युवाओं की कम क्षमता में वृद्धि।

			स्कीम घटक, एसएफसी नोट तैयार किया जा रहा है। (iii) राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार योजना घटक के तहत उद्यमियों और उनके ईको-सिस्टम निर्माताओं को पूरे देश में 22 पुरस्कार दिए जाएंगे और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का परिव्यय है। (iv) 10 करोड़ रुपए के परिव्यय में आईआईई में सामान्य सुविधा भवन का निर्माण।	
3	राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन कार्ड	25.00	20 लाख छात्रों का प्रमाणन	परीक्षा/मूल्यांकन र प्रमाणन में शामिल सुसंगतिकरण और मानवीकरण प्रक्रियाएं
4	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	20.00	सरकारी और निजी क्षेत्र में कौशल विकास प्रयासों का समन्वय एवं सामंजस्य	कौशल प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त करना तथा सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग एवं आर्थिक अंतर को भरने का प्रयास करना।
5	बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदर्श आईटी कार्ड	50.00	1.11 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए 500 बहु-कौशल प्रशि7ण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।	युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी।
6	प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण (व्यापक स्कीम)	1151.40	(i) 500 करोड़ रुपए के परिव्यय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम के स्कीम घटक के तहत 10 लाख शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाना है। (ii) स्कीम घटक के तहत भोपाल, मोहाली और गोहाटी में 3 नए आरडीएटी की स्थापना सहित विभिन्न शिक्षु प्रशि7ण कार्यकलाप, नए क्षेत्रीय शिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय/कौशल विकास पहल/क्षेत्रीय शिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय की स्थापना जिसका कुल परिव्यय 27.36 करोड़ रुपए है। (iii) 20 करोड़ रुपए के परिव्यय में विद्यमान आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नयन घटक के तहत 29 विद्यमान आईटीआई का आदर्श आईटीआई में उन्नयन। (iv) 2.50 करोड़ रुपए के परिव्यय में 1396 सरकारी आईटीआई घटके के तहत पीपीपी के अध्ययन से 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन पर निगरानी (v) 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास और संरचना के विस्तार की स्कीम घटक के तहत 3 नई आईटीआई, 5 आईटीआई का उन्नयन और 7 आईटीआई में अवसंरचना की कमी को पूरा करना। (vi) 20 करोड़ रुपए के परिव्यय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के लिए कौशल विकास घटक के तहत 5 नए आईटीआई और 10 एसडीसी।	**(i)** एनएपीएस के तहत कुशल औद्योगिक कार्यालय की उपलब्धता। **(ii)** आरडीएटी घटक के तहत 70000 शिक्षुओं को प्रशिक्षण देना। **(iii)** विद्यमान आईटीआई के आदर्श आईटीआई में उन्नयन और 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन घटक के तहत बेहतर प्रशिक्षण सुविधा। **(iv)** ईएसडीआई स्कीम घटक के तहत अतिरिक्त 300 प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधा। **(v)** एलडब्ल्यूई स्कीम घटक के तहत आईटीआई में 520 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं और एसडीसी में 1000 प्रशिक्षुओं की बढ़ी हुई प्रशिक्षण क्षमता। **(vi)** नए एटीआई/भारतीय कौशल संस्थान के स्थापना घटक के तहत अच्छे अनुदेशकों की उपलब्धता। **(vii)** ईओएम एण्ड यू स्कीम घटक के तहत कुशल कार्यबल एवं अनुदेशकों की उपलब्धता। (viii) एमआईएमआई स्कीम घटक के तहत 13156 आईटीआई और नई अईटीआई में बेहतर ई-शिक्षण विषय-वस्तु उपलब्ध होगी। (ix) वीटीआईपी घटक के तहत कुशल जनशक्ति की उपलब्धता। **(x)** स्ट्राइव घटक के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की बेहतर प्रासंगिता और दक्षता।

			(vii) 125.72 करोड़ रुपए के परिव्यय से नए एटीआई/भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना घटक के तहत 12 जिलों में 4600 शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए पीपीपी मोड में 12 एटीआई और भारतीय कौशल संस्थान। (viii) 310.42 करोड़ रुपए के परिव्यय में डीजीटी संस्थाओं के स्थापना प्रचालन, अनुरक्षण एवं उन्नयन के स्कीम घटक के तहत 42500 को प्रशिक्षण और 1500 शिक्षुओं को अनुदेशक प्रशिक्षण (ix) 3 करोड़ रुपए के परिव्यय में कौशल इन्स्ट्रक्शनल मीडिया इन्स्टीट्यूट स्कीम घटक के तहत 350 अनुदेश प्रशिक्षण सामग्री (x) 50 करोड़ रुपए के परिव्यय में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना स्कीम घटक के तहत 400 उत्कृष्टता केन्द्रों में प्रशिक्षण। (xi) 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से ईएपी-स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) स्कीम घटक के तहत आईटीआई ईको-सिस्टम को पुनर्जिवित करने के लिए लाभोन्मुखी कार्यक्रम परियोजना नहीं। (xii) 10 करोड़ रुपए के परिव्यय से आईटीआई के आईएसओ प्रमाणन घटक के तहत प्रशिक्षण का स्तर उठाने के लिए चुनिंदा आईटीआई का आईएसओ प्रमाणन किया जाएगा।	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं.-89: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18**	**परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं**	**कुल अनुमानित मध्यावधि परिणाम**
क.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम**			
I	**अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यापक स्कीम**			
1	**शैक्षिक सशक्तिकरण**			
1.1	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	230.00	2000 अध्येतावृत्ति + नवीकरण	डॉक्टोरल उपाधि वाले अजा छात्रों की संख्या में वृद्धि
1.2	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	15.00	100 छात्रवृत्ति	ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने उच्चतर शिक्षा विदेशों में पूरी की
1.3	अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा	35.00	1250 (नए लाभार्थी)	अजा छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययन पूरा किया
1.4	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3347.99	अनुसूचित जाति के 55 लाख छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XII से स्नातक स्तर)	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा (12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) में उनके पास होने की दर बढ़ाना। • कक्षा XI और XII के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कटौती।
1.5	अस्वच्छ पेशे में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2.70	छात्रवृत्तियां देना	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना। • ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने 10वीं कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
1.6	अनुसूचित जातियों के छात्रों का योग्यता उन्नयन	2.00	1320 छात्र (25,000 रुपए प्रति छात्र की दर से)	• अजा छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए कक्षा IX से XII में विशेष कोचिंग दी गई थी। • ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है जिसके लिए कोचिंग दी गई थी।
1.7	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	50.00	अजा के 25 लाख छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले और अगली कक्षा में प्रोन्नत छात्रों की संख्या बढ़ाना। • ऐसे छात्रों के 10वीं कक्षा पास करने की दर में सुधार जिन्हें 10वीं कक्षा में छात्रवृत्ति मिली थी। • कक्षा I-V, I-VII और I-X के बीच स्कूल छोड़ने की दर में कटौती।
1.8	अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास	150.00	लड़कियों के लिए 1350 सीटों वाले छात्रावास का निर्माण	पूरे हो चुके छात्रावासों की संख्या बढ़ाना और उनमें लड़कियों की संख्या बढ़ाना।
1.9	अनुसूचित जातियों के लिए बालक छात्रावास	5.00	लड़कों के लिए 340 सीटों वाले छात्रावास का निर्माण	पूरे हो चुके छात्रावासों की संख्या बढ़ाना और उनमें लड़कों की संख्या बढ़ाना।

2.1	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	40.00	1375 अजा बहुल गांव जिनमें अजा आबादी 50% है।	विकसित/विकास के लिए लिए गए आदर्श गांव की संख्या और गरीबी उपशमन के लिए सहायताप्राप्त परिवारों की संख्या।
3.1	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	128.21	0,70 लाख लाभार्थियों को सस्ते ऋण एवं कौशल विकास	• सस्ते ऋण प्राप्त करने के पश्चात् इकाईयां/आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने वाले अजा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। • कौशल विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और रोजगार/स्वरोजगार वाले अजा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
3.2	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	50.00	24000 सफाई कर्मचारी लाभार्थियों को सस्ते ऋण एवं कौशल विकास	• सस्ते ऋण प्राप्त करने के पश्चात् इकाईयां/आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने वाले सफाई कर्मचारी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। • कौशल विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और रोजगार/स्वरोजगार वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
3.3	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. हेतु अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड	40.00	वेंचर कैपिटल योजना के तहत अजा उद्यमियों की 35 इकाईयों में इक्विटी निवेश	अजा उद्यमियों की संख्या में वृद्धि जहां वेंचर कैपिटल फंड स्कीम के तहत इक्विटी निवेश किया गया था।
3.4	अनुसूचित जाति के युवा एवं स्टार्टअप उद्यमियों के लिए क्रेडिट वृद्धि योजना	0.01	अजा उद्यमियों के स्वामित्व वाली 2 इकाईयों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी सुविधा।	अजा उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयां बढ़ाना जिन्हें क्रेडिट वृद्धि गारंटी दी गई थी।
3.5	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	0.50 लाख लाभार्थी	• रियायती ऋण प्राप्त करने के पश्चात् इकाईयां/आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना। • कौशल विकास प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और रोजगार/स्वरोजगार वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना।
3.6	हाथ से झाड़ू लगाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (उदाहरण के लिए: एक-बारगी नकद सहायता कौशल विकास प्रशिक्षण, व्यापक पुनर्वास)।	5.00		• हाथ से झाड़ू लगाने वालों की संख्या बढ़ाना जिन्हें एकबारगी नगद सहायता प्राप्त हुई थी। • हाथ से झाड़ू लगाने वालों की संख्या बढ़ाना जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण मिला था और जिनका वैकल्पिक पेशों में पुनर्वास किया गया था।
4.1	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1000 लाभार्थी	• 10वीं एवं 12वीं कक्षा के अजा/ अजजा छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्हें मेरिट पुरस्कार दिए गए थे। • अजा व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए सहायता दी गई थी। • अजा/अजजा अत्याचार पीड़ितों का प्रतिशत जिन्हें राहत सहायता दी गई थी।
4.2	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय केन्द्र	40.00	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण	ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए केन्द्र में आयोजित कार्यक्रमों की मद-वार संख्या।
4.3	डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	62.00	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण एवं उसका रख-रखाव	ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए स्मारक में किए गए क्रियाकलापों/आयोजित कार्यक्रमों की मद-वार संख्या।

4.4	अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	70.00	0.50 लाख लाभार्थी	अजा छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्हें सहायता दी गई थी और जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया, कौशल प्रशिक्षण लिया और सहायता के बाद आमदनी के क्रियाकलाप शुरू किए।
4.5	नागरिक अधिकार निवारण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	300.00	दोनों अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों का कारगर कार्यान्वयन	संचालित जागरूकता कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बढ़ाना ताकि अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
5.1	अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	800.00	आमदनी वाले कार्यों के लिए 6.70 लाख लाभार्थियों को सहायता।	• पूरे किए गए कार्यों/सृजित अवसंरचना की मद-वार संख्या बढ़ाना। • अजा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने सहायता के बाद आमदनी के क्रियाकलाप शुरू किए।
6	पिछड़े वर्गों के लिए योजना			
6.1	अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां	40.00	660 लाभार्थी	उच्चतर अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।
6.2	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां	4.30	385 लाभार्थी	विदेश में अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।
6.3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	10.00	13200 लाभार्थी	अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के बाद आर्थिक क्रियाकलाप शुरू किए।
6.4	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	142.00	25 लाख	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों और उनमें से अगली कक्षा में प्रोन्नत छात्रों की संख्या बढ़ाना। • छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले और उनमें से 10वीं कक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना।
6.5	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	885.00	शैक्षिक सेवाओं में सुधार। 27.50 लाख लाभार्थी	• छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले और 2017-18 में नियत अंकों से पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाना। • कक्षा XI और XII के बीच स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर में कटौती।
6.6	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास	40.00	5000 सीटें जिनमें से 500 सीटें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और 1700 महिलाओं के लिए	पूरे किए गए छात्रावासों और लाभान्वित छात्रों की संख्या बढ़ाना।
6.7	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना (शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति)	10.00	27500 लाभार्थी	छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों और पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा (12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) में उनकी सफलता दर बढ़ाना।
6.8	अनधिसूचित यायावरी जातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजना	6.00	16500 लाभार्थी	अनधिसूचित जातियों के छात्रों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा पूरी की और सहायता के पश्चात् आर्थिक क्रियाकलाप शुरू किए।

6.9	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	100.00	अन्य पिछड़े वर्गों के 1.60 लाख लाभार्थियों के लिए सस्ते ऋण सहायता और कौशल प्रशिक्षण	अपिव के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने सस्ते ऋण मिलने/कौशल प्रशिक्षण सफलपतापूर्वक पूरा करने के बाद आर्थिक क्रियाकलाप शुरू किए।
7	**अन्य असुरक्षित वर्गों के लिए योजना**			
7.1	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	19.10	वृद्धावस्था देखभाल और मादक पदार्थों के दुरूपयोग के लिए प्रति वर्ष लगभग 4000 लाभार्थियों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम	• वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ाना जिन्होंने अपने स्वरोजगार/रोजगार क्षमता के लिए कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। • मादक पदार्थों से छुटकारा दिलाए गए और पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना।
7.2	सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	7000 (लगभग) लाभार्थी.	• बेहतर जीवन स्तर के साथ कार्यक्रम से लाभान्वित निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना। • ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनका मादक पदार्थों के सेवन से छुटकारा दिलाने के लिए उपचार किया गया और देखभाल की गई।
7.3	मादक पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में वर्तमान पद्धति एवं प्रवृत्ति के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	15.24	सरकार द्वारा नीति निरूपण के लिए मादक पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में वर्तमान पद्धति एवं प्रवृत्ति का मूल्यांकन।	सभी राज्यों के लिए सभी संभव मीट्रिक्स के साथ समय से सर्वेक्षण पूरा किया।
7.4	शराब की लत और मादक पदार्थों का दुरूपयोग रोकना	46.01	1.45 लाख लाभार्थी	मादक पदार्थों के आदी व्यक्तियों की संख्या जिनकी आदत छुड़ाने के लिए उपचार किया गया और पुनर्वास किया गया।
7.5	अनुसंधान अध्ययन एवं प्रकाशन	6.50	--	• पूरे किए गए शोध एवं मूल्यांकन अध्ययनों, आयोजित सम्मेलनों और प्रकाशित पुस्तकों/लेखों की संख्या बढ़ाना। • शोध एवं मूल्यांकन के निष्कर्षों एवं सिफारिशों के आधार पर किए गए मुख्य प्रयास।
7.6	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	33.00		आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की संख्या बढ़ाना।
7.7	वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	46.00	29889 लाभार्थी	बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ कार्यक्रम से लाभान्वित निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना।
7.8	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	4.00	नई योजना	प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा पूरी करने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों; कौशल प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों और पेंशन में शामिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या।
7.9	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	4.00	नई योजना	• शेल्टर होम में आवास प्रदान किए गए निराश्रितों/भिखारियों की संख्या। • कौशल प्रशिक्षण दिए गए निराश्रितों/भिखारियों की संख्या। • मजदूरी/स्वरोजगार में लगे निराश्रितों/भिखारियों की संख्या।
	जोड़	**6808.06**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिव्यय रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 90 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	2	3	4	5
	केन्द्र प्रायोजित स्कीम			
1	विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन (एसआईपीडीए) के लिए स्कीम	207.00	• 2.5 लाख व्यक्तियों का कौशल प्रशिक्षण • 2500 भवनों की सुगम्यता की जांच और 1,500 भवनों, 250 रेलवे स्टेशनों, 50 हवाई अड्डों और 2000 वेबसाइट्स की रेट्रोफिटिंग।	प्रशिक्षित, रोजगार पाए दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि और ऐसे भवनों की प्रतिशतता में वृद्धि जहां सुलभता प्रदान की जाती है।
2	राज्य इस्पाइनल इंजुरी केन्द्रों की स्थापना	5.00	24 मरीजों का उपचार	उपचार के बाद सामान्य जीवन जीने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि
3	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	24.00	400 छात्रवृत्तियां	छात्रवृत्ति पा रहे दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि और इनमें से एम.फिल/पीएचडी की डिग्री पूरी करने वालों की संख्या
4	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति	2.00	30 छात्रवृत्तियां	ऐसे दिव्यांगजन छात्रों की संख्या में वृद्धि जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद प्रवास में अध्ययन पूरा कर लिया है अथवा जो अध्ययनरत हैं।
5	दिव्यांगजनों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा	5.40	320 छात्रवृत्तियां	• ऐसे निर्धन दिव्यांग छात्रों की संख्या में वृद्धि जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद सर्वोत्तम संस्थानों में उच्च गुणवत्ता की पेशेवर शिक्षा पूरी कर ली हो अथवा जो शिक्षा पा रहे हों • ऐसे दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि जो छात्रवृत्ति मिलने के बाद सर्वोत्तम संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अथवा डिप्लोमा पूरा कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं।
6	दिव्यांग छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	7.00	60000 छात्रवृत्तियां	• छात्रवृत्ति ले रहे छात्रों की संख्या में वृद्धि और इनमें से अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण छात्रों की संख्या • पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा, पहली से सातवीं कक्षा और पहली से दसवीं कक्षा में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी
7	दिव्यांग छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	10.00	20000 छात्रवृत्तियां	• छात्रवृत्ति पा रहे छात्रों की संख्या में वृद्धि और इनमें से 2017-18 में नियत अंकों के साथ पोस्ट मैट्रिक शिक्षा पूरी करने वालों की संख्या • ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी।
8	दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त कोचिंग	2.00	750 छात्रवृत्तियां	• व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग पूरी करने वाले एसडब्ल्यूडीएस • कोचिंग के कारण पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित करने वाले एसडब्ल्यूडीएस की संख्या में वृद्धि

9	सूचना और जन-शिक्षा	50.00	सुगम्य भारत अभियान हेतु मीडिया प्लान विकसित करना और इसी तरह उन्हें विभाग की अन्य स्कीमों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उनका अनुकूलन करना	जागरूकता अभियान के कारण दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी देने/पंजीकरण करने के कार्य में वृद्धि।
10	निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की स्कीम	0.10	400 लाभार्थी	निजी क्षेत्र में नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि
11	केन्द्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक बनाना	2.00	सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए 200 बैचों (30-40 प्रति बैच) में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे	सेवाकालीन प्रशिक्षण 127 जागरूकता के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षित प्रमुख पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि।
12	दीन दयाल पुनर्वास स्कीम	60.00	1.75 लाख लाभार्थी (लक्ष्य)	• पुनर्वास किए गए/शारीरिक क्षमताओं में सुधार वाले दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि • ऐसे मामलों में वृद्धि जहां जल्दी कार्य किए गए • बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष शिक्षा के तहत शामिल हुए दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि • वोकेशनल प्रशिक्षण पूरा करने वाले दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि और उनमें से रोजगार पाने वालों की संख्या।
13	सहायक सामग्री/उपकरण खरीदने/उन्हें लगाने के लिए दिव्यांगजनों को मदद देने की स्कीम (एडीआईपी)	150.00	2.85 लाख लाभार्थी (लक्ष्य)	स्कीम के तहत सहायक उपकरण प्राप्त करने के बाद शारीरिक गतिविधि में सुधार पाने वाले दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि।
14	दिव्यांगता संबंधी प्रौद्योगिकी उत्पादों पर अनुसंधान	1.00	संस्वीकृत की जाने वाली 8 नई परियोजनाएं	दिव्यांगजनों के लिए सहायता सामग्री और उपकरणों के क्षेत्र में विकसित वाणिज्यिक रूप से प्रौद्योगिकी उत्पादों की संख्या में वृद्धि।
15	दिव्यांगजन संस्थान को सहायता राष्ट्रीय संस्थान	120.00	16.70 लाख लाभार्थी	• राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पुनर्वासित दिव्यांगजनों की संख्या में वृद्धि और शारीरिक क्षमताओं और अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता में सुधार। • दिव्यांगजनों को सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

16	राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	32.74	22,080 लाभार्थी	राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम से उदार ऋण सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिव्यांगजनों द्वारा शुरू की गई आय सृजित करने वाली इकाइयों में वृद्धि।
17	राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान और दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	35.00	स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा करना	एनआईएसएच से ग्रेजुएट करने वाले दिव्यांगजनों और पुनर्वास के क्षेत्र में एनआईएसएच द्वारा तैयार पेशेवर जनशक्ति में वृद्धि।
18	राष्ट्रीय व्यापको बजट सहायता	15.22	1.05 लाख लाभार्थी	सभी दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय आय के कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए।
19	ब्रेल प्रेस को सहायता	10.00	6.42 करोड़ बेल-पृष्ठों का उत्पादन	अधिकाधिक बेल प्रेसों की स्थापना करने के लिए
	जोड़ केन्द्र क्षेत्र की स्कीम	**738.46**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 91: अंतरिक्ष विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	जीएसएलवी का संचालन	170.00	जीएसएलवी- संचालन यानों की दो उड़ानों का प्रक्षेपण	जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट (जीटीओ) में 2.5 - 3टी वर्ग में संचार उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भरता
2.	जीएसएलवी एमके III का विकास	50.00	एस 200, एल 110 और सी 25 यानों का कार्य पूरा और जीएसएलवी एमके III- डी 2 उड़ान का प्रक्षेपण	जियो-सिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट में 4 टी वर्ग के संचार उपग्रह के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता
3.	पीएसएलवी - जारी परियोजना	501.00	प्रक्षेपण यान की मिशन आयोजना, उप संयोजन, अंतिम रूप से संयोजन और परीक्षण तथा छह पीएसएलवी उड़ानों का प्रक्षेपण	घरेलू वाणिज्यिक उपग्रहों के लिए संचालन प्रक्षेपण सेवाएं सुनिश्चित करना।
4.	भू-निगरानी प्रणालियां (ओशनसेट, रिसोर्ससेट तथा कार्टोसेट श्रेणियां, जीआईएसएटी, एनआई-एस एआर और ईओ नवीन मिशन आदि सहित)	291.10	कार्टोसेट -2ई उपग्रह का प्रक्षेपण	उन्नत क्षमताओं के साथ लगातार भू-निगरानी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष अवसंरचना का बढ़ना
5.	भारतीय चन्द्र मिशन (चन्द्रयान - 2)	50.00	ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मॉड्यूल के लिए मुख्य ढांचा प्रणालियों का कार्य पूरा	चन्द्रमा और इसके वातावरण की समझ बढ़ना
6.	इनसेट उपग्रह प्रणाली	518.56	विभिन्न बैंड्स में इनसैट/जीसैट ट्रांसपोंडर्स बढ़ाने के लिए तीन संचार उपग्रहों का कार्य पूर्ण और उनका प्रक्षेपण	उन्नत क्षमताओं के साथ सुनिश्चित उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की निरंतरता के लिए इनसेट/जीसेट ट्रांसपोंडर क्षमता का विस्तार

स्कीमों के लिए उत्पादन-परिणाम रूपरेखा 2017-18				
मांग सं. 92: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
				(करोड़ रुपए)
	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	क्षमता विकास	168.28		
1.1	**उप-स्कीम:** सांख्यिकी सुदृढ़ करने के लिए सहायता	30.00	• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता • शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन	सांख्यिकी अवसंरचना एकीकरण के तरीके, महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रक्रिया और प्रसार में सुधार तथा सांख्यिकी से जुड़े कार्मिकों की क्षमता विकास से अधिक ठोस राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़े।
1.2	**उप-स्कीम**: क्षमता विकास	138.28	• सांख्यिकी सूचकांकों का विकास और विभिन्न पर्यवेक्षण करने के लिए संविदा आधार पर फील्ड स्टॉफ और पेशेवरों को किराए पर लेना। • एसडीजी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे का विकास • आईएसएस और एसएसएस के अधिकारियों के लिए प्रवेश और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर के सांख्यिकी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियां तथा कार्यक्रम • कार्यशाला/संगोष्ठियां: विभिन्न वृहद् आर्थिक संकेतकों के संकलन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य सांख्यिकी विभागों के अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं, सेवा क्षेत्र पर वूरबर्ग समूह की 32वीं बैठक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 70वें दौर में शामिल विषयों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आंकड़ों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियां, आदि। • बड़े/छाटे कार्य: पूर्वोत्तर राज्यों में नए आरओ, पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर राज्य सहायता प्रकोष्ठ में डाटा प्रोसेसिंग सेंटर और शहरी ढांचा सर्वेक्षण खण्डों का डिजिटाइजेशन। • प्रकाशन: वूमन एण्ड मेन इन इंडिया, 2017 सार्क डेवलपमेंट गोल्स इंडिया कन्ट्री रिपोर्ट 2017, कम्पेंडियम ऑफ	राज्य और केन्द्र के सांख्यिकी कार्यालयों में अच्छे दक्ष कार्मिक, जागरूकता और समझ बढ़ाने वाले विचारों के आदान-प्रदान से विभिन्न वृहद् आर्थिक संकेतकों के संकलन की गुणवत्ता में सुधार आने तथा डाटा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाकर और सर्वेक्षणों के अच्छे नमूनों की उपलब्धता से सर्वेक्षण प्रबंधन प्रणाली तथा डाटा गुणवत्ता में सुधार होने से अधिक ठोस आंकड़ों और सूचकांकों तथा नई डाटा संकेतकों का जारी होना। इसके अलावा, चल रहे सर्वेक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करने से जवाबदेह व्यक्तियों को संवेदनशील बनाया जा सकेगा और वे बेहतर आंकड़ें एकत्र करने में भागीदारी करेंगे।

			एनवायरनमेंट स्टटिस्टिक्स 2016, जर्नल ऑफ इण्डस्ट्रियल स्टटिस्टिक्स, एनर्जी स्टटिस्टिक्स, 2018, मंथली एण्ड क्वार्टरली फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स (मेगा एण्ड मेजर), प्रोविजनल एण्ड फाइनल रिजल्ट्स ऑफ एन्युअल सर्वे ऑफ इण्डस्ट्रीज 2015-16 और जर्नल सर्वेक्षण (103वीं एवं 104वीं अंक) • विज्ञापन और प्रचार	
2.	आईएसआई को सहायता अनुदान	282.15	सांख्यिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम शिक्षा और अनुसंधान हेतु शैक्षिक सुविधाओं के लिए धनराशि	आंकड़ों के विश्लेषण कार्य में बेहतर विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध होने से अधिक ठोक राष्ट्रीय आंकड़े
3.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीलैड्स)	3950.00	जिलों के प्राधिकारियों को परियोजनाएं चलाने के लिए माननीय सांसदों की सिफारिश पर धनराशि जारी	स्थानीय जरूरतों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर स्थाई लोक परिसंपत्तियों का सृजन

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 93: इस्पात मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा	15.00	(1) निम्नलिखित आरएण्डडी परियोजनाओं का कार्य पूरा करना: • अच्छे इस्पात के उत्पाद के लिए सीएसआईआर - सीजीसीआरआई द्वारा इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस के लिए सस्ती अग्निरोधी लाइनिंग सामग्री का विकास • मेकॉन (आई) लिमिटेड द्वारा परा बैगंनी कैमरा आधारित टारपीडो लेडल कार कंडिशन मानिटरिंग सिस्टम का विकास (2) नई आरएण्डडी परियोजनाओं का अनुमोदन और उन पर कार्य करना	निम्नलिखित क्षेत्रों में जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करके निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के उपयोग, कोक के विनिर्माण के लिए कोयला मिश्रण की गुणता में सुधार, उत्पादकता एवं उत्पाद गुणता में विकास, नए उत्पादों के विकास अपशिष्ट में चक्रण/पुनःप्रयोग के लिए प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियों का विकासः • सीआरजीओ इस्पात का स्वदेश में विकास एवं विनिर्माण। • अच्छी गुणता के धातु विज्ञान संबंधी कोक का उत्पादन • निम्न ग्रेड के कोयले द्वारा मिल स्केल में सीधी कटौती • उच्च ताप सामग्री की फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग • इंडक्शन फर्नेस में अच्छे इस्पात के उत्पादन के लिए अग्निरोधी लाइनिंग सामग्री • ड्राइस्लैग ग्रेन्युलेशन टेक्नालॉजी एण्ड रिकवर वेस्ट होट एनर्जी। • टारपीडो लेडल कार के लिए स्थिति निगरानी व्यवस्था। • निकिल-मुक्त नाइट्रोजन के लिए आस्टैनीटिक स्टेनलेस स्टील। • मॉडल आधारित ब्रेकआउट पूर्वानुमान प्रणाली। • स्लाइम्स एवं निम्नग्रेड के लौह अयस्क फ्ल्यूडाइज्ड बैड रिडक्शन रोस्टिंग। • उच्च गुणता के फैरो मैग्नीज का उत्पादन। • मिल स्केल और लीन ग्रेड कोयला से डीआरआई का उत्पादन। • जटिल शोधन वाले अयस्कों की रिडक्शन रोस्टिंग।
जोड़		**45.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 94: वस्त्र मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन स्कीम	220	बिजली करघा, सिल्क, जूट, हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र-परिधान जैसे सभी श्रेणी के वस्त्र क्षेत्रों का व्यापक विकास	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र का समग्र विकास
2.	एकीकृत कौशल विकास स्कीम	173.99	5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा	नियोजन योग्य कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ने से इस क्षेत्र में उच्च उत्पादकता की संभावना
3.	रेशम-कीट पालन 3.1 अनुसंधान एवं विकास	153.00	सिल्क उत्पादन का 33,840 मी. टन का लक्ष्य	सिल्क क्षेत्र में अधिक क्षमता बढ़ने से उत्पादकता ज्यादा होगी और गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलेंगे
	3.2 बीज उत्पादन और संघटन	0.00		
4.	सीएचसीडीएस 4.1 हथकरघा मेगा क्लस्टर	43.70	चल रही 9 हथकरघा मेगा क्लस्टर परियोजनाओं का समेकन।	क्लस्टर दृष्टिकोण लेकर और विपणन सहायता बढ़ने से हथकरघा क्षेत्र का विकास
	4.2 विपणन और सहायता सेवाएं	50.00	177 घरेलू आयोजनों और 20 अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सहायता	
5.	एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम	50.00	80 उत्पादन इकाइयों के साथ 6 नए टेक्सटाइल पार्कों की स्वीकृति	वस्त्र क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के सृजन के बाद उत्पादन और उत्पादकता
6.	एकीकृत प्रसंस्करण विकास स्कीम	30.00	वस्त्र प्रसंस्करण हेतु उच्च क्षमता वाले 6 नए साझा बहिस्राव संयंत्रों की स्वीकृति	वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन
7.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम 7.1 धागा आपूर्ति स्कीम	202.00	*1540* लाख कि.ग्राम धागे की आपूर्ति की जाएगी	हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि तथा निर्यात में भी वृद्धि
	7.2 आरआरआर पैकेज और व्यापक हथकरघा विकास स्कीम	146.00	50 नए ब्लॉक स्तरीय समूह स्थापित किए जाएंगे और 3300 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा जाएगा	

	7.3 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास स्कीम	44.00	1 बहुत बड़ा समूह (क्लस्टर) स्थापित किया जाएगा	
8.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम	2013.00	2180 इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता दी जाएगी	प्रौद्योगिकी उन्नयन से उच्च उत्पादकता मिलेगी
9.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियोटेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रयोग बढ़ाने की स्कीम	15.00	• जियोटेक्सटाइल्स के साथ 30 कि.मी. सड़क का निर्माण • ढलानों को सुदृढ़ बनाने की 10 परियोजनाएं चलाई जाएगी • 15 जलाशय परियोजनाएं चलाई जाएगी	बेहतर आधारभूत सुविधा से वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि से पूर्वोत्तर का विकास होगा।
10.	जूट प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में 20 लाख मी.टन तक वृद्धि	जूट निर्यात की विश्व हिस्सेदारी 27% से बढ़ाकर 35% और वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक 3500 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 95: पर्यटन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
1	केन्द्र क्षेत्र की स्कीम			
1	**पर्यटन अवसंरचना**			
1.1	स्वदेश दर्शन	959	2014-15, 2015-16 और 2016-17 में संस्वीकृत स्वदेश दर्शन के 13 चयनित थीमैटिक परिपथ के तहत 51 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण	• ।पर्यटकों के आगमन में वृद्धि • ।राजस्व में वृद्धि • ।चुनींदा क्षेत्रों के रोजगार सृजन में वृद्धि
1.2	'प्रसाद'	100	2014-15, 2015-16 और 2016-17 में स्वीकृत 16 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण	
1.3	पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	70	मंदिरों के शहर वाराणसी का सौन्दर्यीकरण; पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 8 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन; डेडिकेटेड क्रूज बर्थिंग सुविधाओं का विकास - कोचीन, गोवा, और चेन्नै फोर्ट द्वीप में साउण्ड एण्ड लाइट शो	
2	**संवर्धन एवं प्रचार**			
2.1	आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	110	• महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन चलाना • पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में टीवी अभियान चलाना • ऑनलाइन अभियान चलाना • रेडिया अभियान चलाना • आउटडोर अभियान चलाना • बोर्डिंग पास, पानी और बिजली के बिलों के बारे में विज्ञापन • भारत पर्व समारोहों का आयोजन	• पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन क्षेत्र के लाभों के बारे में लोगों को जागृत करना
2.2	बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में प्रोत्साहन और प्रचार	300	• विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि और भारत को पसंदीदा पर्यटक गंतव्यस्थल के रूप में बढ़ावा देना • अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स, टूर आपरेटर्स और प्रवासी होलसेलर्स, भारतीय मिशनों और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त प्रोत्साहन प्रयास शुरू करना ताकि प्रोत्साहन कार्यकलापों के दायरे को व्यापक बनाया जा सके।	प्रोत्साहन और विपणन के जोर-शोर के कार्यकलापों के जरिए विदेशी पर्यटकों के आगमन/विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाना

			• व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रभावी, समन्वित और असरदार भागीदारी। • भारतीय पर्यटन के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने के लिए विदेशों के महत्वपूर्ण बजारों में रोड़-शोज, इंडिया इवनिंग्स, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन • भारतीय आहार और सांस्कृतिक मेलों तथा अन्य प्रोत्साहन समारोहों का आयोजन और उनमें भागीदारी। • अंग्रेजी और 4 से 5 अन्य भाषाओं में पर्यटकों के लिए नए प्रकाशन तैयार करना तथा नए और मौजूदा टूर ऑपरेटर्स, होलसेलर्स को विदेशी बाजारों में प्रोत्साहन के लिए तथा मौजूदा बाजारों को सहायता देने के लिए ब्रोशर्स और विज्ञापन की मदद उपलब्ध करना।	
3	**प्रशिक्षण और कौशल विकास**			
	आईएचएम/एसआईएचएम/एफसीआई/ आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी/आईसीआई आदि को सहायता देने की स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम)	95	अगले 3 सालों में आतिथ्य और यात्रा प्रबंधन संस्थानों की संख्या 57 से बढ़ाकर 65 करना- प्रतिवर्ष 2-3 संस्थान	शतप्रतिशत रोजगार नियोजन/उद्यमिता
जोड़*		**1634.91**		

* उपर्युक्त सभी और शेष स्कीमें शामिल हैं।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 96 जनजातीय कार्य मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
क.	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम			
1	आदिवासी शिक्षा			
1.1	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा			
1.1.1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	1347.07	19.66 लाख छात्र	• कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी • पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की संख्या
1.1.2	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	265.00	13.30 लाख छात्र	• छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या और उनमें से अगली कक्षा में प्रोनत छात्रों की संख्या • 10वीं कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की 10वीं कक्षा पास करने की दर • कक्षा I से V, कक्षा I से VII और I से X के बीचे में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी।
1.1.3	बालक-बालिका छात्रावासों की स्कीम	10.00	400 सीट	पूरे बन चुके छात्रावासों की संख्या और लाभान्वित बालक-बालिकाओं की संख्या में वृद्धि (यह एक मांग आधारित स्कीम है)
1.1.4	आश्रम विद्यालयों की स्कीम	10.00	300 सीट	• प्रवेश स्तर पर नामांकन की तुलना में आश्रम विद्यालयों में शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि (10वीं और 12वीं स्तर के लिए अलग-अलग) • मूल संख्या की तुलना में आश्रम विद्यालयों में वृद्धि।
1.1.5	व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम	31.00	1200 प्रशिक्षु	• व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाली अनुसूचित जनजाति के युवाओं की संख्या • प्रशिक्षण के बाद सफलतापूर्वक रोजगार पाए/स्व-रोजगार में लगे अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि
2	वनबंधु कल्याण योजना			
2.1	विशेषकर कमजोर आदिवासी समूहों का विकास	270.00	सीसीडी प्लान के अनुसार	कई कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों द्वारा प्रयोग में लाए गए
2.2	आदिवासी पर्व, अनुसंधान सूचना और जन-शिक्षा	12.00	उल्लिखित स्कीम में निर्दिष्ट कार्यकलाप	स्कीम के तहत पूरे किए गए कार्यकलापों की संपूर्ण स्थिति (वित्तपोषित प्रत्येक कार्यकलाप की स्थिति अलग-अलग निर्दिष्ट की जाएगी)

2.3	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	120.00	(i) शिक्षा क्षेत्र में 100000 लाभार्थी (ii) स्वास्थ्य क्षेत्र में 300000 लाभार्थी	• आवासी स्कूल/गैर-आवासी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले और दी गई शिक्षा का लाभ उठा चुके छात्रों की शिक्षा पूरी करने की दर • 10 बिस्तरों वाले प्रचालन अस्पतालों/चलते-फिरते औषद्यालयों की संख्या
2.4	निगरानी और मूल्यांकन	9.20	उपलब्ध नहीं	कई मूल्यांकन/अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए। अनुसंधान कार्यों की सिफारिश और मूल्यांकन के नतीजों के अनुसार शुरू की गई नीतिगत पहलें।
2.5	लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए)	181.70	एमएसपी स्कीम में इंगित कार्यकलाप	• एमएफपी के लिए आदिवालियों हेतु व्यावसायिक पारिश्रमिक सुनिश्चित करना • शीत-भंडारण, भंडारगृहों, प्रसंस्करण इकाइयों बहु-उद्देशीय केन्द्रों आदि जैसी अभिप्रेत सहायता सेवा का सफल प्रावधान
2.6	जनजातिय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई को सहायता)	80.00	मांग के अनुसार	(i) पूरे किए गए शोध एवं मूल्यांकन अध्ययनों (ii) आयोजित सम्मेलन एवं प्रकाशित पुस्तकें/लेख • नए जनजातिय संग्रहालयों की स्थापना।
3	**जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता**	1437.50	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन मत्स्यपालन, डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में आम जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मानव विकास संकेतकों में अंतर को दूर करने के लिए और परिवार की आमदनी बढ़ाने हेतु आय सृजन की स्कीमों के लिए भी राज्यों की सहायता।	कई कार्यकलाप पूरे किए गए और जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्रत्येक कार्यकलाप के अंतर्गत कई व्यक्ति लाभान्वित हुए (कार्यकलाप-वार स्थिति)
4	**भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम उपबंध के तहत अनुदान सहायता**	1500.00	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वागबानी, पशुपालन, मछलीपालन, डेयरी और अन्य उत्पादक परिसम्पतियों के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति आबादी और मदों के बीच अंतर को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण स्तरों को दूर करना।	• स्कीम के तहत पूरे किए गए कार्यकलापों की संख्या • प्रत्येक कार्यकलाप के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या • लक्षित क्षेत्र में मानव विकास सुचकांक में सुधार।
	जोड़ केन्द्र प्रायोजित स्कीम	**4870.11**		
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम**			
1.1	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं	120.00	अध्येतावृत्ति के लिए 3370 छात्र और छात्रवृतियों के लिए 1100	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या और उनमें से सफलतापूर्वक उच्चतर शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या

	छात्रवृत्ति		छात्र	
1.2	विदेशों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	1.00	22 छात्र	विदेशों में सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों की संख्या
2	**जनजातीय संस्थानों को सहायता**			
2.1	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	60.00	76,000 लाभार्थी	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से आसान ऋण सहायता प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार/स्व-रोजगार वाले आदिवासियों की संख्या
2.2	आदिवासियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन के लिए संस्थागत सहायता (ट्राइफेड और एसटीडीसीएस के माध्यम से)	49.00	मांग आधारित	उत्पाद विकास, लघु वनोपज के विपणन, सतत विपणन हेतु कौशल उन्नयन के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त करने वाले आदिवासियों की संख्या
	जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	230.00		
	कुल जोड़	5100.11		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 97: शहरी विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय	परिव्यय के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1. एमआरटीएस एवं मेट्रो रेल परियोजनाएं				
क	**दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन**	इक्विटी - 2700.02, गौण-ऋण (एसडी)- 1465.99, हस्तांतरित सहायता (पीटीए) - 13644 अनुदान- 150 अन्य शहरी परिवहन योजनाएं - 39.99	(क) परियोजना का चरण III का काम पूरा (ख) अतिरिक्त कॉरीडोर्स के तहत परियोजना का 90% कार्य पूरा (20 कि.मी. का संपूर्ण कार्य पूरा किया जाएगा, शेष का आंशिक रूप से)	1. व्यक्तिगत मोटर वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से यातायात की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण कम हुआ। 2. मेट्रो कॉरिडोर्स से यात्रियों के आने-जाने में लगने वाले समय में कमी आई। 3. मोटर वाहनों की ईंधन खपत भी कम हुई।
	चेन्नै मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		• चरण - 2बी- नेहरू पार्क से चेन्नै सेन्ट्रल - 2.5 कि.मी. • चरण 2सी - लिटिल माउण्ट से वाशरमेनपेट - 15.5 कि.मी. • चरण -I विस्तार : 1.1 कि.मी. लम्बी सुरंग और भूमिगत कार्य पूरा किया जाएगा, एलिवेटिड सेतु और स्टेशन का कार्य पूर्ण तथा डिपो का कार्य भी पूर्ण	
ग	बंगलौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		सभी 4 विस्तारों और 2 नई लाइनों में चरण-2 का सिविल कार्य शुरू	
घ	अहमदाबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		1. लिफ्ट और एस्केलेटर्स का ठेका दिया गया 2. अपैरल पार्क, ग्यासपुर डिपो 3 में परीक्षण ट्रैक का काम पूरा,, ट्रेनों, सिग्नल्स का परीक्षण शुरू किया जाएगा।	
ङ	नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		• 2500 पाइलों का काम पूरा • 400 शहतीरों का काम पूरा • 3 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा • एक डिपो का काम पूरा • 5 कि.मी. ओवर हैड इक्विपमेंट का कार्य पूर्ण • वाया डक्ट कन्स्ट्रक्शन स्टेशन पैकेज का कार्य शुरू करना। • टैक्शन और सहायक विद्युत आपूर्ति, संस्थापना और चालू करने का कार्य जारी रखना। • सीताबुल्दी इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण शुरू करना। • रोलिंग स्टॉक का परीक्षण और उसे चालू करना।	
च	मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		• भूमिगत पैकेजिस का सिविल कार्य शुरू किया जाएगा • ट्रैक का कार्य, पावर सप्लाई और ओवरहैड इक्विपमेंट प्रणालियों का कार्य, रौलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा अन्य प्रणाली कार्य आदि सौंपना।	
छ	कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		1. चरण-I के लिए: 12.5 कि.मी. की रेल प्रणाली के निर्माण का काम पूरा 2. चरण-II के लिए: 11.2 कि.मी. रेल प्रणाली के निर्माण का सिविल कार्य	
ज	लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन		प्राथमिकता वाले कॉरिडोर की राजस्व संचालन की तिथि 1.4.2017	

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 97: शहरी विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	2300	खुले में शौच वाले कस्बों की संख्या (संचयी)- 4,041 कंपोस्ट उत्पादन (संचयी) - 20 लाख मी.टन ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्ट (संचयी) - 330 मेगावाट सभी वार्डों में घर-घर जाकर शतप्रतिशत एकीकरण - शतप्रतिशत	1. 4041 कस्बे खुले में शौच से मुक्त होंगे। 2. साफ-सफाई सुधरेगी 3. 4041 कस्बों में अतिसार और मच्छर जनित रोगों के मामलों में कमी आएगी।
2	स्मार्ट सिटी मिशन	4000	40 स्मार्ट शहरों में एसपीवी का निरूपण 40 शहरों के क्षेत्र आधारित विकास क्षेत्रों में सड़कों का फिर से डिजाइन 40 शहरों के क्षेत्र आधारित विकास में सार्वजनिक पार्कों और तटीय नगर भागों का पुनरुद्धार 20 शहरों में क्षेत्र आधारित विकास में पब्लिक प्लाजा और वाटरफ्रंट का पुनरुद्धार 20 शहरों में क्षेत्र आधारित विकास में स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं का विकास 20 शहरों क्षेत्र आधारित विकास में पानी के कनेक्शन की स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था 20 शहरों के क्षेत्र-आधारित विकास में अपशिष्ट जल का फिर से इस्तेमाल	1. 2019 तक 100 स्मार्ट शहर। 2. शहरों द्वारा अपनाई जा रही विशिष्ट विकास थीम पर आधारित स्मार्ट शहरों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार
3	पुनरुद्धार हेतु अटल मिशन	5000	• एसएएपीएस-I में लिए गए एएमआरयूटी में खुली और हरित जगहों के लिए सभी पार्क परियोजनाओं का काम पूरा। कुल 300 परियोजनाएं शार्क परियोजनाओं में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। • सभी 500 शहरों के लिए एएमआरयूटी की निगरानी और मूल्यांकन सुधार एजेंडा ताकि लिखित साक्ष्य और सत्यापन के आधार पर 10% सुधार प्रोत्साहन दावे के लिए विजेताओं की पहचान की जा सके। • परियोजनाओं का कार्यान्वयन और 4000 करोड़ रुपए की किश्त जारी किया जाना। • 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 500 शहरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 5000 कार्मिकों (निर्वाचित और सरकारी) को प्रशिक्षण।	1. 2020 तक सभी मिशन शहरों में घरों में शतप्रतिशत रूप से पाइप के जरिए पेयजल की उपलब्धता। 2. मिशन शहरों में घरों के लिए शतप्रतिशत सीवेज/सेपरटेज की सुविधा थी कवरेज में पर्याप्त सुधार। 3. सभी मिशन शहरों में बाढ़ आने की घटनाओं में कमी। 4. सभी मिशन शहरों में हरित क्षेत्र में सुधार लाकर तथा पार्क उपलब्ध कराकर विधाओं का विकास (उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में)
जोड़		**11300**		
सकल जोड़		**29300**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग संख्याः 98 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18 (ब.प्रा.)	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	5000.00* *नबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण	31 बड़ी/मझोली सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा	12.95 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के उपयोग से फसलों की पैदावार किसानों की आय में वृद्धि, भू-जल के भराव में वृद्धि और अन्य प्रयोगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी।
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी	1450.00 4020.00* *नबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण	• 20 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कमान क्षेत्र और जल-प्रबंधन का कार्य पूर्ण • भूतल लघु सिंचाई क्षमता का सृजन - 0.40 लाख हेक्टेयर • जलाशयों की मरम्मत, संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करके 0.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन। • भू-जल के इस्तेमाल से 0.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन	सीएडी कार्य और एआईबीपी कार्य साथ-साथ किए जाने का प्रस्ताव है। स प्रकार सुनिश्चित सिंचाई के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि से (i) उपज (ii) किसानों की आय (iii) भू-जल की उपलब्धता (iv) अन्य उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता (v) जल के उपयोग की दक्षता बढ़ेगी।
3	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	150.00	महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यों, क्षरण-रोधी कार्यों, जल-निकासी विकास कार्यों और समुद्र-क्षरण रोधी कार्यों का निष्पादन।	बाढ़, नदीतट क्षरण, तटीय-क्षरण और चुनींदा नदी जलग्रहण क्षेत्रों में तलछट क्षरण के कारण क्षति में कमी।
	उप-जोड़ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	**1600.00 + 9020.00 नबार्ड से ऋण**		
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
4	नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	199.96	(i) पीडीए द्वारा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और पंचेश्वर के लिए निर्माण-पूर्व कार्य शुरू करना। (ii) बहु-उद्देश्यीय परियोजना सनखोसी मार्ग परिवर्तन-	• बार-बार बाढ़ आने की समस्याओं का कम होना। • अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जल संसाधनों की क्षमता का आकलन • बाढ़ की बेहतर पूर्व-चेतावनी। • पंचेश्वर बहु-उद्देश्यीय परियोजना की डीपीआर से परियोजना के कार्यान्वयन और निर्माण -पूर्व कार्यों के लिए कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी।

			सह-भंडारण योजना और कमला बांध परियोजना सहित सप्रकोषी उच्च बांध के लिए जेपीओ द्वारा डीपीआर तैयार किया जाना। (iii) जलीय पर्यवेक्षण जारी रखना और पड़ोसी देशों से बाढ़ एवं संबंधित डाटा संप्रेषण। (iv) साझा/सीमा नदियों पर विकास कार्य (v) संघ राज्य क्षेत्रों के क्षरण-रोधी और समुद्र क्षरण-रोधी कार्य। (vi) कोसी और गंटुक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ संरक्षण कार्यों का रखरखाव	
5	सिंचाई गणना	25.00	• 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 5वीं लघु सिंचाई गणना की एक राष्ट्र स्तरीय रिपोर्ट • छठी लघु सिंचाई गणना से संबंधित तैयारी कार्य- डाटा संग्रहण की नई मेट्रो की पहचान ड्राफ्ट तैयार करने की समय-सारणी राज्यों से टिप्पणियां, वित्तपोषण पद्धति आदि	लघु सिंचाई क्षेत्र में सुविचारित आयोजना और नीति निरूपण।
6	पोलावरम बह-उद्देश्यीय परियोजना	# (नाबार्ड में वित्तपोषण के जरिए बाद में निर्णय लिया जाएगा)	बांध का निर्माण: 40% दाएं तट की नहर का निर्माणः 85% बाएं तट की नहर का निर्माणः 75%.	2,91,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन, 540 गांवों में 28.50 लाख की आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति, कृष्णा नदी बेसिन को 80 टीएमसी पानी की उपलब्धता
7	फरक्का बांध परियोजना	155.00	फरक्का बांध और इससे जुड़े ढांचों का संचालन और रखरखाव	भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली बेहतर नौगम्यता। गंगा जल संधि, 1996 का अनुपालन
8	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम	160.00	• बांध सुरक्षा क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों का समग्र प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण • बांध सुरक्षा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण	• चुनिंदा विद्यमान बांधों और संबंधित • जल संसाधन कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण • बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का मानकीकरण

			• बांध सुरक्षा साफ्टवेयर 'धर्मा' के शेष माड्यूलों का विकास • बांध सुरक्षा पर छह राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम • बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर 4 दिशानिर्देशों को अंतिम रूप • चल रहे डीआरआईपी कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण	
9	नदी तटों के सौंदर्य के लिए घाट निर्माण कार्य	100.00	चिन्हित क्षेत्रों में नदी तटों का विकास और सौन्दर्यीकरण	नदी तटों का सौन्दर्यपरक सुधार और दर्शकों की अधिक संतुष्टि।
10	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	25.00	• 416.3 एमएलडी शोधन क्षमता के 16 नए मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना • 386 एमएलडी शोधन क्षमता हासिल करने के लिए मलजल शोधन संयंत्रों का जीर्णोद्धार • 155 घाटों और 49 शवदाहगृहों का निर्माण	• नदी के प्रदूषण के स्तर में कमी • गंगा नदी में अविरल धारा और निर्मल धारा
11	राष्ट्रीय गंगा योजना			
12	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	15.00	• 24 राज्यों के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी • राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना	(i) पानी के किफायती इस्तेमाल में वृद्धि और राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना (ii) जल संसाधनों का सतत प्रबंधन।
13	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी	199.99	नदियों को परस्पर जोड़ने की 8 परियोजनाओं और नदियों को जोड़ने की 4 परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट/जल संतुलन अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी से जुड़े कार्य। किन-बेतवा लिंक से संबंधित कार्य उन्नत स्तर पर है।	नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाओं के पूर्ण होने से अतिरिक्त पानी वाले क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी पहुंचाने में सुविधा।

14	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच- केन्द्रीय जल आयोग		पूर्वोत्तर राज्यों में 4 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी की जांच और बरसार जल विद्युत परियोजना की एक डीपीआर का कार्य पूर्ण।	डीपीआर में शामिल परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद जल संसाधनों से विद्युत उत्पादन
15	ब्रह्मपुत्र बोर्ड		• बाढ़ और क्षरण-रोधी 6 कार्यों का निष्पादन • जल निकास के विकास की 6 चल रही और 4 नई परियोजनाओं का निष्पादन • 2 नई नदी घाटी मास्टर योजनाओं की तैयारी और 6 पुरानी योजनाओं को अद्यतन किया जाना	• मजूली द्वीप और अन्य क्षेत्रों की बाढ़ और कटाव से सुरक्षा। • 26.01 वर्ग कि.मि. को लाभ होगा और 43.30 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को जल निकासी की समस्या से मुक्त किया जाएगा। • 38.10 वर्ग कि.मी. कृषि भूमि का सुधार ।
16	बाढ़ की पूर्व-चेतावनी	65.00	बाढ़ की पूर्व-चेतावनी देने वाले मौजूदा 275 केन्द्रों और 843 बेस केन्द्रों से बाढ़ की पूर्व-चेतावनी जारी करना।	• बाढ़ की पूर्व-चेतावनी का समय पर प्रेषण • बाढ़ की घटनाओं और बाढ़ से होने वाली क्षति में कमी।
17	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	145.00	• 878 पुराने स्थलों + 800 नए स्थलों पर जलीय पर्यवेक्षण और आंकड़ों का संग्रहण जारी रखना और 135 नए एचओ स्थल खोलना। • 40 जलाशयों में टेलीमेट्री प्रणाली की स्थापना।	• 120 जलाशयों में प्रत्यक्ष भंडारण की निगरानी • सुविचारित नियोजन और नीति निरूपण के लिए विश्वसनीय एवं मजबूत डाटा बेस तैयार करना
18	भूमिगत जल प्रबंधन और नियमन	500.00	जल क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार किया जाना - 4.04 लाख वर्ग कि.मी. 25584 कूपों के जरिए भूमिगत जल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी	• देश में सतत भूमिगत जल संसाधन प्रबंधन। • कृत्रिम रिचार्ज के जरिए गिरते जल स्तर को रोकना • भूमिगत जल संसाधनों के प्रयोग के बारे में बेहतर जागरूकता।
19	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	360.00	राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना हाइड्रो मेट उपकरणों की खरीद और स्थापना 3 बेसिनों के लिए नदी घाटी मूल्यांकन और आयोजना	(i) देश में निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर जल-संसाधन प्रबंधनः • बाढ़ की बेहतर पूर्व-चेतावनी, • बेहतर जल-संसाधन मूल्यांकन एवं आयोजना। (ii) देश में हाइड्रो मेट और स्थानिक आंकड़ों का बेहतर संग्रहण, संकलन, भंडारण और प्रसार।

20	जल संसाधनों में अनुसंधान एवं विकास	40.00	200 तकनीकी रिपोर्टों, 240 शोध-पत्रों का प्रकाशन और 34 कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन।	• प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध-पत्रों की संख्या में वृद्धि • जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना
21	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.01	जल क्षेत्र में सुधार कार्य चलाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन।	जल-संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जल-क्षेत्र सुधार।
22	एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, राष्ट्रीय जल अकादमी, आरजीआई - भूमिगत जल, जल संसाधन मंत्रालय और आईईसी में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण	25.00	• 511 प्रशिक्षण कार्यक्रम। • आईईसी - मल्टीमीडिया अभियान और • 15 कार्यशालाएं तथा 3 संगोष्ठियां, • प्रायोजित कार्यक्रम और बाह्य प्रचार • लगभग 200 कर्मचारियों को प्रशिक्षण	भूतल और भूमिगत जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
27	अवसंरचना विकास	45.00	• केन्द्रीय जल आयोग - हटमेंट्स के लिए भूमि का अधिग्रहण, 6 अलग-अलग स्थानों और मुख्यालयों में कार्यालय-सह-आवासीय भवनों का निर्माण • केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - विभिन्न स्तरों पर 8 कार्यालयों का निर्माण कार्य।	कार्यालयों में कार्य करने का बेहतर माहौल
	उप-जोड़ केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें	**4424.96**		
	जोड़ (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें)	**6024.96**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 99: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	आंगनबाड़ी सेवाएं (आईसीडीएस)	15245.19	• 25000 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का परिचालन • टीएचआर (आईसीडीएस) एवं मूल्यांकन के तहत 100 जिलों में सीसीटी बढ़ाना	बच्चों में व्याप्त कम वजन की समस्या में 2019-20 तक एनएफएचएस 4 स्तर से 12% कमी लाना
2.	मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एमएसवाई)	2700	254 अतिरिक्त जिलों में शुरू	जन्म के समय कम वजन होने की समस्या में 2019-20 तक 12% कमी लाना (बेसलाइन एनएफएचएस 4 स्तर)
3.	बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ	200	• लिंग असंतुलन वाले 161 + 50 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में एक वर्ष में 10 अंक तक सुधार लाना	शिशु लिंग अनुपात को सुधार कर 950 करना
4.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	648	• 75 अतिरिक्त आवास खोले जाएंगे • 500 जगहों में चाइल्ड लाइन्स सेवाएं पहुंचाई गई • गोद लेने वाली 50 अतिरिक्त विशेषज्ञ एजेंसियों (एसएए) को शामिल किया जाएगा।	175 अतिरिक्त आवास, 1650 जगहों में चाइल्ड लाइन्स सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, 150 एसएए को शामिल किया जाएगा
5.	राष्ट्रीय शिशु पालन गृह स्कीम	200	• लगभग 5.25 लाख बच्चों को शामिल किया जाना	शिशुपालन गृहों में 5.25 लाख बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18
मांग सं. 100: युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	215.00	• युवा क्लबों का विकास: 2261 • युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास: 2261 • क्लबों को खेल सामग्री: 24234 • ब्लॉक/जिला स्तरीय खेलों का आयोजन: 2705 • कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम: 5412 • लोक कला और संस्कृति/युवाकृति (जिला स्तरीय कार्यक्रम): 568 • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल दिवस मनाना: 16354 • जिला युवा संगोष्ठियां: 568 • महात्मा गांधी युवा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम: 158 • युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रमः 210 • उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार: 661	• मौजूदा क्लबों को मजबूत बनाना और नए क्लब बनाना तथा क्लबों में नामित युवाओं की संख्या 2017-18 तक लगभग 25% तक बढ़ाई जाएगी। • सामुदायिक विकास पर जोर देते हुए वर्ष के दौरान 94000 युवाओं की नेतृत्व खूबियों का विकास • खेल गतिविधियों में लगाकर युवा विकास; 16.83 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। • वर्ष में 4.21 लाख युवाओं को लाभ होगा। • 0.70 लाख युवाओं में लोक कला और संस्कृति तथा स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा • कार्यक्रमों में 16.27 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाज में जागरूकता पैदा की जाएगी। • कुल 0.58 लाख युवाओं को कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और अनुभव साझा करके अच्छी परिपाटियों को बढ़ावा दिया जाएगा • वर्ष में 627 जिलों में स्वच्छता एवं जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना • 209 गांवों को एक वर्ष में मॉडल गावों के रूप में विकसित करना • युवा क्लबों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
2.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	60.00	नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यकलापों के लिए ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों का चयन, प्रशिक्षण और तैनाती: 12000	राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक ब्लॉक स्तर पर युवा क्लबों के जरिए विभिन्न कार्यकलाप चलाने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन की पहुंच बढ़ाने में एक शाखा के रूप में कार्य करेंगे।
3.	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)	25.00	• आसपास के युवाओं की संसद के कार्यक्रम: 5985 • आसपास के युवाओं की संसद - ग्राम स्तरीय: 239400 • युवाओं द्वारा विकास - श्रमदान: 227.50 • राष्ट्रीय युवा विकास निधि: 2000	• समकालिक मुद्दों पर चर्चा/विचार-विमर्श करके 5 लाख युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास। • 1.24 करोड़ युवा क्लब के कार्यकर्ताओं को चर्चा में शामिल करके उनके नेतृत्व गुणों का विकास। • 29.64 लाख युवाओं को सामुदायिक परियोजनाओं (एनएसएस तथा एनवाईकेएस) में श्रमदान में शामिल करके उनमें नेतृत्व गुणों का विकास • अन्य कार्यक्रमों में न शामिल अभिनव पहलों के माध्यम से वर्ष में 2500 युवाओं का विकास/सशक्तिकरण।
4.	राष्ट्रीय युवा और नौजवा विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	18.00	• तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार: 4 • राष्ट्रीय युवा पर्व: 4 • राष्ट्रीय युवा पुरस्कार: 27 • युवाओं और नौजवानों के विकास कार्यक्रमों के लिए संगठनों को सहायता: 250	• उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके साहसिक गतिविधियों को बढ़ाना। • मेजबान राज्यों में आम जनता के अलावा, देशभर के 5801 युवाओं में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को बढ़ावा देना। • युवाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके उन्हें सामुदायिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना।

				• मंत्रालय से सहायता प्राप्त संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों से कुल 1.75 लाख युवाओं/किशोरों को लाभ होना है।
5.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	16.00	• अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम: 9 • एनवाईकेएस/एनएसस को सुदृढ़ बनाने के लिए यूएनवी/यूएनडीपी परियोजना: 29	• वर्ष में 300 युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय संभावना का विकास • 29 प्रायोगिक जिलों में बेहतर परिपाटियों का विकास और उनका अनुकरण।
6.	युवा होस्टल्स	1.50	• युवा होस्टल्स का दक्षतापूर्वक प्रबंधन: 2,00,000	• वर्ष में युवा होस्टलों में रियायती दरों पर ठहर कर कुल 211191 युवा लाभान्वित हुए।
7.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	5.50	• राज्यों को प्रतिबद्ध देयताओं की प्रतिपूर्ति	• यह राज्यों को पहले से हस्तांतरित कार्यक्रम के संबंध में पिछली प्रतिबद्ध देयता की प्रतिपूर्ति के लिए है।
8.	स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता	1.65	• स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को उनके कार्यक्रमों के लिए सहायता: 20090	• मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सहायता में से विभिन्न कार्यक्रमों से कुल 21190 युवा लाभान्वित होंगे
9.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम	151.25	• इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार: 52 • एनएसएस कार्यकलापों के लिए गांवों/झोपड़-पट्टियों को गोद लेना: 16000 • एनएसएस स्वयंसेवकों को रोजगार और क्रियाकलापों का नियमित निर्वहनः 3700 • गोद लिए गए गांवों/झोपड़-पट्टियों में विशेष शिविरः16000 • राष्ट्रीय एकता शिविर/पूर्वोत्तर युवा पर्व: 22 • साहसिक गतिविधियां: 1600 • गणतंत्र दिवस एनएसएस पुरस्कार: 200	• उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत करके स्वयंसेवकों को सामुदायिक सेवा में लगाने के लिए केन्द्रीत करना। • सामुदायिक कार्यों जैसे स्वास्थ्य/नेत्र/टीकाकरण शिविरों में भागीदारी (17500 कार्यक्रम), सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम/रैलियां/अभियान 37500 कार्यक्रम), श्रमदान (1.25 करोड़ स्वयंसेवी घंटे), रक्तदान (2.5 लाख यूनिट्स), पौधारोपण (27.5 करोड़ पौध) आदि के जरिए 18.75 लाख एनएसएस स्वयंसेवकों का व्यक्तिगत और चारित्रिक विकास। • देशभर में 5000 एनएसएस स्वयंसेवकों में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना विकसित करना • 1650 स्वयंसेवकों में साहस की भावना विकसित करने के लिए उन्हें इन कार्यक्रमों में भागीदार बनाना • एनएसएस स्वयंसेवकों में राष्ट्रीय गर्व और अनुशासन की भावना विकसित करना।
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	39.60	• अकादमी कार्यक्रम: 150 • अन्य संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्ययक्रम: 75 • प्रशिक्षण/क्षमता वर्धन कार्यक्रम: अन्य कार्यक्रम: 480 • राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/कार्यशालाएं: 18 • अनुसंधान कार्यक्रम: 15 • प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन कार्यक्रम: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः 12	• युवा निर्माण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास। वर्ष में कुल 162500 छात्र उत्तीर्ण। • प्रतिष्ठित संयंत्रों के सहयोग से संचालित अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से 356 युवाओं का विकास। • विभिन्न विषयों में क्षमता निर्माण करके 22250 युवाओं का विकास। • विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भागीदारी के जरिए 900 युवाओं के ज्ञान एवं विशेषता का विकास। • 18 शोधार्थियों के जरिए युवा विकास में ज्ञान निकाय का विकास। • युवाओं के लिए कार्यरत कुल 2363 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अधिक कारगर विधि से युवा कार्य के लिए सक्षम बनाना।
11.	सचिवालय - सामाजिक सेवा	**28.00**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जोड़		**550.00**		

स्कीमों के लिए निर्गम-परिणाम रूपरेखा 2017-18

मांग सं. 100: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/विभागः खेल विभाग

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/उप-स्कीम का नाम	वित्तीय परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2017-18 के मुकाबले में निर्गम/प्रदेय सेवाएं	अनुमानित मध्यावधि परिणाम
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम			
1	खेल संस्थाओं में विकास (एक व्यापक स्कीम)			
1.1	भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)	481.00	• 14 नए एनएसटीसी केन्द्रों की स्थापना • 13 नए स्वेदशी एवं मार्शल आर्ट केन्द्रों की स्थापना • 49 नए अखाड़ों की स्थापना • 24 नए सैन्य बाल कंपनी केन्द्रों की स्थापना • 63 नए साई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना • 22 नए विशेष क्षेत्र क्रीडा केन्द्रों की स्थापना • 84 नए एसटीएसी/एसएजी विस्तार केन्द्रों की स्थापना • 16 नए उत्कृष्टता वाले केन्द्रों की स्थापना • 8 नई राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना • 4 नए सिंथेटिक एथलेटिक टर्फ्स और हॉकी के टर्फ्स बदला जाना • फुटबाल के 2 कृत्रिम मैदान तैयार किया जाना • 2 नए स्विमिंग पूलों का निर्माण • 1250 नए कोचों को किराए पर लिया जाना है	• निचले सतर तक पहुंच बढ़ाना: 60% ग्रामीणों के पास खेल के मैदान और खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए • बड़े खिलाडियों के लिए मौजूदा सुविधाओं के लिए मौजूदा सुविधाओं को ओलम्पिक स्तर की बुनियादी सुविधाओं के बराबर लाना • निचले स्तर पर कोचों की संख्या बढ़ाकर 313 तक करना; राज्य/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यताएं और अनुभव रखने वाले अच्छे कोचों (इसके लिए तंत्र विकसित करना) को शामिल करना
1.2	एलएनआईपीई, ग्वालियर	45.02	• 250 बी.पीईडी उत्तीर्ण हुए • 120 एम. पीईडी उत्तीर्ण हुए • 200 छात्र/प्रशिक्षु, डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करेंगे	• इन पेशेवरों के लिए शतप्रतिशत सुनिश्चित रोजगार
1.3	एनडीटीएल	10.00	• मूत्र के 8000 नमूनों की जांच की जाएगी • खून के 320 नमूनों की जांच की जाएगी • 6 अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाएंगे	• पारदर्शी जांच प्रक्रिय का विकास • राज्य स्तर से ऊपर के सभी खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सत्रों में भागीदारी अनिवार्य बनाना और प्रमाणित तथा प्रतिबंधित स्वास्थ्य एवं प्रदर्शन वर्धन दवाओं के बारे में शतप्रतिशत जानकारी देना सुनिश्चित करना
1.4	'नाडा'	4.00	• मूत्र और खून के 5500 नमूने एकत्र किए जाएंगे • शिक्षा/जागरूकता पैदा करने के 80 कार्यक्रम चलाए जाएंगे	
1.5	भारतीय खेल विकास और अनुसंधान (पूर्व राष्ट्रीय खेल विकास और खेल औषिधि संस्थान)	20.00	खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खेल विज्ञान और खेल औषिधि के अध्ययन, अनुसंधान और अभ्यास को एकीकृत करने की दृष्टि से एक संस्थान स्थापित करना।	• चरणबद्ध तरीके से 6 विश्वविद्यालयों और 6 संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों को वित्तपोषित करने प्रस्ताव है।
1.6	राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान	5.00	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।
1.7	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर	50.00	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.8	'वाडा' में अंशदान	1.00	• 'वाडा' का सदस्य देश होने के नाते भारत द्वारा अंशदान	• 'वाडा' का सदस्य देश होने के नाते भारत द्वारा अंशदान
उप- जोड़ (1)		**616.02**		
2	**खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार (एक व्यापक स्कीम)**			
2.1	अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष नकद पुरस्कार	10.00	500 खिलाड़ियों और कोचों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे	• खेल संस्कृति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना
2.2	पुरस्कार (अर्जुन, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य)	2.00	• खिलाडियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए 23 पुरस्कार, खिलाडियों को उनके सक्रिय खेल कैरियर के बाद भी खेलों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जाना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में प्रशिक्षकों के योगदान को मान्यता देना।	• सक्रिय और सेवानिवृत्त खिलाडियों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना।
2.3	प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेंशन	2.00	खिलाड़ियों के लिए पेंशन के 20 नए मामलों की स्वीकृति दी गई	• योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों के लिए भावी सुरक्षा सुनिश्चित करना
2.4	राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	302.18	• 165 राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे • 55 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाएंगे • विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए 220 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी • 4500 प्रशिक्षु कैंप चलाए जाएंगे	• इन आयोजनों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय खेल संघों की निगरानी करना
2.5	खेलों में मानव संसाधन विकास की स्कीम	10.00	• 6 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी • विदेश में कम से कम 10 संगोष्ठियों आदि में भागीदारी • देश में 4 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी • देश में कोचों के लिए 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे • 6 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जाएंगी • 2 प्रकाशन प्रकाशित किए जाएंगे	• एक न्यूनतम योग्यता व्यवस्था के जरिए स्पोर्ट टीम (कोच/फिजियोथेरेपिस्ट/डाइटीशियन/चिकित्सक आदि) की वैश्विक मानकों के बराबर शिक्षा और प्रशिक्षण
2.6	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2.00	• 120 खिलाड़ियों को सहायता • खेल अवसंरचना के लिए 5 संस्थान/अकादमियां स्थापित की जाएंगी	• एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए 120 योग्य खिलाड़ियों और 5 संस्थानों का चयन
2.7	दिव्यांगजनों में खेलों को बढ़ावा	0.01	• 150 जिलों में सामुदायिक कोचिंग प्रशिक्षण • 150 जिलों में खेलों का आयोजन • 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खेलों का आयोजन • वार्षिक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन	• अंतर्राष्ट्रीय पैरालिम्पिक प्रतिस्पर्धाओं में पदकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि • लक्षित दर्शकों में पैरालिम्पिक खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना (सेवाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)
2.8	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	2.00	• खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना। निश्चित संख्या नहीं दर्शायी जा सकती क्योंकि यह प्राप्त हुए आवेदनों पर निर्भर करता है।	• खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना।
उप- जोड़ (2)		**330.19**		

खेलो इंडिया : खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम				
3.1	खेलो इंडिया [राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम को मिलाकर]	350.00	• खेलो इंडिया [राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम को मिलाकर] के तहत खेल प्रतिस्पर्धाओं में 20,00,000 युवाओं की भागीदारी, 15 बुनियादी सुविधाएं सृजित/विकसित की जाएंगी, 500 प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी	• निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं का जल्दी पता लगाना • घरेलू स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए न्यूनतम मानकों का सृजन, नियमित अंतराल पर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन सुनिश्चित करना
3.2	राष्ट्र मंडल खेल, 2010	0.50	• यह राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के शेष बचे मामले से संबंधित है।	• यह राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के शेष बचे मामले से संबंधित है।
3.3	ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम संसाधन केन्द्र	5.00	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।	• अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.4	देश में खेल प्रतिमा की पहचान और विकास करने की स्कीम (इंसटाल)-जिला स्तर पर खेल वियालय	0.50	• समाप्त की जानी है	
3.5	जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधा बढ़ाना	75.00	• 2 स्टेडियम का उन्नयन होना है और अगले 2-3 वर्ष में 12 बहु-प्रयोजन इंडोर हॉल का निर्माण	• राज्य में खेल सुविधाओं के ज्या अवसर सृजित करना
3.6	हिमालयी क्षेत्र खेल उत्सव स्कीम	15.00	• हिमालयी क्षेत्र में देशों और राज्यों में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना	• खेल उत्सवों का आयोजन करके हिमालयी क्षेत्र के देशों और राज्यों में रिश्ते सुदृढ़ करना।
3.7	संगोष्ठी समितियों, बैंठकों आदि पर व्यय	1.00	• युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना।	• मंत्रालय की स्कीमों को बढ़ावा देना।
उप-जोड़		447.00		
कुल जोड़		1393.21		